रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1999/अग्रहायण 24, 1921
No. 769] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1999/AGRAHAYANA 24, 1921

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1999

का०आ० 1238 (अ).—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुबन्ध के रूप में, कथित अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत जांच न्यायालय द्वारा, जो 26 व 27 सितम्बर, 1995 की बिहार राज्य के धनबाद जिले में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी) की गजलीटांड, बेरा, कतरास, चेतुडीह और साउथ गोविंदपुर की कोयला खानों में घटित दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसको प्रस्तुत निम्नलिखित रिपोर्ट को प्रकाशित करती है।

"बिहार राज्य के धनबाद जिले में गजलीटांड, बेरा, कतरास, चेतुडीह और साउथ गोविंदपुर की कोलियरी में 26 व 27 सितम्बर, 1995 को घटित दुर्घटना के लिए जांच न्यायालय की रिपोर्ट।"

[फाईल सं. एन. 11015/1/95-आई.एस.एच. II]

आर० के० सैनी, संयुक्त सचिव

अनुबंध

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की गजलीटांड कोलियरी में 26 व 27-9-1995 को
हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच रिपोर्ट

द्वारा

न्यायमूर्ति एस० के० मुखर्जी
एवं निर्धारक
प्रो० बी० के० मजुमदार
श्री राजेन्द्र सिंह

3641 GI/99—1A

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
की
गजलीटांड कोलियरी में
26 & 27/9/1995 को हुई दुर्घटना के
कारणों तथा परिस्थितियों की
जांच - रिपोर्ट

द्वारा

न्यायमूर्ति एस0 के0 मुखर्जी
एवं निर्धारक
प्रो0 बी0 के0 मजुमदार
श्री राजेन्द्र सिंह

3641 GI/99—1B

प्रस्तावना

यह रिपोर्ट गज़ली टॉड खदान के उन 64 बदनसीब खनिकों की स्मृति में समर्पित है जो 26/27 सितम्बर,1995 की विनाशकारी तूफानी रात को जब घोर वर्षा हो रही थी, खदान के अन्दर फंस गए थे। कतरी नदी की जल खदान में बुरी तरह से भर गया था और ये श्रमिक जल-समाधि लेने पर मजबूर हो गए। उक्त रात्रि को अनेक दूसरी खदानों में भी विनाशकारी दुर्घटनाएं हुईं थी । मुझे गज़ली टॉड खदान के अलावा चार ऐसी खदानों में हुई दुर्घटनाओं के कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया।

जांच की कार्यवाही बहुत ही अच्छे ढग से चल रही थी और कोई तर्कसंगत निष्कर्ष निकलने ही वाला था कि अचानक भारत सरकार ने स्वविवेक से इस जांच न्यायालय को इस जांच को पूर्ण करने का आदेश दिया तथा मुझे इससे संबंधित रिपोर्ट 30 जून 1998 तक या उसके पहले देने को कहा । अतः जांच की कार्यवाही को संक्षिप्त करना पड़ा और रिपोर्ट आवश्यक और पर्याप्त मौखिक और लिखित साक्ष्यों के अभाव में तैयार की गई जिसमें अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए । जांच की असामयिक समाप्ति के कारण अकीर्तित मृतक चिरनिद्रा में सोते रहेंगे और कभी भी नहीं जागेगे । उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति प्राप्त हो गई है और अपने अपरिहार्य संतोष और निराश्रयता की भावना के कारण वे आगे हरजाने की मांग के लिए आवाज उठाने का साहस नहीं बटोर सकते । उनके हृदय से सग-संबंधियों के न रहने की संबेदना और दर्द कालान्तर में समाप्त हो जाएगा । अकीर्तित मृतक समाधिस्थ पड़े रहेंगे ।

जांच की पूर्ण वैधानिक अवधि पूरी नहीं हो पाई और वह समयपूर्व ही समाप्त कर दी गई । हताहतों के लिए जिम्मेवार दुर्घटना के कारणों एवं परिस्थितियों पर रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक प्रेक्षणों सहित जिनमें हमारी संस्तुतियां भी शामिल हैं, के मद्देनजर मैंने अपने विद्वत्त के साथ यह गुरूत्तर कार्य शुरू किया था जिसमें मुझे इंजीनियरी, भूवैज्ञानिक और मानवीय समस्याओं पर विचार करना था ।

अभी आवश्यक गवाहों से पूछताछ नहीं की जा सकी और जब साक्ष्यों की रिकार्डिंग का कार्य चल रहा था तब सरकार की ही ज्ञात कारणों के चलते सरकार से दिनांक 28 अप्रैल, 1998 के पत्र जिसे पाकर मुझे बहुत निराशा हुई और गहरा आघात लगा, द्वारा मुझे अधिक से अधिक 30 जून, 1998 तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया । यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे पत्र को जारी करने का कारण तक मुझे नहीं बताया गया । सरकार को सचिव के माध्यम से पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब मैं दे सकता था परन्तु यह कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई और इस जांच न्यायालय पर उस समय कुठाराघात हुआ जब सबकुछ सही ढंग से चल रहा था । मेरी न्यायिक अर्न्तचेतना उद्वेलित हो उठी है और किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के प्रवर्तन में इसकी तर्कसंगतता पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ । मेरी रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से इसमें किसी भी तरह के विलंब के कारण यदि कोई हो, स्पष्ट हो जाएंग और यह रिपोर्ट उन व्यक्तियों के कृत्यों और गलतियों को उजागर करेगी, जो जनता के खर्च और समय की कीमत पर कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए जिम्मेवार थे । बहुत से लोगों को अब खुश होना चाहिए और गंभीर परिणामों के डर से सुरक्षित महसूस करना चाहिए ।

ऐसी कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मैं अपने असेसर की मदद से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जो केवल गजलीटांड़ खदान के संदर्भ में मेरे पास उपलब्ध सामग्री पर आधारित है ।

चूँकि मुझे अधिक से अधिक 30 जून, 1998 तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है अतः जांच न्यायालय के विषयगत अन्य तीन कोयला खानों यथा - बेरा, कतरास बतुडीह और साउथ गोविन्दपुर के संदर्भ में मौखिक और लिखित साक्ष्य को रिकार्ड करने का मेरे पास समय नही है ।

अध्याय - I

तथ्यों का संक्षिप्त विवरण

रिकार्डों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि खदान कतरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित थी जोकि एक पहाड़ी नदी है और दामोदर नदी की एक सहायक नदी है । इस खदान में कतरी नदी के नीचे तथा उसके आस पास ओपन कास्ट तथा भूमिगत दोनों प्रकार की विस्तृत खानों से खनन कार्य किया जाता था । कतरी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए उसके पूर्वी तट पर एक तटबंध बनाया गया था। इसके अतिरिक्त तटबंध के पूर्व में एक अतिरिक्त पुश्ता दीवार भी बनाई गई थी । गज़ली टाँड एक पुरानी खदान थी जिसकी ऊपरी सीमों का कोयला निकाला जा चुका था । उसकी निचली सीमों में खनन कार्य किया जा रहा था जिनमें सतह से केवल शैफ्टों के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता था । शैफ्टों के साथ स्टीम वाइण्डर लगाए गए थे जो एक उर्ध्वाधर तथा दो लंकाशायर बॉयलरों द्वारा चलते थे। केवल यही दो शैफ्ट ही खान के अंदर जाने और बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते थ । बाढ़ के खतरे से बचाव के लिए एहतियाती उपाय के रूप में प्रबंधन द्वारा, जब नदी का पानी एक पूर्व निर्धारित निकासी चिह्न तक पहुँच जाए तो खान से श्रमिकों को हटा लेने का एक स्थाई आदेश जारी किया गया था । ये चिह्न नदी में लगाए गए थे । जल के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए गार्डों का प्रबंध किया गया था ताकि खतरा होने पर लोगों को भूमिगत खनन क्षेत्रों से बाहर निकाला जा सके ।

रिकार्डों में उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि 26 दिसंबर, 1995 को बिहार राज्य के संपूर्ण धनबाद ज़िले में भारी वर्षा हुई थी, ज़िले के मौसम विज्ञान संबंधी रिकार्डों में जिसकी कोई जानकारी नहीं थी । पूरे कतरास नगर में और इसके आसपास भी भारी वर्षा हुई थी, यहीं पर गज़ली टाँड खदान स्थित है । भारी वर्षा के कारण कई कुंडों और तालाबों के टूट जाने से नदी की धारा की विपरीत दिशा में जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे कतरी नदी का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा और वह शीघ्र ही खतरे के स्तर को पार कर गया और उसके बाद उस विनाशकारी दिन की अर्धरात्रि से पहले ही निकासी के स्तर तक पहुँच गया । लेकिन यहाँ जो खतरा मँडरा रहा था इसका पता नहीं चल पाया क्योंकि इस प्रयोजन के लिए गार्डों को तैनात नहीं किया गया था और खदान के पदाधिकारी कतरी नदी के जल स्तर को मानीटर करने के लिए बाहर नहीं गए । खतरे की जानकारी अर्धरात्रि के बाद ही मिली जब तीसरी पारी के गार्ड ने यह देखा कि नदी उग्र रूप धारण कर चुकी है और उसका जल स्तर खतरे के स्तर को पार कर चुका है । उसने तीसरी पारी के श्रमिकों को खान के नीचे न जाने की हिदायत दी और तत्काल पिछली पारी के श्रमिकों को खान से बाहर निकालने के लिए कहा तथा वह स्वयं खतरे की सूचना प्रबंधक को देने चला गया ।

दूसरी पारी में जो अपराह्न 4.00 बजे से आरंभ हुई थी 98 व्यक्ति नीचे खान में गए थे जिनमें से 28 व्यक्ति रात 10.30 बजे तक बाहर आ गए थे तथा 64 व्यक्ति खान के अंदर ही थे । दूसरी पारी के वाइंडिंग इंजन चालक ने अपराह्न 10.15 बजे के बाद से इस तक पर वाइंडर को चलाने से इनकार कर दिया था कि वाइंडर के नीचे की ओर के ड्रम में पानी इकट्ठा को गया है जबकि उसे खान के अंदर से लगातार इसे चलाने के संकेत मिल रहे थे । उसने वाइंडर को बंद कर दिया और वह अपने तैनाती के स्थान से चला गया । दूसरी पिट जिसमें दूसरा निर्गम मार्ग था उसके लिए वाइंडिंग इंजनमैन तथा बैंक्समैन का प्रबंध नहीं किया गया था । पिट के शीर्ष पर तैनात बैक्समैन ने भी ज़मीन के नीचे से व्यक्तियों

को बाहर निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। फ़ायरमैन ने भी बॉयलरों में स्टीम प्रेशर को बनाए रखने के कार्य को रोक दिया। भारी वर्षा के साथ तूफ़ान के भी आने के कारण बॉयलर शीघ्र ही ठंडे हो गए और स्टीम का प्रेशर वांछित प्रचालन प्रेशर से नीचे गिर गया। वहाँ सतह पर कोई खदान का पदाधिकारी भी नहीं था जो कि खदान में फँसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने के कार्य को समन्वित करता। वास्तव में दूसरी पारी में किसी भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक का प्रबंध नहीं किया गया था।

तीसरी पारी के श्रमिकों ने भी समय की पाबंदी नहीं बरती और देरी से ड्यूटी पर आए और वास्तव में आधी रात से एक घंटा बीत जाने के बाद ही प्रबंधक घटनास्थल पर पहुँचा था तब तक फँसे हुए व्यक्तियों के बचाव के लिए कोई भी समन्वित प्रयास नहीं किया गया था । उर्ध्वाधर बायलर ठंडा हो गया था तथा एक लंकाशायर बॉयलर फँसे हुए श्रमिकों के बचाव के लिए वाइंडर को चलाने के लिए पर्यान्त प्रेशर पर स्टीम पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था । दूसरा लंकाशायर बायलर काम नहीं कर रहा था ।

निरंतर हो रही भारी वर्षा के कारण कतरी नदी का जल स्तर और बढ़ गया तथा इसने इसके सामने बने तटबंध को तोड़ दिया और नदी का पानी निकटवर्ती खुली ख़ान में भर गया । बाढ़ का पानी तेज़ी से पुश्ता दीवार की एक ओर इकट्ठा होने लगा । यह पुश्ता दीवार पूर्व की तरफ कुछ आगे बनाई गई थी और अंततः यह भी टूट गई । पानी पास की पुरानी खुली ख़ान में भर गया जो कि नदी के तल से नीची थी और उसका संबंध भूमिगत खनन क्षेत्रों से था । पानी के शीघ्रता से भूमिगत खनन क्षेत्रों में घुसने के कारण यह तबाही हुई । ख़ान के भीतर की हवा तेज़ी से पिटों से होती हुई बाहर निकली जिसके परिणामस्वरुप हवा का प्रचंड विस्फोट हुआ कि एक शैफ्ट का उत्थापक ओवर वाइंडिंग कर गया । गज़ली टाँड़ खदान में सुरक्षा के उपाय की कमी के कारण यह पहली दुर्घटना थी जिसके फलस्वरूप 64 भूमिगत खनिकों की जानें गई । उपर्युक्त तथ्यों के संक्षिप्त विवरण को इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है ।

अध्याय -II

(भाग 1)
जाँच की कार्यवाही

जाँच न्यायालय का सृजन

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने , खान अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या 35, वर्ष 1952) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना संख्या एस०ओ० 841(ई०) दिनांक 17 अक्टूबर 1995 द्वारा तीन माह की अवधि के लिए एक जाँच न्यायालय की स्थापना की और मुझे मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों विशेष रूप से बिहार राज्य के धनबाद जिले की गज़ली टाँड, बेरा, कतरास, चेतुडीह और साउथ गोबिन्दपुर की कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के कारणों एवं परिस्थितियों की एक औपचारिक जाँच करने के लिए नियुक्त किया जहाँ 26 तथा 27 सितंबर 1995 को हुई दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की जानें गई थी । केंद्रीय सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना के द्वारा प्रो० वी०के० मजूमदार प्रोफ़ेसर इंडियन स्कूल ऑफ़ माइन्स धनबाद 826004 (बिहार) तथा श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह महासचिव राष्ट्रीय कोयला खान मज़दूर संघ धोरी एरिया 5 छज्जु बाग पटना 800001 की नियुक्ति भी उपर्युक्त जाँच करने के लिए असेसरों के रूप में की । उपर्युक्त अधिसूचना अनुबंध संख्या 1 में दी गई है ।

दुर्घटनाओं का स्वरूप

यह जाँच जिन खानों से संबंधित है उनमें भिन्न भिन्न स्थानों पद अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएँ हुई थी जिनका संक्षेप में नीचे उल्लेख है :-

गज़ली टाँड खान :- यह दुर्घटना तथाकथित रूप से अल्प समय में अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण हुई थी क्योंकि इस वर्षा के कारण कतरी नदी का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा और शीघ्र ही वह पूर्व निर्धारित उस स्तर तक पहुँच गया था जब खान को खाली करवाया जाना चाहिए था और अंततः दर्ज किए गए उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर गया था । जल स्तर में वृद्धि के कारण कतरी नदी के पानी को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में बनाया गया तटबंध टूट गया । तत्पश्चात पानी निकटवर्ती बंद की गई ओपन कास्ट क्वैरी में चला गया और पुश्ता दीवार को तोड़कर उस खुली खान में भर गया जो कि भूमिगत खान से जुड़ी थी जहाँ से वह शीघ्र ही पूरे भूमिगत क्षेत्र में भर गया जहाँ कार्य चल रहा था और 64 व्यक्ति उसमें फँस गए।

साउथ गोविन्दपुर :- कथित रूप से 2 में से 1 में ओपन कटिंग द्वारा इन्क्लाइन डिपींग बनाई गई थी और उस पर 10 से०मी० मोटी आर०सी०सी० छत का निर्माण किया गया था । उक्त इन्कलाइन का उपयोग X-ए सीम के लिए सतह से शैफ्ट तल में ट्रेवलिग रोडवे के रूप में किया जाता था । भारी वर्षा के दौरान आर०सी०सी० छत में बना निकास छिद्र बन्द हो गया और आर०सी०सी० छत के ऊपर बहुत अधिक पानी तथा कीचड़ जमा हो गया जिसके कारण यह टूट गया और पाँच श्रमिक जो कि उस समय इन्क्लाइन से ऊपर आ रहे थे उन्हें तेज पानी तथा कचरे का तेज़ी से धक्का लगने से चोटें पहुँची और अंततः पाँच

श्रमिकों में से तीन की मृत्यु हो गई ।

बेरा :- बेरा कोयला ख़ान में कथित रूप से साइड की दीवार के ढहने के कारण दुर्घटना हुई । यह कहा गया कि जब ढुलाई ढाल (हालेज इन्क्लाइन)(इन्क्लाइन संख्या 18) से होकर व्यक्तियों का अंतिम बैच बाहर आ रहा था तो ढाल के मुहाने की साइड की दीवार ढह गई जिसमें 4 लोडर फँस कर घायल हो गए जिनमें से तीन की मृत्यु हो गई और एक को गंभीर शारीरिक क्षति पहुँची ।

कतरास चतुर्डीह :- इस कोयला ख़ान में कथित रूप से दुर्घटना तब घटी जब चार पंप ऑपरेटरों का एक दल बाढ़ के पानी में घिर जाने की आशंका से एक घंटे से लगातार उन्हें पिट तल से बाहर निकालने का संकेत दे रहा था जो कि दूसरा निकास द्वार भी था । उनमें से तीन व्यक्ति अचानक भारी मात्रा में ज़हरीली गैस निकलने के कारण उसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई उसके तुरंत बाद चौथा व्यक्ति तल के केज के शीर्ष पर चढ़ने में सफल हो गया तथा वह दम घुटने से बच गया । एक यांत्रिक फ़िटर जो पंप ऑपरेटरों को खोजने के लिए नीचे पिट में गया था उसकी भी दम घुट जाने के कारण मौत हो गई थी ।

टिप्पणी :-

उपर्युक्त चारों कोयला ख़ाने अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं और उनके अलग अलग गवाह हैं । चार खदानों की चारों दुर्घटनाएँ पूर्णतः अलग अलग स्वरूप की हैं तथा इनके घटित होने के भिन्न भिन्न कारण और परिस्थितियाँ हैं ।

ये दुर्घटनाएँ अलग अलग तकनीकी और इंजीनियरिंग समस्याओं के कारण हुई हैं जिनका जाँच न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है ।

ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत मूल रिपोर्ट "एक" हो सकती है परंतु सभी दुर्घटनाओं की जाँच अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत की जाती है । यहाँ तक कि इस जाँच न्यायालय द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिशें भी केवल रिकार्ड के साक्ष्यों का विवेचनात्मक परीक्षण करने से ही की जा सकती हैं । इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक कोयला ख़ान में कई व्यक्तियों की जानें गई हैं ।

जाँच न्यायालय की अवधि तथा कार्यकाल :-

इस जाँच न्यायालय के कार्यकाल को समय-समय पर तीन तथा छः महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जिसका विवरण आगे दिया गया है और अंततः सरकार ने अपने दिनांक 28 अप्रैल 1998 के पत्र संख्या एन 11025/1/95 आई०एस०एच०।। द्वारा सूचित किया कि 30 जून 1998 से आगे समय अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

तालिका संख्या 1.1

क्रमांक	अधिसूचना जारी करने की तारीख़	अवधि	इस जाँच न्यायालय को प्राप्त हुई	अभियुक्तियाँ
1.	17.10.95	17.10.95 से 16.1.98	28.10.95 अधिसूचना	11 दिन बाद प्राप्त हुई
2.	19.1.96 शुद्धि पत्र दि० 9.2.96 के साथ पढ़ें	17.1.96 से 16.7.96	2.2.96 को तथा शुद्धि पत्र 20.2.96	35 दिन बाद
3.	17.7.96	17.7.96 से 16.1.97	5.8.96	लगभग20दिन बाद
4.	14.1.97	17.1.97 से 16.7.97	11.2.97	लगभग 26 दिन बाद
5.	17.7.97	17.7.97 से 16.10.97	6.8.97	लगभग 21दिन बाद
6.	17.10.97	17.10.97 से 16.1.98	18.10.98	01 दिन बाद
7.	17.1.98	17.1.98 से 16.4.98	19.1.98	2 दिन बाद
8.	17.4.98	17.4.98 से 30.6.98	15.5.98	30 दिन बाद

इस अवस्था पर यह कहना पर्याप्त होगा कि जाँच न्यायालय की अवधि और कार्यकाल उसे सौंपे गए कार्य की महत्ता पर निर्भर करता है जिसमें खान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत' रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रश्न भी आवश्यक रूप से शामिल है । जैसा कि 17 अक्टूबर 1995 की प्रथम अधिसूचना में अपेक्षा की गई थी एक औपचारिक जाँच करने के बाद 3 महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा अथवा अपेक्षा करना युक्तिसंगत नहीं है । इस जाँच न्यायालय ने भी कई अन्य जाँच न्यायालयों की भांति, किसी भी जाँच न्यायालय की, और विशेष रूप से इस जाँच न्यायालय की, जो चार खदानों के संबंध में जाँच कर रहा है, की अवधि और कार्यकाल को बढ़ाते रहने की अपेक्षा किसी सरकार से नहीं की बशर्ते कि सरकार की ओर से विलंब न किया जाए जिसके कारण जाँच की अवधि का विस्तार करना आवश्यक हो जाता है ।

दिनांक 1.11.1995 को मैंने जाँच न्यायालय के अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया । भारत सरकार अपने दिनांक 17 नवंबर 1995 के पत्र द्वारा जाँच न्यायालय का मुख्यालय इलाहाबाद में बनाने पर सहमत हुई थी । यद्यपि मुझसे धनबाद में जाँच आयोजित करने का अनुरोध किया गया था ।

कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मैं घटनास्थल तथा कुछ अन्य संगत स्थलों का निरीक्षण करना चाहता था, और सक्षम व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहता था जिन्हें खनन संबंधी विषय की जानकारी हो तथा विधिवत नियुक्त किए गए असेसरों से मिलना चाहता था । मुझे यात्रा संबंधी सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थी ।

दिनांक 9 फ़रवरी 1996 को मैंने गज़ली टॉड खदान के स्थल का दौरा किया । मेरे साथ दोनों असेसर तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी भी थे । मुझे बताया गया था कि चारों प्रासंगिक खदानें जो इस जाँच की विषय वस्तु हैं 2.5 किमी क्षेत्र में स्थित है और उनका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए । इसके अंतर्गत कतरी नदी, नालों तथा कतरी नदी पर बने तटबंध का सर्वेक्षण करना भी शामिल है । मेरे उक्त निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि गज़ली टॉड खदान की स्थलाकृति मूलतः बदल गई थी, विकृत हो गई थी तथा विरूपित हो गई थी । मुझे यह भी आशंका हुई कि इस कार्यवाही को शीघ्रतापूर्वक करने में और विलम्ब होने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं । उक्त दौरे के दौरान मैं उपर्युक्त जाँच के संबंध में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों, धनबाद के उप आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षक धनबाद से भी मिला ।

पुनः दिनांक 14 मार्च 1996 से 20 मार्च 1996 तक मेरे धनबाद के दौरे के दौरान मैंने खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों की मौजूदगी में सतह से गज़ली टॉड खान का निरीक्षण किया ।

यद्यपि अभी तक जाँच की कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकी थी क्योंकि सहायक स्टाफ़ के पदों के सृजन तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तों का मामला प्रक्रियाधीन था और सरकार द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया था कि इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी कर दिए जाएँगे । अध्यक्ष के कार्यालय की आधारिक संरचना, कार्यालय के भवन तथा टाइप राइटरों (हिंदी तथा अँग्रेज़ी), सचिव तथा अयोग के लिए वकील, यात्रा सुविधाओं और आकस्मिक व्यय के लिए आवश्यक बजट इत्यादि के संबंध में कुछ नहीं बताया गया था । न्यायालय कक्ष तथा सहायक स्टाफ़ के अभाव में कोई भी ठोस कार्य नहीं किया जा सकता था । कार्यवाही से संबंधित कोई भी पार्टी न्यायालय कक्ष के न होने से उपस्थित नहीं हो सकी ।

जाँच न्यायालय की स्थापना की तारीख़ से लगभग 6 माह से अधिक की अवधि के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने अपने पत्र संख्या ए 11013/3/95 आई एस एच ।। दिनांक 29 मार्च 1996 द्वारा जो इस कार्यालय में 2 अप्रैल 1996 को प्राप्त हुआ, जाँच न्यायालय के लिए केवल सहायक स्टाफ़ के पदों का सृजन किया जो इस प्रकार है :-

अध्यक्ष का सचिव, न्यायालय अधिकारी, आशुलिपिक ग्रेड सी, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा चपरासी तब सहायक स्टाफ़ की नियुक्ति की गई और अंततः 1जून १९९६ को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया । सहायक स्टाफ़ की नियुक्ति में विलंब खान सुरक्षा महानिदेशक के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण हुआ । इस जाँच न्यायालय को मुहैया कराया गया स्टाफ़ पर्याप्त नहीं था ।

जाँच न्यायालय की प्रारंभिक बैठक

सहायक स्टाफ़ उपलब्ध होने के बाद ही जाँच न्यायालय उपयुक्त न्यायालय कक्ष के अभाव में धनबाद स्थित एक गेस्ट हाउस के निजी ड्राइंगरूम में पहली बार दिनांक 21 जून 1996 को एकत्रित हो सका । उक्त तारीख़ को मैंने जाँच न्यायालय की कार्यवाही के लिए इसके द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों पर दोनों असेसरों के साथ चर्चा की जिन्हें अंततः 22 जून 1996 को अंतिम रूप दिया गया । दोनों असेसरों ने मुझे मौखिक रूप से अनुरोध किया कि जाँच न्यायालय की अगली बैठक धनबाद में करने की 26 जुलाई 1997 या उसके आसपास की कोई तारीख़ निश्चित की जाए । न्यायालय ने दिनांक 21 जून 1996 को तथा उसके आगे ऑर्डर शीट रखना आरंभ किया ।

न्यायालय कक्ष के लिए किसी निश्चित स्थान के अभाव में मेरे लिए यह भी संभव नहीं था कि मैं सार्वजनिक सूचनाएँ जारी करके इच्छुक पक्षों को उपस्थित होने तथा तथ्यों के उनके कथन/शपथ पत्रों इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए कह सकूँ । इच्छुक व्यक्तियों को किसी निश्चित स्थान पर ही बुलाया जा सकता है जिसका उल्लेख सार्वजनिक सूचना में किया जाना अपेक्षित होता है ।

दिनांक 1 नवंबर 1996 को आकस्मिक ख़र्चों के लिए ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद द्वारा 25000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई ।

न्यायालय कक्ष

जाँच न्यायालय के गठन के 1 वर्ष बाद 5 नवंबर 1996 को न्यायालय कक्ष का चयन किया गया और अंततः 16 दिसंबर 1996 को सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, बरवा रोड धनबाद में जाँच न्यायालय को न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराया गया ।

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 16 दिसंबर 1996 को न्यायालय कक्ष उपलब्ध कराए जाने के तुरंत बाद जाँच न्यायालय प्रोफेसर बी०के० मजूमदार तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह दोनों असेसरों की उपस्थिति में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, बरवा रोड, धनबाद के कम्यूनिटी हाल के चेंबर में एकत्रित हुआ और उसने कार्य करना आरंभ किया । उक्त तारीख़ को सार्वजनिक सूचनाओं को अँग्रेज़ी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अंतिम रूप दिया गया। सार्वजनिक सूचना की विषयवस्तु का हिंदी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :-

जबकि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने तारीख़ 17 अक्टूबर 1995 को राजपत्र में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या एसओ० 841(ई) फ़ाइल संख्या 11015/1/95-आई०एस०एच० ।। द्वारा ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत एक जाँच न्यायालय का गठन किया है और मुझे (माननीय न्यायाधीश एस०के० मुखर्जी, पटना उच्च न्यायालय के संवानिवृत न्यायाधीश) एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला ख़ानों की औपचारिक जाँच आयोजित करने तथा विशेष रूप से बिहार राज्य के धनबाद ज़िले में स्थित गज़ली टाँड, बेरा, कतरास, चतुडीह और साउथ गोविन्दपुर की कोयला खानों में 26 और 27 सितंबर, 1995 को हुई दुर्घटनाओं जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई थी, के कारणों

तथा परिस्थितियों की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

प्रोफ़ेसर बी०के० मजूमदार, माइनिंग प्रोफ़ेसर, इंडियन स्कूल ऑफ़ माइन्स, धनबाद तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (एम०एल०ए०), अध्यक्ष, आई एन टी यू सी, बिहार शाखा, छज्जूबाग पटना 800001 को जाँच आयोजित करने में असेसर के रूप नियुक्त किया गया है ।

कोई भी व्यक्ति और/या व्यक्तियों का निकाय जिसे जिन्हें उक्त जाँच की विषय वस्तु के बारे में जानकारी है अथवा जो इसमें रूचि रखते हैं वे बिना किसी प्रकार के भय के दिनांक 24 फ़रवरी 1997 से 27 फ़रवरी 1997 तक 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न के बीच तथा 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न के बीच व्यक्तिगत रूप से अथवा वैध रूप से प्राधिकृत एडवोकेठ अथवा अभिकर्ता के माध्यम से उक्त जाँच न्यायालय के सम्मुख अगले आदेशों के लिए उपस्थित हो सकते हैं ।

हस्ताक्षर
अशोक कुमार मुखर्जी
अध्यक्ष के सचिव

हस्ताक्षर
एस०के० मुखर्जी
अध्यक्ष

उक्त तारीख़ को खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के श्री एस०जे० सिबल निदेशक (सीएमसी) न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने इस आशय का बयान दिया कि वह खान सुरक्षा महानिदेशक तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी सूचनाओं, आदेशों, निदेशों इत्यादि को आवश्यक अनुपालन के लिए स्वीकार करेंगे । जाँच न्यायालय ने दिनांक दिसंबर 97 के अपने आदेश द्वारा श्री एस०जे० सिबल निदेशक (सी०एम०सी०) को सार्वजनिक सूचनाओं के दो सेट हिंदी तथा अँग्रेज़ी दोनों भाषाओं में सौंपे । उन्हें निदेश दिया गया कि 16 दिसंबर 96 से एक माह के भीतर इन्हें उक्त आदेश में उल्लिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए । रविवार के समाचार पत्रों को अधिमान्यता दी जाए । श्री एस० जे० सिबल निदेशक (सी०एम०सी०) को यह भी निदेश दिया गया कि सार्वजनिक सूचनाओं को प्रकाशित करने के अलावा उक्त सूचनाओं की प्रतिलिपियों को 16 दिसंबर 1996 के आदेश की प्रतिलिपि के साथ चारों कोयलाखानों, जो इस जाँच का बिषय हैं, के अर्थात् गज़ली टाँड, बेरा, साउथ गोबिन्दपुर और कतरास, चतुडीह कोयला खान के प्रबंधकों को भी 16 दिसम्बर, 1996 से सात दिन की अवधि के भीतर भेजें । वे इस सार्वजनिक सूचना की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर उसे अपनी अपनी कोयला खानों के सूचनापट्टों पर लगाएँ अथवा ऐसे स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित करें जो उपयुक्त तथा न्यायसंगत हो । खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को भी निदेश दिया गया कि वह संबंधित खानों के प्रबंधकों के माध्यम से 16 दिसंबर 1996 से 2 सप्ताह के भीतर ढोल पीटकर और सार्वजनिक घोषणा करने के साधनों द्वारा उक्त सार्वजनिक सूचना को लगातार दो दिनों तक स्थानीय क्षेत्रों में, मान्यता प्राप्त यूनियनों के कार्यालयों में तथा ऐसे स्थानों पर व्यापक रूप से प्रचारित करें जिन्हें उपयुक्त समझा जाए ।

दिनांक 24 फ़रवरी 1997 को श्री एस०जे० सिबल ने दिनांक 16 दिसंबर 1996 के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 5 जनवरी 1997 के उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत की जिनमें अँग्रेज़ी तथा हिंदी में इस आशय की उक्त सार्वजनिक सूचनाएँ प्रकाशित हुई थी कि जो व्यक्ति इस जाँच की विषय वस्तु के बारे में जानकारी रखते हैं अथवा इससे अवगत है वे बिना किसी भय के दिनांक 24 फ़रवरी 1997 से 27 फ़रवरी 1997 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा वैध रूप से प्राधिकृत एडवोकेट या अभिकर्ता के माध्यम से इस जाँच न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं ।

श्री एस०जे० सिब्बल, निदेशक (सीएमसी) द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट तथा भारत सरकार विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पी०टी०आई० विल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली का इस न्यायालय को संबोधित पत्र सं० 4062/0007/96- ए०ओ० 1 दिनांक 19.12.1996 के अनुसार उक्त सार्वजनिक सूचना को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था ।

तालिका संख्या 1.2

क्र०सं०	समाचार पत्रों का नाम	शहर
1.	टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अँग्रेज़ी)	पटना
2.	हिंदुस्तान (हिंदी)	पटना
3.	अमृत वर्षा (हिंदी)	धनबाद
4.	आवाज़ (हिंदी)	धनबाद
5.	आज (हिंदी)	राँची
6.	नवाइद सुबह (उर्दू)	पटना
7.	कलकत्ता आब्जर्बर (अँग्रेज़ी)	कलकत्ता
8.	आज (हिंदी)	लखनऊ
9.	टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अँग्रेज़ी)	लखनऊ
10.	अवर लीडर (अँग्रेज़ी)	इलाहाबाद
11.	प्रयागराज टाइम्स (हिंदी)	इलाहाबाद

पक्षों (पार्टियों) का हाज़िर होना

सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसरण में निम्नलिखित पार्टियाँ उनके सम्मुख अंकित तिथियों को जाँच न्यायालय के सम्मुख हाज़िर हुई और उन्होंने कार्यवाहियों में भाग लेने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की :-

तालिका संख्या 1.3

क्रम सं०	पक्षों (पार्टियों) का नाम	तारीख़
1.	कोयला खान श्रमिक संघ	24.2.1997
2.	इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फ़ेडरेशन (आई०एन०टी०यू०सी०)	24.2.1997
3.	समता पार्टी	24.2.1997
4.	अनवर मियाँ	24.2.1997
5.	फग्गू भुईयाँ	24.2.1997
6.	विजय कुमार महतो	24.2.1997
7.	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	24.2.1997
8.	इंडियन नेशनल माइन्स औभरमैन्स, सरदार एण्ड शॉर्ट फायरर्स एसोसिएशन	26.2.1997

9	शिव प्रकाश लाल	26.2.1997
10.	बिहार जनता ख़ान मज़दूर संघ	26.2.1997
11.	बिहार कोयला ख़ान कामगार यूनियन	26.2.1997
12.	कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया	26.2.1997
13.	अखिल भारतीय खदान मज़दूर संघ	26.2.1997
14.	धनबाद कोयला ख़ान कर्मचारी संघ	26.2.1997
15.	जनता श्रमिक संघ	26.2.1997
16.	ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फ़ेडरेशन	26.2.1997
17.	सेन्टर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन (सी०आई०टी०यू०)	26.2.1997
18.	ऑल इंडियन माइनिंग पर्सोनल एसोसिएशन	26.2.1997
19.	भारतीय जनता पार्टी	27.2.1997
20.	बिहार प्रदेश जनता दल	27.2.1997
21.	श्री आनंदमय पॉल	27.2.1997
22.	पिपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज	27.2.1997
23.	मजदूर संगठन समिति	27.2.1997

उपर्युक्त पार्टियों के हाजिर होने के बाद मैंने 27 फरवरी 1998 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :-

''सुनवाई

होली के त्योहार के कारण पार्टियों के इस आशय के संयुक्त अनुरोध पर कि तारीख अप्रैल 1997 में निश्चित की जाए तथा असेसरों की सुविधा को भी ध्यान मे रखते हुए तदनुसार अगली तारीख इसके बाद निश्चित की जाएगी ।

श्री के०बी० सहाय, महासचिव, कोयलाखान श्रमिक संघ के प्रतिनिधि श्री एल०एन० भट्टाचार्य, सचिव (सुरक्षा) इण्डियन नेशनल माइन्स वर्कर्स फेडरेशन एवं राष्ट्रीय कोयलाखान मजदूर संघ (इंटक) के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, समता पार्टी, श्री आर०सी० मल्लिक, इण्डियन नेशनल माइन्स ओभरमैन्स, सरदार तथा शाट फायरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, श्री राम रतन सिंह, बिहार जनता खान मजदूर संघ के प्रतिनिधि, श्री ए०के० राय, बिहार कोयलाखान कामगार यूनियन के अध्यक्ष, श्री एम०एन० शर्मा, कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि, श्री कुमार अर्जुन सिंह, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बी०एम०एस०) के प्रतिनिधि, श्री महादेव सिंह, धनबाद कोयला खान कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि, श्री रामजी पाण्डेय, जनता श्रमिक संघ के संयुक्त महासचिव, श्री एस०के० बक्शी, आल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री दीप्तेन्दु मुखर्जी एवं श्री गोपीनाथ बक्शी, सी०आइ०टी०यू० के प्रतिनिधि, श्री आर०बी० सिंह, आल इण्डिया माइनिंग पर्सोनल एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा श्री बिजय कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि वे आगामी निर्धारित तारीख को जांच न्यायालय में विधिवत प्राधिकृत हाजिरी पत्र फाइल करें । इसी तरह, श्री अनवर मियाँ, श्री फग्गू भुइयाँ, श्री बिजय कुमार महतो तथा श्री शिव प्रसाद लाल भी अगली तारीख को निश्चित रूप से अपनी पहचान तथा अपना हित स्पष्ट करते हुए अपना हस्ताक्षर युक्त हाजिरी पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

श्री सी०के०वी०एन० राव तथा डा एस०एम० कोलय को नांमाकन के उस आदेश की सत्य प्रतिलिपि फाइल करने का निदेश दिया गया जिसमें उन्हें मालिक के रूप में नामित किया गया हो और यह स्पष्ट किया गया हो कि विधि के किस उपबंध के अन्तर्गत नामांकनों के आदेश को आगामी निर्धारित तारीख तक पारित किया गया है । उन्हें उसी दिन इस न्यायालय में श्री यू०डब्लू० दाते तथा श्री एस०एस० सालोदकर के पक्ष में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में विधिवत निष्पादित पावर आफ अटार्नी भी फाइल करनी होगी तथा अपनी पहचान और स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी ।

(क) मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद को भी उनके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से इसमें आगे उल्लिखित फार्म में अपना बयान स्वयं उपस्थित होकर या पावर आफ अटर्नी का निष्पादन करके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या पावर ऑफ अटर्नी वकालतनामा भरकर किसी वकील के माध्यम से फाइल करने का निदेश दिया गया ।

(ख) सभी संबंधित चारों खदानों के प्रबंधक-वर्ग तथा सभी अभिकर्ताओं, प्रबंधकों को भी निदेश दिया गया कि वे नीचे उल्लिखित फार्म में अपना बयान उसी भांति या तो स्वयं अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी एडवोकेट के माध्यम से फाइल करें । यह भी निदेश दिया गया कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध दिनों 26 तथा सितम्बर 1995 को गज़ली टाँड, बेरा, साउथ गोबिन्दपुर तथा कतरास चतुडीह कोयलाखानों में घटित दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें भी अपने बयान इसमें आगे बताये गए फार्म में उसी तरह या तो स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा ।

यह आदेश उपर्युक्त व्यक्तियों पर लागू और बाध्यकारी होगा (उपयुक्त व्यक्तियों से तात्पर्य पैरा ''क'' तथा ''ख'' में उल्लिखित व्यक्तियों से है) तथा श्री एस०जे० सिब्बल, निदेशक (सी०एम०सी०) खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद की ओर से उन्हें तामील किए गए आदेश की एक प्रति एक सप्ताह के भीतर उपर नामित मालिको के माध्यम से अनुपालन करने के लिए प्राप्त करेंगे । फिर भी आदेश की एक प्रतिलिपि अनुपालन के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सीधे तामील की जा सकती है।

वकीलों को अपने पूरे पते तथा उस पार्टी के नाम तथा पते के साथ जिसके लिए वह हाजिर हो रहा है अपनी हाजिरी स्लिप/वकालतनामा फाइल करने पर ही पार्टी की ओर से हाजिर होने तथा मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है तथा ऐसे वकील को उसे बिना कोई पूर्व सूचना के न्यायालय द्वारा किसी भी समय हाजिर होने से रोका जा सकता है ।

उपर्युक्त पार्टियों को निदेश दिया जाता है कि वे लिखित बयान/सूचना की 12 प्रतियाँ, शपथपत्र की 12 प्रतियों के साथ फाइल करें । सभी सूचना/लिखित बयान के साथ शपथनत्र भी प्रस्तुत किए जाएँ तथा फाइल किए जाएँ । वे गज़ली टाँड, बेरा, कतरास चेतुडीह तथा साउथ गोबिन्दपुर के संबंध में एक ही दस्तावेज में फाइल न करके अलग अलग फाइल किए जाने चाहिए ।

उपर्युक्त पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम्युनिटी हाल, सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बरवा रोड, धनबाद में गज़ली टाँड कोयलाखान के संबंध में दिनांक 3.4.1997 और 4.4.1997 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा 2.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच

सभी सूचना/लिखित बयान फाइल करें तथा दिनांक 5.4.1997 को उसी समय और स्थान पर अन्य उपर्युक्त कोयलाखानों, अर्थात बेरा, कतरा चतुडीह तथा साउथ गोबिन्दपूर से संबंधित सभी सूचना/लिखित बयान फाइल करें । उक्त तारीखों को सभी सूचना/लिखित बयान अध्यक्ष के सचिव तथा न्यायालय अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे । सभी सूचना/लिखित बयान अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए । यदि ये किसी दूसरी भाषा में लिख गए हों तो उनके अंग्रेजी अनुवाद की 12 प्रमाणित की हुई प्रतियाँ संलग्न की जाए । अनुवादित प्रति को सामान्यतः उस पार्टी की ओर से हाजिर होन वाले किसी एडवोकेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी मोहर के साथ सही प्रतिलिपि के रूप में साक्ष्यांकित होना चाहिए ।

सूचना/लिखित बयान के समर्थन में फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या पब्लिक नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए । शपथपत्र को प्रथम पुरूष की भाषा में लिखा जाना चाहिए और पैराओं में विभाजित होना चाहिए जिन पर लगातार क्रम सं० डाली गई होनी चाहिए । प्रत्येक विषयवस्तु से संबंधित तथ्यों या सारवान तथ्यों के कथन को अलग अलग पैराओं में लिखा होना चाहिए ।

शपथपत्र के आरम्भ में अभिसाक्षी का हुलिया, व्यवसाय, डाक का पता एवं आवास का सही स्थान तथा उसकी आयु का उल्लेख होना चाहिए । प्रत्येक शपथपत्र के अन्त में निम्नलिखित रूप से सत्यापन किया होना चाहिए :-

''सत्यापित किया जाता है कि इस शपथपत्र के पैरा संख्या ———— में किया गया कथन मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है तथा शपथपत्र के पैरा संख्या ———— का कथन प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित है, जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास है तथा शपथपत्र के पैरा संख्या ———— की विषय वस्तु कागजात के परिशीलन पर आधारित है और शपथपत्र के पैरा ———— की विषयवस्तु विधिक सलाह पर आधारित है, जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास है । इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । ईश्वर मेरी सहायता करें ।

अभिसाक्षी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

मजिस्ट्रेट अथवा प्राधिकारी जिसके सम्मुख यह शपथ ली जाती है वह निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगाः-
''अभिसाक्षी ने मेरे सम्मुख शपथ ली जिसकी पहचान मेरी संतुष्टि के लिए श्री ———— ने कराई अथवा मैं व्यक्तिगत रूप से उसे जानता हूँ । यह शपथपत्र अभिसाक्षी को पूरी तरह पढ़ कर सुनाया गया जिसने इसे समझने तथा सही स्वीकार करने के बाद इस पर आज तारीख ——— माह———— वर्ष ———— को ———— बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अपने हस्ताक्षर किए हैं ।''

तारीख

(मजिस्ट्रेट/प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर)

यदि शपथपत्र में दी गई कोई सूचना किसी दस्तावेज या रिकार्ड से ली गई है तो उसका विवरण तथा ऐसे दस्तावेज का स्वरूप तथा यह निर्दिष्ट किया जाए कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में है तथा ऐसी सूचना का स्रोत स्पष्ट किया जाना चाहिए । यदि शपथपत्र के किसी भाग को अभिसाक्षी से प्राप्त सूचना के आधार पर सत्यापित किया जाता है जो उसे ऐसी सूचना के स्रोत को बताना होगा ।

पार्टी को यह भी निदेश दिया जाता है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सूची फाइल करे जिन पर वह पार्टी जो सूचना/लिखित बयान/शपथपत्र फाइल करेगी, विश्वास करती है । पार्टी उन गवाहों की एक सूची भी फाइल करेगी और उन सभी का पूरा विवरण तथा पते भी देगी जिनका वह पार्टी अपने शपथपत्र में दिए बयान/सूचना/लिखित बयानों के समर्थन में परीक्षण करना चाहती है । इसके साथ वह उन तथ्यों का सारांश भी देगी जिनके संबंध में पार्टी या ऐसे गवाहों द्वारा साक्ष्य देने की संभावना हो । गवाह के नाम के सामने पार्टी संक्षेप में उन तथ्यों को देगी जिन्हें परीक्षण में गवाह से साबित कराए जाने की आशा हो ।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि किसी दस्तावेज पर विश्वास करने वाली पार्टी को मूल दस्तावेज अथवा उपर्युक्त शपथपत्र के साथ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करनी होगी । यदि ऐसे दस्तावेज पार्टी के कब्जे में या नियंत्रण में नहीं है तो पार्टी को उस व्यक्ति का विवरण देना होगा जिसकी अभिरक्षा में वे दस्तावेज हैं, इसके साथ उसे उस दस्तावेज का विवरण भी देना होगा । यदि वह दस्तावेज कोई सरकारी अभिलेख हो तो पार्टी द्वारा उस विभाग या अधिकारी के बारे में बताया जाना होगा जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वह दस्तावेज है ।

उपर्युक्त बातों का अनुपालन नहीं किए जाने पर वह सूचना/लिखित बयान तथा उनके समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र को अस्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है और अनावश्यक स्थगन को रोका जा सकता है ।

उपर्युक्त पार्टी को या उसके प्रतिनिधि को इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए अध्यक्ष के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित निःशुल्क सौंप दी जाए । पार्टी या उसका प्रतिनिधि इसकी पावती देगा ।

हस्ताक्षर
(एस०के० मुखर्जी)
अध्यक्ष

दिनांकः 27 फरवरी, 1997
धनबाद ''

27 फरवरी 1997 का उक्त आदेश कार्यवाही को व्यवस्थित करने के लिए काफी प्रासंगिक और सार्थक है। सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में इस कार्यवाही में भाग लेने के लिए अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक संख्या में पार्टियाँ पेश हुई थीं । मुझे एक सक्षम व्यक्ति के रूप में दुर्घटना के घटित होने के कारणों तथा परिस्थितियों की एक औपचारिक जाँच आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया था तथा मुझे केन्द्रीय सरकार को इस दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों को बताते हुए तथा उसके साथ कोई अवलोकनों/टिप्पणी को लगाते हुए जिन्हें मैं अथवा कोई भी असेसर प्रकट करना उचित समझे इसकी रिपोर्ट भी देनी थी ।

27 फरवरी 1997 के आदेश द्वारा पार्टियों को निर्देश दिया गया था कि :-

(i). वे लिखित कथन/सूचना की 12 प्रतियों के साथ शपथपत्र की 12 प्रतियाँ फाइल करें ।

(ii). सभी सूचनाएँ/लिखित कथन अंग्रेजी भाषा में लिखे होने चाहिएं । यदि इन्हें किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो तो इसके साथ उनके अंग्रेजी अनुवाद की 12 अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करने का निदेश दिया गया था । सभी सूचना/लिखित बयान/शपथपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही फाइल किए गए थे ।

(iii). शपथपत्र को किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या पब्लिक नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए ।

(iv). शपथपत्र को प्रथम पुरूष में लिख जाने तथा लगातार क्रम संख्यावार पैराओं में विभाजित किए जाने का निदेश दिया गया । यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक विषय वस्तु से सम्बन्धित तथ्यों या तथ्यों के थन कथन का अलग अलग पैराओं में वर्णन किया जाए ।

(v). किसी प्रकार के सन्देह, अतिरंजन, झूठे तथा बनावटी गवाहों इत्यादि को प्रस्तुत करने के प्रयास से बचने के लिए आदेश में शपथपत्र के फार्म को विशेष रूप से दिया गया था ।

(vi). सत्यापन खण्ड को ''व्यक्तिगत जानकारी'', ''प्राप्त जानकारी'', ''कागजात के अवलोकन'' और ''विधिक सलाह'' के आधार पर पैराओं के सत्यापन के विशेष संदर्भ में दिया गया था ।

(vii). यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि शपथपत्र में दी गई कोई सूचना किसी दस्तावेज या रिकार्ड से ली गई है तो उनका विवरण तथा ऐसे दस्तावेज का स्वरूप तथा यह भी निर्दिष्ट किया जाए कि वह दस्तावेज किस व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं तथा ऐसी सूचना का स्रोत भी बताया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ''यदि किसी भी शपथपत्र को अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सत्यापित किया जाता है तो उसे ऐस सूचना के स्रोत को बताना होगा ।''

(टिप्पणी :- उपर्युक्त खंड का उल्लेख अभिसाक्षी को शपथपत्र फाइल करने की प्रथम अवस्था में ही ऐसे व्यक्तियों का नाम देने से रोकने की दृष्टि से किया गया था जिनसे उसने सूचना प्राप्त की थी और इस लिए ऐसे व्यक्ति अधिसंभाव्य गवाह बन जाएँगे ।)

(viii) पार्टियों को निदेश दिया गया था कि वे ऐसे दस्तावेजों की सूची फाइल करें जिनपर वे भरोसा करना चाहती हैं ।

(ix) पार्टियों को गवाहों की सूची उनके विवरणों के साथ फाइल करने का निदेश दिया गया था तथा उन्हें यह भी निदेश दिया गया था कि वे उन तथ्यों को संक्षेप में दर्शाएं जिन्हें वे परीक्षण में गवाहों से साबित कराने की आशा करती हैं ।

(x) जिन दस्तावेजों का सहारा लिया जाना था या जिन्हें तहत किया जाना था उनके संबंध में संबंधित आदेश में विशेष निदेशों को शामिल किया गया था ।

(टिप्पणी :- उपर्युक्त निदेश समय की बचत करने की दृष्टि से भी जारी किए गए थे)
उपर्युक्त निदेशों के अलावा पार्टियों को निदेश दिया गया था कि हाजिरी स्लिप फाइल करते समय उसमें अपने वकील का अथवा प्रतिनिधि का नाम उनके पूरे विवरण के साथ दें और प्रत्येक पार्टी को निदेश दिया गया था कि वे आरम्भ में ही तथ्यों के कथन/शपथपत्र की 12 प्रतियाँ फाइल करें ।

27.2.1997 के आदेश के अनुपालन में, कुछ पार्टियों ने अपने तथ्यों के कथन शपथपत्र के साथ 3 तथा 4 अप्रेल 1997 को फाइल किए तथा कुछ पार्टियों की माँग पर उन्हें 27.2.1997 के आदेश का अनुपालन

करने के लिए ओर समय मंजूर किया गया । दिनांक 27.2.1997 के आदेश के अनुपालन में संबंधित कोयला खानों के आरोपी व्यक्तियों ने, जिनका नाम नीचे दिया गया है, भी अपने तथ्यों के कथन फाइल किए।

तालिका संख्या 1.4

क्रम सं०	पार्टियों का नाम	पदनाम	खदान का नाम
1.	सुदीन कुमार दत्ता	वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर	गज़ली टॉड
2.	एस०एन० उपाध्याय	ओभरमैन	गज़ली टॉड
3.	विरजु रबिदास	फायरमैन	गज़ली टॉड
4.	रमेश खन्ना	मुख्य महाप्रबंधक	गज़ली टॉड
5.	नागेन्द्र सिंह	प्रबंधक	गज़ली टॉड
6.	भवानी प्रसाद महतो	हाजिरी लिपिक	गज़ली टॉड
7.	श्री कुमार घोष	वरिष्ठ सहायक कोयला खान प्रबंधक	गज़ली टॉड
8.	बाली साव	बैंक्समैन	गज़ली टॉड
9.	डूमर महतो	माइनिंग सरदार	गज़ली टॉड
10.	बृजेन्द्र कुमार	अभिकर्ता	गज़ली टॉड
11.	रिखिव दास जैन	एरिया सुरक्षा अधिकारी	गज़ली टॉड
12.	राजकुमार भुइयाँ	फायरमैन	गज़ली टॉड
13.	पी०सी० सूद	महाप्रबंधक	गज़ली टॉड
14.	पी०एन० वर्मा	सुरक्षा अधिकारी	गज़ली टॉड
15.	एम०एस० हक	वरिष्ठ ओभरमैन	बेरा
16.	महादेव प्रसाद	माइनिंग सरदार	बेरा
17.	पार्थसारथी सिंह	प्रबंधक	बेरा
18.	राम प्रकाश दीक्षित	सुरक्षा अधिकारी	बेरा
19.	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	सहायक कोयला खान प्रबंधक	बेरा
२०.	विनोद कुमार झा	प्रबंधक	साउथ गोबिन्दपुर
२१.	बारमेश्वर सिंह	हाजिरी लिपिक	साउथ गोबिन्दपुर
२२.	रवि कुमार सिन्हा	वरिष्ठ अंडर मैनेजर	साउथ गोबिन्दपुर

इसके अतिरिक्त मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के-प्रबंधक वर्ग के निम्नलिखित व्यक्तियों ने भी अपने तथ्यों के कथन/शपथपत्र फाइल किए :-

तालिका संख्या 1.5

क्रम सं०	पार्टियों का नाम	पदनाम	खदान का नाम
1.	अरूण कुमार धरणपहारी	अभिकर्ता	बेरा
2.	राजेन्द्र कुमार विद्यार्थी	अभिकर्ता	साउथ गोबिन्दपुर
3.	अरविन्द कुमार सिंह	प्रबंधक	कतरास चतुडीह
4.	सुकुमार मुखर्जी	अभिकर्ता	कतरास चतुडीह

तथ्यों का त्रुटिपूर्ण कथन

उपर्युक्त तथ्यों के कथन/शपथपत्र फाइल करने के बाद इस न्यायालय ने पार्टियों द्वारा इस प्रकार फाइल किए गए तथ्यों के कथन की संवीक्षा करने का कार्यालय को निदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिनांक 27.2.1997 के आदेश का कठोरता से अनुपालन किया जाए । संवीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त प्राप्त होने पर मुझे घोर निराशा हुई, क्योंकि दिनांक 27.2.1997 के आदेश का किसी भी पार्टी द्वारा ईमानदारी से अनुपालन नहीं किया गया था हलांकि इस न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानीपूर्वक दिनांक 27.2.1997 के आदेश में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए गए थे । इसलिए दिनांक 22 तथा 23 अप्रेल, १९९७ के अपने आदेशों द्वारा जिन्हें मैंने प्रत्येक मामले में अलग अलग पारित किया था मैंने सभी त्रुटियों को बताया और संबंधित पार्टियों को निदेश दिया कि वे इन त्रुटियों को सुधार लें और दिनांक 27.2.1997 के आदेश का पूरी तरह अनुपालन करते हुए अगली निर्धारित तारीख अर्थात 19 मई को सही प्रतिलिपि और तथ्यों का कथन फाइल करें । यहाँ यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जहाँ पर पूर्णतः सक्षम विधिक प्रकोष्ठ है तथा जिम्मेदार अधिकारी हैं उसने भी दिनांक 27.2.1997 के आदेश का ईमानदारीपूर्वक अनुपालन नहीं किया ।

तथ्यों के संशोधित कथन :-

दिनांक 22 तथा 23 अप्रैल, 1997 के आदेशों के अनुपालन में, कुछ पार्टियों ने कथित रूप से अपने तथ्यो के संशोधित कथन फाइल किए, जिसमें इस न्यायालय द्वारा बताई गई त्रुटियों को सुधार दिया गया बताया गया था । कथित रूप से संशोधित शपथपत्रों को रिकार्ड में इस शर्त पर लिया गया कि यदि उनमें अभी भी तथ्यों के कथन में कोई त्रुटि बाकी रही तो उसके विधिक परिणाम होंगे । बहरहाल, अधिकांश पार्टियों ने दिनांक 27.2.1997 के आदेश के पूर्णतः अनुपालन में तथ्यों का संशोधित कथन फाइल करने के लिए समय बढ़ाने की माँग की थी तथा उन्हें और समय मंजूर किया गया था ।

तथ्यों के कथन की अतिरिक्त प्रतियाँ :-

तत्पश्चात पार्टियों द्वारा इस न्यायालय से संयुक्त रूप से अनुरोध करने पर कि अपने मामले तैयार करने के लिए परस्पर उनके शपथपत्र/तथ्यों के कथन एक दूसरे को दिए जाएँ, न्यायालय ने अपने 24 जून, 1997 के आदेश द्वारा पार्टियों को दिनांक 15.7.1997 को संशोधित शपथपत्रों/तथ्यों के कथन की और प्रतियाँ फाइल करने का निदेश दिया । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि इससे आगे और समय मंजूर नहीं

किया जाएगा । इस जाँच न्यायालय द्वारा मांगी गई संशोधित शपथपत्रों/तथ्यों के कथन की प्रतियों की संख्या इस न्यायालय में हाजिर होनेवाली पार्टियों की संख्या के आधार पर निकाली गई थी जो कि निम्नलिखित थी :-

तालिका संख्या - 1.6

क्रम सं०	कोयला खान का नाम	प्रतियों की संख्या
1.	गज़ली टाँड कोयला खान से संबंधित पार्टियाँ	12
2.	साउथ गोबिन्दपुर कोयला खान से संबंधित पार्टियाँ	3
3.	बेरा कोयला खान से संबंधित पार्टियाँ	5
4.	कतरास चतुडीह कोयला खान से संबंधित पार्टियाँ	4

दिनांक 15/7/1997 तथा 16/7/1997 को सिवाय मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकांश पार्टियों द्वारा आपस में विनिमय करने के लिए अपने तथ्य के कथन की अतिरिक्त संशोधित प्रतियाँ फाइल की और आखिरकार दिनांक 20/10/1997 को आदेश का अनुपालन किया । मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अपनाए गए बिलम्बकारी दांव पेंचों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में उर्पयुक्त स्थान पर चर्चा की जाएगी ।

तथ्यों का कथन ः परस्पर विनिमय

पार्टियों में आपस में तथ्यों के कथन/शपथपत्र के विनिमय के परिणामस्वरुप इस जाँच न्यायालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 4/8/1997 को पार्टियों को तथ्यों के कथन/शपथपत्र की प्रतियो के सेट वितरित किए गए ।

प्रति शपथपत्र/उत्तर ः

मेरे दिनांक 2/8/1997 के आदेश के द्वारा जिसे पार्टियों को दिनांक 4/8/1997 को तामील किया गया था पार्टियों को निर्देश दिया गया था कि यदि वे इच्छुक हों तो प्रतियों की अपेक्षित संख्या के साथ पार्टियों द्वारा फाइल किये गए तथ्यों के कथन/शपथपत्र की प्रति शपथपत्र फाइल करें। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके लिए अतिरिक्त समय की मंजूरी नहीं दी जाएगी । मेरे दिनांक 2/8/1997 के आदेश के अनुपालन में श्री के0 बी0 सहाय कोयला खान श्रमिक संघ के प्रतिनिधि तथा श्री सुदिन कुमार दत्ता, इंजिनियर (ई एण्ड एम) सेवानिवृत ने दिनांक 27/8/1997 को अपनी आपत्तियाँ/उत्तर फाइल किए । सिवाय इन दो पार्टियों के किसी भी पार्टी ने अन्य पार्टियों द्वारा फाइल किए गए तथ्यों के कथन/शपथपत्र पर अपनी आपत्तियाँ/उत्तर फाइल नहीं किया ।

निकाल दी गई पार्टियाँ ः

यहाँ यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक है कि दिनांक 27/8/1997 तक अभी भी बहुत अधिक पार्टियाँ थी जिन्होने मेरे दिनाक 27/2/1997, 22-23/4/1997 तथा 24/6/1997 के आदेशों का या तो अपने तथ्यों के कथन संशोधित तथ्यों के कथन फाइल न करके या पार्टियों के बीच आपस में परस्पर विनिमय करने के लिए तथ्यों के कथन/शपथपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ फाइल न करके अनुपालन नहीं किया था । इसलिए मैंने निर्णय लिया कि ऐसी पार्टियों को अभियोजन न करने इत्यादि के कारण निकाल दिया जाना चाहिए ।

पार्टियों की कुल सख्या उनके द्वारा तथ्यों के कथन फाइल करने की तारीख, उनके द्वारा अभिकथित संशोधित तथ्यों के कथन फाइल करने की तारीख, परस्पर विनिमय के लिए तथ्यों के कथन की अतिरिक्त प्रतियाँ फाइल करने की तारीख, उत्तर/आपत्तियाँ फाइल करने की तारीख तथा अभियोजन न करने इत्यादि के कारण पार्टियों को निकाल देने की तारीख का विस्तृत चार्ट निम्नलिखित प्रकार से है :

तालिका संख्या 1 7

संख्या	पार्टियों का नाम	27/2/97 के आदेश के अनुपालन में तथ्यों का कथन फाइल करने की तारीख	22/4/97 23/4/97 के आदेश के अनुपालन में तथ्यों का संशोधित कथन फाइल करने की तारीख	परस्पर विनिमय के लिए तथ्यों के कथन की अतिरिक्त प्रतियाँ फाइल करने की तारीख	दिनांक 2/8/1997 के आदेश के अनुपालन में जिसे दिनांक 4/8/97 को पार्टियों का तामील किया गया प्रति उत्तर फाइल करने की तारीख	अभियोजन न करने के कारण पार्टी/पार्टियों को निकाल देने के आदेश की तारीख
1.	कोयला खान श्रमिक संघ	4/4/97	19/5/97	15/7/97	27/8/97	-
2.	इण्डियन नेशनल माइन्स वर्कर्स फेडरेशन	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
3.	समता पार्टी	4/4/97	-	-	-	24/6/97
4.	अनवर मियाँ	-	-	-	-	23/4/97
5.	फग्गू भुइयाँ	-	-	-	-	23/4/97
6.	विजय कुमार महतो	5/4/97	प्रार्थना समर्थनीय नहीं था	-	-	19/5/97
7.	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि0	4/4/97	20/5/97	22/10/97	-	-
8.	इण्डियन नेशनल माइन्स ओभरमैन सरदार तथा शार्टफायरर्स एसोसियेशन	23/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
9.	शिव प्रकाश लाल	अपना नाम वापस ले लिया	-	-	-	23/4/97
10.	बिहार जनता खान मजदूर संघ	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
11.	बिहार कोयला खान कामगार यूनियन	5/4/97	24/6/97	15/7/97	-	-
12.	कोल माइन्स आफिसर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया	5/4/97	25/6/97	15/7/97	-	-
13.	अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ	23/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
14.	धनबाद कोयला खान कर्मचारी संघ	23/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
15.	जनता श्रमिक संघ	4/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
16.	आल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन	4/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
17.	सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	4/4/97	20/5/97	4/8/97	-	-
18.	आल इण्डिया माइनिंग पर्सोनल	5/4/97	15/7/97	15/7/97	-	24/6/97 27/8/97

	एसोसियेशन					
19.	भारतीय जनता पार्टी	-	-	-	-	23/4/97
20.	बिहार प्रदेश जनता दल	-	-	-	-	23/4/97
21.	श्री आनन्दमय पाल	5/4/97	24/6/97	16/7/97	-	-
22.	पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज	5/4/97	-	-	-	24/6/97
23.	मजदूर संगठन समिति	4/4/97	19/5/97	-	-	24/6/97
24.	सुदिन कुमार दत्ता	3/4/97	19/5/97	15/7/97	27/8/97	-
25.	एस0 एन0 उपाध्याय	4/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
26.	बिरजू रविदास	3/4/97	-	अनुपालन नहीं किया था	मामला लंबित रखा गया	24/6/97
27.	रमेश खन्ना	4/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
28.	नगेन्द्र सिंह	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
29.	भवानी प्रसाद महतो	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
30.	श्रीकुमार घोष	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
31.	बाली साव	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
32.	डुमेर महतो	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
33.	बृजेन्द्र कुमार	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
34.	रिखिव दास जैन	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
35.	राजकुमार भुइयाँ	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
36.	पी0 सी0 सूद	4/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
37.	पी0 एन0 वर्मा	3/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
38.	एम0 एस0 हक	5/4/97	26/6/97	15/7/97	-	-
39.	महादेव सिंह	5/4/97	19/5/97	15/7/97	-	-
40.	पार्थसार्थी सिंह	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
41.	राम प्रकाश दीक्षित	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
42.	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
43.	विनोद कुमार झा	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
44.	वरमेश्वर सिंह	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
45.	रवि कुमार सिन्हा	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
46.	अरुण कुमार चरणपहाड़ी	5/4/97	24/6/97	15/7/97	-	-
47.	राजेन्द्र कुमार विद्यार्थी	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
48.	अरविन्द कुमार सिंह	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
49.	सुकुमार मुखर्जी	5/4/97	20/5/97	15/7/97	-	-
50.	खान सुरक्षा महानिदेशालय	22/10/97	-	15/7/97	-	-
51.	बिहार राज्य	22/10/97	-	22/10/97	-	-
52.	श्रीमती रीता वर्मा	4/8/97	-	4/8/97	-	-
53.	इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन	25/6/97	-	15/7/97	-	-

बाद के चरण में पार्टियों का हाजिर होना

श्रीमती रीता वर्मा

स्थानीय संसद सदस्या श्रीमती रीता वर्मा सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में अपने प्रतिनिधि श्री गोपाल प्रसाद के माध्यम से पहली बार दिनांक 24/6/1997 को हाजिर हुई और उन्होनें न्यायालय से न्यायालय के दिनांक 27/2/1997 के आदेश के अनुपालन में तथ्यों का कथन तथा शपथपत्र फाइल करने के लिए समय देने की प्रार्थना की । न्यायालय ने तथ्यों का कथन विलम्ब का कारण एक आवेदन पत्र सहित 15/7/1997 तक फाइल करने का समय दिया । दिनांक 15/7/1997को भी श्रीमती रीता वर्मा की ओर से तथ्यों का कथन फाइल करने में असमर्थता व्यक्त की गई । इस न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि इस प्रकार समय लेने की कार्रवाई से न्यायालय की कार्यवाही बाधित हो रही है उन्हें दिनांक 27/2/1997 के आदेश का अनुपालन करने के लिए अन्तिम अवसर के रुप में 4/8/1997 तक का समय दिया गया । उपर्युक्त तालिका को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती रीता वर्मा ने जिसका नाम तालिका में क्रम संख्या 52 पर दर्शाया गया है अपने तथ्यों का कथन अगस्त 1997 को ही फाइल किया था जिसे रिकार्ड में लिया गया और श्रीमती रीता वर्मा को कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी ।

इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन :

इसी प्रकार इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन भी अपने प्रतिनिधि श्री एस0 पी0 राय (भूतपूर्व मंत्री) जिनका नाम क्रम संख्या 53 पर दर्शाया गया है, के माध्यम से पहली बार इस न्यायालय के सम्मुख दिनांक 25/6/1997को हाजिर हुई और उसने तथ्यों के कथन/शपथपत्र की केवल एक प्रति फाइल की । इस न्यायालय ने इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन की ओर से हाजिर हुए, विद्वान वकील को सुनने के बाद तथ्यों के कथन को रिकार्ड में लिया और उन्हें पार्टियों के बीच परस्पर विनिमय के लिए इसकी 23 प्रतियाँ और फाइल करने का निदेश दिया । इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन की ओर से तथ्यों के कथन की अपेक्षित संख्या में प्रतियों को दिनांक 15/7/1997 को फाइल किया गया था ।

बिहार राज्य :

27/2/1997 इस न्यायलय ने बिहार राज्य को उसके मुख्य सचिव उप आयुक्त धनबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धनबाद के माध्यम से अपने 27/2/1997 के आदेश की प्रतिलिपि के साथ नोटिस जारी करने का निवेश दिया और उक्त आदेश के अनुपालन के लिए 3, 4 तथा 5 अप्रैल 1997 की तारीख निश्चित की। निर्धारित की गई तारीखों को बिहार राज्य की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ । दिनांक 4/3/1997 को बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल राजभवन पटना को भी सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई/अनुपालन करने के लिए पंजीकृत डाक द्वारा 27/2/1997 के आदेश की प्रतिलिपि के साथ नोटिस भेजे गए थे । 3/4/1997 के पत्र द्वारा जो इस न्यायालय को दिनांक 27/5/1997 को प्राप्त हुआ था श्री के0 अरुमुगम आयुक्त एवं सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने के लिए दो माह का समय माँगा गया था जिसकी उन्हें मंजूरी दे दी गई थी । श्री के0 अरुमुगम के दिनांक 31 मई 1997 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि श्रीमती एस0 जालजा, खान आयुक्त एवं सचिव बिहार सरकार खान एवं भूविज्ञान विभाग विकास भवन, पटना द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । जब दिनांक 24/6/1997 को अर्थात अगली तारीख निर्धारित को बिहार राज्य की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ तो इस न्यायालय ने दिनांक 25 जून 1998 को आदेश पारित कर दिया और उस मामले को उसी अवस्था पर फाइल करने का आदेश दिया । उपर्युक्त आदेश में आगे यह कहा गया था कि यदि बिहार सरकार इस जाँच न्यायालय में सक्रिय भूमिका निभाने के प्रति गंभीर हो तो उसे सहयोग करना चाहिए तथा इस जाँच को अनिश्चित काल तक स्थगित करने के तरीके नहीं अपनाने चाहिए । आगे यह भी निवेश दिया गया कि यदि भविष्य में बिहार राज्य द्वारा कोई कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है तो उसके द्वारा दिनांक 25 जून 1997 के उपर्युक्त आदेश का स्मरण कराने के लिए शपथपत्र के साथ आवश्यक आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए जिस पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए बिहार राज्य द्वारा की गई देरी को स्पष्ट करना होगा । उपर्युक्त आदेश श्रीमती एस0 जालजा को तामील किया गया था ।

तत्पश्चात, दिनांक 15/7/1997 को उपायुक्त, धनबाद के श्री एस0 के0 सिंह सहायक खनन अधिकारी जो जिला खनन अधिकारी धनबाद, के रुप में कार्यरत था, के माध्यम से बिहार राज्य की ओर से पहली बार न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होने 27/2/1997 के आदेश के अनुसरण में तथ्यों का कथन/शपथपत्र यदि कोई हो को फाइल करने के लिए समय मंजूर करने की प्रार्थना की और उन्हें इसके लिए दिनांक 4 अगस्त 1997 तक का समय मंजूर किया गया। 4 अगस्त 1997 को बिहार राज्य द्वारा तथ्यो का कोई कथन/शपथपत्र फाइल नहीं किया गया । यह मामला इस न्यायालय के सम्मुख दिनांक 28/8/1997 को आया और उस तारीख को तत्कालीन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 1995 को

तैयार की गई संयुक्त रिपोर्ट के साथ एक शपथपत्र जिसमें कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया गया था, फाइल किया गया । उपर्युक्त शपथपत्र में कई त्रुटियाँ विद्यमान थी। उपर्युक्त शपथपत्र को अभिवचन के प्रयोजन के लिए इस जाँच न्यायालय के रिकार्ड का एक हिस्सा नहीं माना गया ।

दिनांक 22 अक्तूबर 1997 को श्री बी0 के0 प्रसाद ए0पी0पी0, सवर न्यायालय धनबाद बिहार राज्य की ओर से हाजिर हुए और उन्होंने अपेक्षित संख्या में प्रतिलिपियों सहित समुचित तथ्यों का कथन फाइल किया । यह निदेश दिया गया था कि चूँकि बिहार राज्य की ओर से बेहद विलम्ब से तथ्यों का कथन/शपथपत्र फाइल किया गया है अतः इसे अभिवचन के प्रयोजन के लिए रिकार्ड का एक हिस्सा नहीं माना जाएगा परन्तु गवाहों की परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ।

<u>खान सुरक्षा महानिदेशक :</u>

दिनांक 24/2/1997 को खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से श्री एम0 एम0 अंसारी, वरिष्ठ विधिक अधिकारी द्वारा इस आशय की मौखिक आपत्ति उठाई गई कि इस जाँच न्यायालय के सम्मुख खान सुरक्षा महानिदेशक को कार्यवाही की एक पार्टी के रुप में नहीं माना जा सकता है परन्तु खान सुरक्षा महानिदेशक इस जाँच न्यायालय को खान अधिनियम की धारा 24 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और केन्द्रीय सरकार को उसकी रिपोर्ट देने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी भाँति इस जाँच न्यायालय को खान अधिनियम की धारा 24 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मालिकों, अभिकर्ताओं प्रबंधकों तथा प्रबंधन ट्रेड यूनियनों तथा व्यक्तिगत पार्टियों सहित सभी पार्टियों से विधि के अन्तर्गत अपना पूर्ण सहयोग देने की अपेक्षा की गई थी । अतः खान सुरक्षा महानिदेशक को एक पार्टी माना जाए अथवा नहीं इस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित था ।

3 अप्रैल 1997 को मैंने एक आदेश पारित करके खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को उनके द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार 19 अप्रैल 1997 को या उससे पूर्व लिखित आवेदन फाइल करके अपनी आपत्तियों को उठाने के कारण बताने का निदेश दिया । 3 अप्रैल 1997 के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के निदेशक (सी एम सी) श्री एस0 जे0 सिब्बल द्वारा दिनांक 17/4/1997 को हस्ताक्षरित उत्तर फाइल किया गया जो इस न्यायालय को 19/4/1997 को प्राप्त हुआ ।

मामले की गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने तथा खान दुर्घटनाओं की विभिन्न रिपोर्टों की परीक्षा करने के बाद दिनांक 23/4/1997 के अपने आदेश द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि खान सुरक्षा महानिदेशक एक महत्वपूर्ण पार्टी है और उनका सहयोग अत्यधिक मूल्यवान है । तकनीकी अर्थ में वह कोई अभियोजक नहीं है किन्तु अपनी तकनीकी पृष्ठभूमि तथा सुरक्षा विभाग का प्रमुख होने के कारण गवाहों से प्रति परीक्षा द्वारा सही बात को उगलवाने के लिए

वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा । अतः खान सुरक्षा महानिदेशक को पार्टी बनाया गया तथा उसे निदेश दिया गया कि वह मेरे दिनांक 27/2/1997 के आदेश के अनुरुप अन्य पार्टियों की भाँति शपथपत्र के साथ तथ्यों का कथन फाइल करें । यह स्पष्ट किया जाता है कि खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद ने मेरे दिनांक 27/2/1997 के आदेश के पूर्ण अनुपालन में समुचित रुप से तथ्यों के कथन\शपथपत्र को फाइल करने के बजाए अपनी निजी प्रक्रिया का चयन करते हुए शपथपत्र के साथ खान अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत तैयार की गई सांविधिक रिपोर्ट फाइल की ।

<u>यूनाइटेड कोल वर्कर्स फेडरेशन ः</u>

यह पार्टी भी देरी से हाजिर हुई । इस न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनकी उपस्थिति बेहद विलम्ब से हुई थी और उस विलम्ब के कारण को इस न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए स्पष्ट नहीं किया था । इसलिए उक्त पार्टी को इस जाँच न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

<u>साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए तारीखें ः</u>

प्रतिशपथपत्र/उत्तर आमंत्रित करने के बाद मैने साक्ष्य रिकार्ड करने की कार्यवाही आरम्भ की यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस जाँच की विषयवस्तु चार खदानों अर्थात गज़लीटांड़ बेरा, साउथ गोबिन्दपुर और कतरास चतुडीह कोयलाखानों से संबंधित थी । सभी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए इस न्यायालय ने निर्णय लिया कि सबसे पहले केवल गज़लीटाँड़ कोयलाखान से संबंधित साक्ष्य रिर्काड कर लिए जाएं और इस प्रकार के साक्ष्य रिकार्ड करने का काम पूरा होने के बाद अन्य तीनों कोयलाखानों के संबंध में साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए तारीखें निर्धारित की जाएगी । इस प्रकार मैंने दिनांक 27 अगस्त 1997 के अपने आदेश द्वारा साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए 15 से 19 सितम्बर 1997 तक की तारीखें निर्धारित की । उसी दौरान गवाहों की सूची तथा दस्तावेज यदि उनका उल्लेख नहीं किया गया हो भी आमंत्रित किए गए । यह भी स्पष्ट किया गया कि यह न्यायालय पहले मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का साक्ष्य रिकार्ड करेगा और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साक्ष्य रिकार्ड करने के कार्य की समाप्ति के बाद रिकार्ड में उल्लिखित अन्य इच्छुक पार्टियों के साक्ष्य रिकार्ड किए जाएंगे तथा अन्ततः उपर दर्शाए गए अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशक अपने साक्ष्य देगा । आगे यह भी स्पष्ट किया गया कि पार्टियों को परीक्षा के लिए अपने गवाहों को लाने और उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने जिन पर वे निर्भर करती है अथवा गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के हेतु समन जारी करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी । जब इस न्यायालय ने यह निर्णय ले लिया कि पहले केवल गज़ली टाँड कोयलाखान से संबंधित साक्ष्य ही रिकार्ड किए जाँएगें. चारों कायलाखानों के सभी आरोपी व्यक्तियों तथा प्रबंधन सहित निम्नलिखित पार्टियों को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

(तालिका संख्या 1.8)

क्रम सं0	पार्टी का नाम	गज़लीटाँड़	साउथ गोबिन्दपुर	कतरास चैतूडीह	बेरा
1.	बिहार कोलियरी कामगार यूनियन	हाँ	-	-	हाँ
2.	इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	कोल माइन्स आफिसर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	आल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन	हाँ	-	-	-
5.	बिहार जनता खान मजदूर संघ	हाँ	-	-	-
6.	खान सुरक्षा महानिदेशक	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	जनता श्रमिक संघ	हाँ	-	हाँ	-
9.	अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ	हाँ	हाँ	हाँ	-
10.	धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ	हाँ	हाँ	हाँ	-
11.	इण्डियन नेशनल माइन्स ओभरमैन्स सरदार्स एण्ड शार्टफायरर्स एसोसियेशन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12.	कोलियरी श्रमिक संघ	हाँ	-	-	-
13.	इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन	हाँ	-	-	-
14.	श्रीमती रीता वर्मा (संसद सदस्या)	हाँ	-	-	-
15.	बिहार राज्य	हाँ	-	-	-
16.	सी0 आई0 टी0 यू0	हाँ	-	-	-
17.	सुदिन कुमार दत्ता (आरोपी)	हाँ	-	-	-
18.	एस0 एन0 उपाध्याय (आरोपी)	हाँ	-	-	-
19.	बिरजू रविदास(आरोपी)	हाँ	-	-	-
20.	रमेश कुमार(आरोपी)	हाँ	-	-	-
21.	नगेन्द्र सिंह(आरोपी)	हाँ	-	-	-
22.	भवानी प्रसाद महतो(आरोपी)	हाँ	-	-	-
23.	श्री कुमार घोष(आरोपी)	हाँ	-	-	-
24.	बाली साव(आरोपी)	हाँ	-	-	-
25.	डुमेर महतो(आरोपी)	हाँ	-	-	-
26.	बृजेन्द्र कुमार(आरोपी)	हाँ	-	-	-
27.	रिखिब दास जैन(आरोपी)	हाँ	-	-	-
28.	राजकुमार भुइयाँ(आरोपी)	हाँ	-	-	-
29.	पी0 सी0 सूद(आरोपी)	हाँ	-	-	-
30.	पशुपति नाथ वर्मा(आरोपी)	हाँ	-	-	-
31.	विनोद कुमार झा(आरोपी)	-	हाँ	-	-
32.	रवि कुमार सिन्हा(आरोपी)	-	हाँ	-	-
33.	बरमेश्वर सिंह(आरोपी)	-	हाँ	-	-
34.	राजेन्द्र कुमार विद्यार्थी(प्रबंधन)	-	हाँ	-	-

35.	अरविन्द कुमार सिंह(प्रबंधन)	-	-	हाँ	-
36.	सुकुमार मुखर्जी(प्रबंधन)	-	-	हाँ	-
37.	आनन्दमय पाल (व्यक्तिगत पार्टी)	-	-	-	हाँ
38.	महादेव प्रसाद(आरोपी)	-	-	-	हाँ
39.	एम0एस0 हक(आरोपी)	-	-	-	हाँ
40.	सत्येन्द्र प्रसाद सिंह(आरोपी)	-	-	-	हाँ
41.	पार्थसारथी सिंह(आरोपी)	-	-	-	हाँ
42.	राम प्रकाश दीक्षित(आरोपी)	-	-	-	हाँ
43.	अरुण कुमार चरणपहाड़ी (प्रबंधन)	-	-	-	हाँ

उपर्युक्त चार्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत गज़ली टाँड की कुल 30 पार्टियों, साउथ गोविन्दपुर की 11 पार्टियों, कतरास चतुर्डीह की 10 पार्टियों तथा बेरा कोयलाखान की 13 पार्टियों को इस जाँच न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी ।

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के संबंध में कार्यवाहियों को बढाया जाना

जैसा कि उपर कहा गया है कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से सर्वप्रथम साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए तारीखें निर्धारित करने के बाद मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से आवेदन पत्र फाइल किए गए थे जिस कारण इस न्यायालय के सम्मुख कार्यवाहियों को बढाना पड़ा ।

धारा 23 (2) के अधीन रिपोर्ट की स्वीकार्यता के विरुद्ध आवेदन

खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद द्वारा फाइल की गई खान अधिनियम की धारा 23 (2)के अन्तर्गत जाँच रिपोर्ट की स्वीकृति के विरुद्ध दिनांक 27 अगस्त 1997 का ऐसा ही एक आवेदन पत्र था । उपर्युक्त आवेदन की एक प्रतिलिपि खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को तामील की गई और उनसे उसका जवाब फाइल करने को कहा गया और जैसी कि उपर्युक्त आवेदन में प्रार्थना की गई थी उसे दिनांक 15 सितम्बर 1997 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करने का निदेश दिया गया । नोटिसबोर्ड पर विधिवत लगाए गए इस आशय के न्यायालय के नोटिसों के बावजूद कि प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ शपथपत्र लगा होना चाहिए, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने उपर्युक्त आवेदन के साथ किसी जिम्मेदार अधिकारी का शपथपत्र नहीं लगाया था । दिनांक 15/9/1997 को श्री एस0 सी0 मल्लिक एडवोकेट ने उपर्युक्त आवेदन के साथ शपथपत्र फाइल करने के लिए समय मांगा और उन्हें समय दिया गया । यह मामला इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22/10/1997 को आया उस दिन खान सुरक्षा महानिदेशक ने अपना उत्तर फाइल किया । दोनों पार्टियों को सुनने तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री की परीक्षा करने के बाद इस न्यायालय ने अपने दिनांक 23/10/1997 के आदेश द्वारा उपर्युक्त आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया यह कहा गया कि ऐसी रिपोर्ट की स्वीकार्यता या

महत्व साक्ष्य रिकार्ड करने के बाद, उपयुक्त अवस्था पर परीक्षा किए जाने वाले कई तथ्यों पर निर्भर करता है तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सहित पार्टियों को बहस के स्तर पर इसे चुनौती देने की छूट होगी । खान अधिनियम के धारा 23 के अन्तर्गत दी गई रिपोर्ट को स्वतः ही खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में नहीं बदला जा सकता है । इसके लिए विधि के अन्तर्गत अपेक्षित भिन्न परीक्षण करने होते हैं । खान अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत सांविधिक रिपोर्ट पूर्व न्याय के रुप में प्रवर्तित नहीं होगी ।

साक्ष्य को आस्थगित करने के लिए आवेदन

दिनांक 15/9/1997 अर्थात् मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों के अभिसाक्ष्य को रिकार्ड करने की तारीख को, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से एक अन्य आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन की ओर से गवाहों के परीक्षण को आस्थगित रखने का अनुरोध किया गया था । उपर्युक्त आवेदन पत्र में कहा गया था कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 23 (2) के अन्तर्गत तैयार की गई तथा फाइल की गई जाँच रिपोर्ट की स्वीकृति के विरुद्ध आवेदन फाइल किया है । और इसलिए उपयुक्त आवेदन का निपटारा होने तक मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से गवाहों के परीक्षण को आस्थगित रखा जाए । मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से श्री एस सी मल्लिक एडवोकेट की सुनवाई करने के बाद इस न्यायालय ने माना कि संदर्भगत आवेदन को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित किए गए अनुसार साक्ष्य रिकार्ड नहीं किया जा सकता है तथा कोई गवाह भी उपस्थित नहीं था । दिनांक 22/10/1997 को उपर्युक्त आवेदनपत्र मेरे समक्ष आदेश के लिए आया । जैसा कि मैंने पहले ही निर्णय किया था यह आवेदन खान अधिनियम की धारा 23 (2) के अधीन जाँच रिपोर्ट की स्वीकृति के विरुद्ध था जिसे श्री एस सी मलिक द्वारा फाइल किया गया था इस न्यायालय ने माना कि आवेदन के आधार पर गवाहों की परीक्षा को आस्थगित रखने के लिए किसी आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और आवेदन का स्वतः ही निपटारा हो गया ।

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अनुच्छेद 20 3 के अन्तर्गत अभिवाक्

आरम्भ में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से दिनांक 4/4/1997 को श्री सी0 के0 बी0 एन0 राव, निदेशक तकनीकी पी एण्ड पी द्वारा तथ्यों का कथन/शपथपत्र फाइल किया गया था जिसे इसमें आगे शपथपत्र संख्या 1 कहा गया है । इस तथ्यों के कथन/शपथपत्र में कई त्रुटियां विद्यमान थी इनमें अधिकांश इस न्यायालय के दिनांक 27/2/1997 के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण थीं। यद्यपि उसी अभिसाक्षी के हस्ताक्षर से बाद में एक संशोधित शपथपत्र के साथ एक दूसरा तथ्यों का कथन फाइल किया गया था जिसे इसमें आगे

शपथपत्र संख्या 2 कहा गया है । इस शपथपत्र संख्या 2 के पैराग्राफ संख्या 22 में इस प्रकार कहा गया है ः

22 प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन को ध्यान मे रखते हुए कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े प्रबंधन आगे कुछ प्रकट करना नहीं चाहता हा और अपना बयान अतिरिक्त शपथपत्र के रुप में देने के लिए यदि ऐसा अपेक्षित हो अनुमति देने की याचना करता है ।

वस्तुतः शपथपत्र संख्या 2 के उपर्युक्त उल्लिखित पैरा संख्या 22 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 20 3 के अन्तर्गत अभिवाक् किया गया । पैराग्राफ संख्या 22 की विषय वस्तु को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वकील की जानकारी में दिनांक 15/9/1997 को लाया गया और इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रबंधन किसी विधि न्यायालय में लम्बित किसी अभियोजन में अभियुक्त है । अपने उत्तर में उसने बताया कि शपथपत्र संख्या 2 के पैराग्राफ संख्या 17 में इसने प्रकट किया है कि किसके विरुद्ध सक्षम विधि न्यायालय धनवाद में एक जी आर केस संख्या 3576 वर्ष 1995 पी0 एस केस संख्या 334 वर्ष 1995 आपराधिक मामला लम्बित था । मैने मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद का तथा पी एस केस संख्या 334 वर्ष 1995 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया और यह पाया कि गज़ली टॉड कोयलाखान से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का नाम था उनमें से किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन के अंग के रुप में अभियोजित नहीं किया गया था ।

संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का प्रचालन भिन्न क्षेत्र में होता है । किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लए बाध्य नहीं किया जाएगा और यह नियम किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति पर और जहाँ उसके किसी अपराध के सिद्ध दोष का मामला लम्बित हो वहाँ लागू होगा । खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत जाँच में न तो कोई व्यक्ति सिद्ध दोष ठहराया जाना था और न ही मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड किसी अपराध में अभियुक्त था । अतः इस न्यायालय ने स्वप्रेरणा से अपने दिनांक 22/10/1997 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैराग्राफ संख्या 22 को निकाल दिया क्योंकि पैराग्राफ संख्या 22 की विषयवस्तु संदेहास्पद, क्लेशकर तथा विषादजनक थी तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को शपथपत्र संख्या 3 के रुप में एक अतिरिक्त शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया गया जिसमें खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत औपचारिक जाँच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सभी तथ्यों को प्रकट किया जाए । ऐसा न कर पाने पर यह मान लिया जाएगा कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को शपथपत्र संख्या 1 तथा 2 के अतिरिक्त कुछ भी प्रकट नहीं करना है । मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अपेक्षित शपथपत्र संख्या 3 कभी फाइल नहीं किया गया ।

क्या शपथपत्र संख्या 1 शपथपत्र संख्या 2 का हिस्सा था ?

जैसा कि उपर बताया गया है मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से दो शपथपत्र फाइल किये गए थे अर्थात् शपथपत्र संख्या 1 दिनांक 4/4/1997 को तथा शपथपत्र संख्या 2 दिनांक 20/5/1997 को फाइल किया गया था । शपथपत्र संख्या 2 के पैराग्राफ संख्या 23 में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कहा था कि '..... अभिसाक्षी द्वारा बी सी सी एल की ओर से दिनांक 4/4/1997 को संक्षेप में यह उल्लेख किया गया है कि संबंधित कोयला खदान किस प्रकार बी0 सी0 सी0 एल0 के स्वामित्व में आई तथा उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताएं और कोलियरियों का संक्षिप्त इतिहास इत्यादि प्रस्तुत किया गया है जिसे रिकार्ड के रुप में स्वीकार किया जा सकता है .....' ।

"इत्यादि" शब्द का अभिवचन की विधि के सिद्धान्तों में कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह अस्पष्टता पैदा करता है । दिनांक 15 सितम्बर 1997 को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विद्वान वकील का ध्यान शपथपत्र संख्या 2 के पैराग्राफ संख्या 23 की ओर आकृष्ट किया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि वे निम्नलिखित प्रश्न को स्पष्ट करें और उसका उत्तर दें ।

प्रश्न ः- क्या आप गज़ली टाँड कोयलाखान के संबंध में श्री सी0 के0 वी0 एन0 राव द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 76 के अन्तर्गत दिनांक 4/4/1997 को नामित मालिक की हैशियत से फाइल किए गए तथ्यों के कथन/शपथपत्र (जिसे आगे प्रथम शपथपत्र कहा गया है को उपर उल्लिखित द्वितीय शपथपत्र का एक हिस्सा मानतें हैं अथवा उस पर निर्भर करना चाहतें हैं ।

श्री एस0 सी0 मलिक एडवोकेट मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के वकील ने स्पष्ट किया तथा उत्तर दिया कि दूसरे शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 23 में शब्द "इत्यादि" को नहीं पढ़ा जाय और उसे हटा दिया गया मान लिया जाए । उन्होने कहा कि शपथपत्र संख्या 1 की संपूर्ण विषयवस्तु को शपथपत्र सं0 2 के हिस्से के रुप में पढ़ा जाए । इस न्यायालय द्वारा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया ।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उचित तथा निष्पक्ष जाँच आयोजित करने और खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक थे ।

समन करना एवं दस्तावेजों का निरीक्षण करना

जैसा कि पहले से निश्चित किया गया था कि सर्वप्रथम मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अपने ऐसे मौखिक दस्तावेजी तथा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँगे जिस पर वे विश्वास करते हैं और इसीलिए इस न्यायालय ने दिनांक 22 अक्तूबर 1997 के अपने आदेश द्वारा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को निर्देश दिया कि ः

1 वह अपने अधिकार और कब्जे वाले ऐसे सभी दस्तावेज, कागजात, नक्शे रिकार्ड इत्यादि प्रस्तुत करे जिनका उसके द्वारा सहारा लिया जाना प्रस्तावित है तथा साथ में ऐसे दस्तावेजों की सूची भी प्रस्तुत करे ।

2 वह उन गवाहों की एक संपूर्ण सूची भी प्रस्तुत करे जिनकी उनके द्वारा परीक्षा की जाना प्रस्तावित है तथा इस न्यायालय के दिनांक 15 सितम्बर 1997 के नोटिस द्वारा यथाविहित फार्म में यह भी दर्शाए कि किस विषय / तथ्य पर ऐसे गवाह से अभिसाक्ष्य लिया जाएगा ।

3 ऐसे गवाहों के पूरे विवरण दर्शाए जिनके संबंध में उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी करना अपेक्षित होगा तथा ऐसे गवाहों के भी पूर्ण विवरण दें जिनके बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उन्हें पेश करने के लिए दस्ती समन अपेक्षित होंगे । बहरहाल यदि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने स्वयं के गवाहों को परीक्षा के लिए लाए तो कोई समन जारी करना आवश्यक नहीं है ।

4 ऐसे व्यक्तियो के सभी विवरण प्रस्तुत करें जिनकी विधिक अभिरक्षा से दस्तावेज समन किए जाने हैं उन्हें इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है ताकि इस न्यायालय द्वारा आवश्यक आदेश पारित किया जाना सुविधाजनक हो सके ।

5 इस न्यायालय द्वारा शीघ्रता पूर्वक साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अन्य सुसंगत आवेदन दें ।

इसी प्रकार खान सुरक्षा महानिदेशक को भी निदेश दिया गया था कि खान अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाहियों एवं रिपोर्ट से संबंधित सभी आदेशों को अन्तर्विष्ट करने वाले सभी रिकार्डो, दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्यों, मानचित्रों या नोटशीटों के साथ सभी रिकार्डो और उन सभी नक्शों रिपोर्टों रजिस्टरों इत्यादि को जो इस न्यायालय द्वारा की जा रही जाँच की विषय वस्तु है, प्रस्तुत करे जिन्हें उनके द्वारा घटना के दिन या उसके तुरन्त बाद जब्त किया गया था ।

दिनांक 10/11/1997 को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने दस्तावेजों की सूची के साथ उन दस्तावेजों को फाइल किया जिन्हें प्रदर्श संख्या बी जी एक्स 1 से 12 तक के रुप में अंकित किया गया था । उपर्युक्त तारीख को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों की सूची के साथ उन गवाहों की सूची को भी फाइल किया जिन्हें मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से उनकी परीक्षा के लिए समन दिया जाना था । दिनांक 10/11/1997 को श्री भास्कर भट्टाचार्य निदेशक खान सुरक्षा, क्षेत्र संख्या 1 द्वारा उन दस्तावेजों की एक सूची फाइल की गई थी जिन्हें घटना के तुरन्त बाद उनके द्वारा जब्त किया गया था उन दस्तावेजों को प्रदर्श संख्या "डी जी एक्स 1 से 75" तक के रुप में अंकित किया गया था । श्री भास्कर भट्टाचार्य द्वारा उन मूल रुप से रिकार्ड किए गए कथनों को भी फाइल किया गया था जिन्हें उनके द्वारा खान अधिनियम की धारा 23 (2) के अन्तर्गत सांविधिक जाँच के दौरान रिकार्ड किया गया था । इसके साथ ही उन्होनें खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद द्वारा परीक्षा किए जाने वाले गवाहों की सूची तथा समन किए जाने वाले गवाहों की सूची भी फाइल की थी । खान सुरक्षा महानिदेशक तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दोनो द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सूची को उनकी प्रदर्श संख्या डाल कर क्रमशः अनुबंध संख्या 2 एवं 3 पर संलग्न किया जा रहा है । उपर्युक्त दस्तावेजों को इस न्यायालय की अनन्य अभिरक्षा में खान सुरक्षा महानिदेशालय धनबाद के कार्यालय में बनाए गए रिकार्ड कक्ष में रखा गया था ।

दानों पक्षों मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा खान सुरक्षा महानिदेशक की ओर से फाइल की गई गवाहों की सूची का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि इस न्यायालय के समक्ष खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत जाँच में भाग ले रहीं अन्य पार्टियों के गवाहों के अलावा मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कुल 46 गवाहों तथा खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कुल 27 गवाहों की परीक्षा करना प्रस्तावित किया गया था ।

परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए पार्टियों को आवेदन करने पर 8 से 10 दिसम्बर 1997 तक उपर्युक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी । एक पार्टी के लिए दो व्यक्तियों को रिकार्ड कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी । पार्टियों को सादा कागज तथा पेंसिल अंदर ले जाने की अनुमति दी गई थी और उन्हें अपने साथ कोई पेन या बाल पेन या रबर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था । दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की शब्दंशः नकल करने पर भी रोक लगाई गई थी । मैंने स्वयं भी रिकार्ड कक्ष में रखे गए उपर्युक्त दस्तावेजों का निरीक्षण किया था ।

तत्पश्चात श्री के0 बी0 सहाय, महासचिव, कोलियरी श्रमिक संघ ने अपने दिनांक 3/2/1998 एवं 7/3/1998 के आवेदनों तथा श्री रामजी पाण्डेय, संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ ने अपने दिनांक 5/3/1998 के आवेदन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि उनके

संबंधित आवेदनों में उल्लिखित दस्तावेजों को मंगवाने के लिए समन किया जाए । तदनुसार इस न्यायालय ने संबंधित पार्टियों को उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिनके लिए प्रार्थना की गई थी । उपर्युक्त पार्टियों द्वारा समन किए गए अधिकांश दस्तावेजों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उन्हें प्रदर्श संख्या एस 1 से एस 16 तक अंकित करके रिकार्ड में रखा गया । इच्छुक पार्टियों को भी इस प्रकार समन किए गए उपर्युक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई । श्री के0 बी0 सहाय तथा श्री रामजी पाण्डेय के आवेदनों के अनुसरण में समन किए गए दस्तावेजों की सूची उनके प्रदर्श संख्या डाल कर क्रमशः अनुबंध संख्या 4 तथा 5 के रुप में संलग्न है ।

इस न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करना

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रतिनिधित्व मुख्यतः अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता था किन्तु सुविधा के उद्देश्य से श्री सी0 के0 वी0 एन0 राव, निदेशक, तकनीकी पी एण्ड पी को गजली टॉड खदान के लिए नियुक्त किया गया था जोकि अधिवर्षिता की आयु को प्राप्त होने के बाद दिनांक 30 जून 1997 को सेवा निवृत हो गए थे तथा उसके बाद डा0 एस0 एम0 कोलाय निदेशक तकनीकी ओ एण्ड डब्लयू को न्यायालय के समक्ष मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मामले को देखने के लिए नियुक्त किया गया था, वह भी 31 दिसम्बर 1997 को सेवा निवृत हो गए थे । उसके बाद मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से कोई समुचित प्रतिनिधि नहीं था । यही स्थिति खान सुरक्षा महानिदेशक की भी थी क्योकि श्री विनय महाजन खान सुरक्षा महानिदेशक भी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद दिनांक 31 दिसम्बर 1997 को सेवा निवृत हो गए थे । इस न्यायालय को खान सुरक्षा महानिदेशक तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंध दोनों को अनुदेश देने पड़ते थे या उनसे अनुदेश लेने होते थे । जैसा कि विधि के अन्तर्गत अपेक्षित था वर्तमान जाँच न्यायालय की कार्यवाहियों को सुचारु रुप से चलाने के लिए इन परिस्थितियों में आवश्यक कदम उठाकर खान सुरक्षा महानिदेशक और मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधि का नाम रिकार्ड में लाया जाना आवश्यक था। इसलिए इस न्यायालय ने दिनांक 6 जनवरी 1998 के अपने आदेश द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दोनों को निदेश दिया कि वे इस संबंध में अगली निर्धारित तारीख को समुचित कदम उठाएँ उनके ऐसा न कर पाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही को इस विधिक कमी के कारण क्षति पहुँच सकती है ।

अगली निर्धारित तारीख को श्री एस जे सिब्बल, निदेशक सी एम सी, ने दिनांक 28 जनवरी 1998 को एक शपथपत्र फाइल किया जिसको श्री एस0 एन0 पाढ़ी0 द्वारा दिनांक 3/2/1998 को शपथ ली गई और कहा कि खान अधिनियम 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत श्री एस0 एन0 पाढ़ी को मुख्य खान निरीक्षक के रुप में माना जाएगा । यद्यपि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधि का नाम रिकार्ड में लाने के लिए मैसर्स भारत कोकिंग कोल

लिमिटेड के एडवोकेट श्री एस0 सी0 मलिक ने 5/2/1998 तक का समय देने की प्रार्थना की। दिनांक 5/2/1998 को श्री एस सी मलिक एडवोकेट द्वारा इस न्यायालय के कार्यालय में एक शपथपत्र फाइल किया गया जिसमें श्री अजीत कुमार सहाय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने विधिवत शपथ लेकर इस न्यायालय के समक्ष मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से मामले को देखने के लिए श्री आर0 वी0 इराडे, महाप्रबंधक (विशेष ड्यूटी) के पक्ष में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया । उपर्युक्त शपथपत्र को दिनांक 5/3/1998 को रिकार्ड में लिया गया ।

साक्ष्यों को रिकार्ड करना ः

उपर्युक्त विधिक कमी को दूर कर लेने के बाद ही यह न्यायालय उन गवाहों के साक्ष्यों को रिकार्ड करने की दिशा में आगे बढ़ सका जिनकी मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा जिन गवाहों की परीक्षा की जानी थी और तदनुसार दिनांक 5/3/1998 के आदेश द्वारा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को निदेश दिया कि वह आरम्भ में केवल 12 गवाहों के नामों की सूची तीन प्रतियों में प्रस्तुत करे तथा उनकी प्रासंगिकता तथा उन तथ्यों को संक्षेप में बताएँ जिनपर उनकी परीक्षा की जानी प्रस्तावित है । यह भी निदेश दिया गया कि उपर्युक्त गवाहों को इस न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए तत्पर रखना होगा तथा एक जैसे तथ्यों और विषयों से संबंधित गवाहों को साक्ष्यों की निर्बाध रुप से रिकार्डिंग करने तथा जाँच कार्यवाहियों को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रुप से चलाने की दृष्टि से निरन्तरता में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त आदेश द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इस जाँच न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 से लगातार साक्ष्य रिकार्ड किए जाएँगें । दिनांक 6/3/1998 को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से श्री एस0 सी0 मलिक, एडवोकेट उपस्थित हुए और उन्होंने 12 गवाहों की सूची के साथ एक आवेदन दिया ।

दिनांक 23/3/1998 को निदेश दिए जाने पर मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के लिए डुमेर महतो बी जी डब्ल्यू/1 को पेश किया । डुमेर महतो की परीक्षा पूरी होने के बाद दूसरा गवाह जिब्राइल मियाँ बी जी डब्ल्यू/2 और उसके बाद अमृत महतो बी जी डब्ल्यू/3 को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा क्रमशः 25/3/1998 एवं 26/3/1998 को पेश किया गया था ।

यहाँ पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि आरम्भ में न्यायालय द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि गवाहों के हिन्दी में दिए गए अभिसाक्ष्य का सीधे अनुवाद किया जाएगा और टाइपराइटर पर उसे अंग्रजी में रिकार्ड किया जाएगा । न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि साक्ष्य को हाथ से स्पष्ट रुप से हिन्दी में रिकार्ड करने के बाद अभिसाक्ष्य को पूरा करने के लिए उसपर तुरन्त गवाह के हस्ताक्षर ले लिए जाएँ । हिन्दी में हाथ से लिखे गए अभिसाक्ष्य को उसके बाद टाइप किया जाएगा और उसकी प्रतियाँ इच्छुक पार्टियों को वितरित की जाएँगी । पुनः इस हिन्दी अभिसाक्ष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा । यह एक लम्बी प्रक्रिया थी

लेकिन उपस्थित पार्टियों ने टाइपराइटर पर अंग्रेजी में अभिसाक्ष्य को रिकार्ड करने के सुझाव को एकमत होकर अस्वीकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसे पहले हिन्दी में रिकार्ड किया जाए और उसके बाद उपर बताए गए अनुसार उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए ।

यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जब श्री अमृत महतो का अभिसाक्ष्य लिया जा रहा था तो इस न्यायालय ने महसूस किया कि गवाहों द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के दौरान उल्लिखित स्थानो के विभिन्न नाम तथा प्रयुक्त किए गए शब्दों को समझने तथा अभिसाक्ष्य में उल्लिखित दूरी और समय को समझने के लिए भी एक बार पुनः घटनास्थल का दौरा करना उपयोगी होगा । अतः दिनांक 26/3/1998 को लगभग साढे तीन बजे अपराह्न मे जाँच न्यायालय दुर्घटना स्थल का दौरा करने के लिए उठ गया ।

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को पुनः निदेश दिया गया कि वह 10 गवाहों की दूसरी सूची प्रस्तुत करे और साक्ष्य को रिकार्ड करने की अगली तारीख 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 1998 निर्धारित की गई क्योंकि सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इन्सट्टीयूट, बरवा रोड, धनवाद स्थित न्यायालय कक्ष केवल 20 अप्रैल 1998 से 25 अप्रैल 1998 तक ही उपलब्ध था ।

तत्पश्चात दिनांक 21/4/1998 को श्री एस0के0 घाटक (बी जी डब्ल्यू/4) को अपने साक्ष्य रिकार्ड कराने के लिए पेश किया गया । दिनांक 22/4/1998 को श्री सत्यदेव सिंह (बी जी डब्ल्यू/5) तथा श्री इन्द्रदेव भुइयाँ (बी जी डब्ल्यू/6) को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से अपने अभिसाक्ष्य रिकार्ड करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । गवाह संख्या बी जी डब्ल्यू/6 श्री इन्द्रदेव भुइयाँ का अभिसाक्ष्य पूरा होने के बाद अगले गवाह श्री मंगू माँझी का नाम अपना अभिसाक्ष्य देने के लिए पुकारा गया परन्तु मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के एडवोकेट श्री एस0 सी0 मलिक ने प्रार्थना की कि वह उसे परीक्षा के लिए पेश नहीं करना चाहते हैं जिसकी इस न्यायालय द्वारा अनुमति दे दी गई । उसके बाद दिनांक 23/4/1998 को गवाह संख्या बी जी-डब्ल्यू/7 श्री शेषनाथ सिंह को अपना अभिसाक्ष्य देने के लिए पेश किया गया । गवाह संख्या बी जी-डब्ल्यू/7 का अभिसाक्ष्य दिनांक 24/4/1998 को अपराह्न 4.15 बजे तक चला । तत्पश्चात गवाह संख्या बी जी डब्ल्यू/8 श्री बिलास महतो को दिनांक 25/4/1998 को अपना अभिसाक्ष्य रिकार्ड कराने के लिए पेश किया गया । श्री बिलास महतो का अभिसाक्ष्य उस दिन पूरा नहीं हो पाया था और इस प्रकार गवाहों के अभिसाक्ष्य रिकार्ड कराने के लिए 15 मई 1998 से आगे की तारीखें निर्धारित की गई क्योंकि विवाहों का समय होने के कारण इस न्यायालय को 15 मई 1998 से पूर्व न्यायालय कक्ष उपलब्ध नहीं था । दिनांक 23 अप्रैल 1998 से आरम्भ साक्ष्य के रिकार्डिंग का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है ः

(तालिका सं0 1. 9)

क्रम सं0	गवाह का नाम	अभिसाक्ष्य की तारीख	हाथ से लिखे गए पृष्ठों की संख्या हिन्दी	पार्टियों को अभिसाक्ष्य सौंपने की तारीख	मंत्रालय को अभिसाक्ष्य भेजने की तारीख
1.	डुमेर महतो	23/3/98 24/3/98	26	25/3/98	13/4/98
2.	जिब्राइल मियाँ	25/3/98	17	26/3/98	13/4/98
3.	अमृत महतो	26/3/98 27/3/98 21/4/98	14	22/4/98	13/4/98 खण्ड 2/5/98 खण्ड
4.	सुजीत कुमार घाटक	21/4/98	12	22/4/98	2/5/98
5.	सत्यदेव सिंह	22/4/98	11	23/4/98	2/5/98
6.	इन्द्रदेव भुइयाँ	22/4/98 23/4/98	12	24/4/98	2/5/98
7.	शेषनाथ सिंह	23/4/98 24/4/98	20	25/4/98	2/5/98
8.	विलास महतो	25/4/98 15/5/98	18	16/5/98	2/5/98 खण्ड 25/5/98

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गवाहों की कठघरे में परीक्षा की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी, कि केन्द्र सरकार का दिनांक 28 अप्रैल 1998 का पत्र 1 मई 1998 को इलाहाबाद में प्राप्त हुआ था ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि उपर्युक्त पत्र के कारण वर्तमान कार्यवाहियों की सम्पूर्ण योजना ही गड़बड़ा गई थी । मुझसे आशा की गई थी कि मैं 30 जून 1998 को या उससे पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूँ । अतः मैने निर्णय लिया कि मैं मेरे द्वारा अभी तक अपनाई गई प्रक्रिया के मार्ग से हट कर काम करुं । मैं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड खान सुरक्षा महानिदेशक तथा यूनियनों तथा व्यक्तियों द्वारा पेश किए गए सभी प्रासंगिक गवाहों के साथ रिकार्ड कराना चाहता था । मेरी यह भी इच्छा थी कि कुछ व्यक्तियों को न्यायालय के गवाह के रुप में भी समन किया जाए । समन करने और परीक्षा किए जाने के लिए भारी मात्रा में रिकार्ड मानचित्र तथा दस्तवेज भी थे । उपर्युक्त सारी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता

थी । किन्तु अब वह सब खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत इस औपचारिक जाँच में भी नहीं किया जा सकता था ।

इसमें संदेह नहीं है कि यह जाँच न्यायालय एक न्यायालय नहीं है किन्तु इसके निष्कर्ष सिफारिशी प्रकृति के होते हैं । इस जाँच न्यायालय को सभी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तथा वह ऐसी सभी प्रक्रियाओं को अपना सकता है जिन्हें वह दुर्घटना के कारणो और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तथा खान अधिनियम की धारा 24 के उपबन्धो के साथ पठित उसके अन्तर्गत निर्मित नियम 21 के अनुसार रिर्पोट देने के लिए वह इस न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए सर्वाधिक कारगर समझता हो ।

इस प्रकार सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद 16 मई 1998 को मुझे खुले न्यायालय में एक आदेश पारित करना पड़ा जिसे नीचे उधृत किया गया है ः

"आदेश संख्या एन 11025/1/95/आई एस एच 2, दिनांक 28 अप्रैल 1998 द्वारा श्री सी0 डी0 भारद्वाज, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ने इस जाँच न्यायालय के अध्यक्ष को सूचित किया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि

1 जाँच पूरी की जाए तथा इसकी रिपोर्ट अधिकतम 30 जून 1998 तक प्रस्तुत की जाए
2 यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब सरकार के लिए आगे और समय मंजूर करना संभव नहीं होगा ।

उपर्युक्त आदेश का उद्धरण नीचे दिया गया है

विषय - गज़ली टाँड जाँच न्यायालय - अवधि का विस्तार

आदरणीय महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जाँच न्यायालय की अवधि तथा जाँच न्यायालय के अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति की अवधि के विस्तार संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । जबकि जाँच न्यायालय की तथा अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति की अवधि का 30/6/1998 तक विस्तार करने के लिए औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रक्रिया चल रही है सरकार ने निर्णय लिया है कि जाँच को पूरा किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट

अधिकतम 30 जून 1998 तक प्रस्तुत की जाएं । अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें । खेद है कि सरकार द्वारा आगे और समय बढाना संभव नहीं होगा ।

2 "इसे श्रम मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया ।"

एक साधारण अनुमान के अनुसार अभी भी न्यायालय के गवाह तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद सहित सभी पार्टियों की ओर से 80/90 गवाह अपने अभिसाक्ष्य रिकार्ड कराने की प्रतीक्षा में थे । इसके अतिरिक्त बहुत से दस्तावेजों, कार्यालय आदेशों, अनुदेशों और परिपत्रों को मंगाने के लिए भी समन किया जाना था । इसलिए यह जाँच 30 जून 1998 को या उससे पूर्व समय के अभाव में विधि के अनुसार पूरी नहीं की जा सकती था ।इसके अतिरिक्त गवाहों को रिकार्ड करने के बाद तर्क भी सुने जाने थे । उपर्युक्त आदेश में अपेक्षित किए गए अनुसार रिकार्ड की सामग्री के आधार पर एक रिर्पोट तैयार करने में भी पर्याप्त समय लगेगा ।

अध्यक्ष ने इस पद का कार्यभार दिनांक 1 नवम्बर 1995 को ग्रहण किया था । केन्द्र सरकार ने खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद के माध्यम से जाँच न्यायालय आयोजित करने के लिए एक सामुदायिक हाल 5 नवम्बर 1996 को प्रदान किया । दिनांक 5/1/1997 को विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाऐं प्रकाशित करने के बाद तथा स्थानीय क्षेत्रों में ढोल बजाकर और लाउडस्पीकरों द्वारा सार्वजनिक घोषणा करके तथा कोयला खान के सूचना पट्टों पर सूचनाएँ लगाकर 24 से 27 फरवरी 1997 तक इच्छुक पार्टियों को सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट, बरवा रोड, धनबाद के सामुदायिक हाल में हाजिर होने को कहा गया था ।

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ट्रेड यूनियनों और खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद सहित बहुत अधिक संख्या में पार्टियाँ हाजिर हुई और दिनांक 27 फरवरी 1997 को तथ्यों के कथन/शपथपत्र को फाइल करने के संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित किया गया । दुर्भाग्यवश अधिकांश पार्टियों ने ईमानदारी से दिनांक 27/2/1997 के आदेश का अनुपालन नहीं किया और उन्होने अपने तथ्यों के कथन/ शपथपत्र फाइल करने के लिए और समय माँगा तथा उन्हें समय दिया गया । यद्यपि खान सुरक्षा महानिदेशक भी जाँच में एक पार्टी थे किन्तु उन्होंने आज तक दिनांक 27/2/1997 के आदेश का अनुपालन नहीं किया तथा उन्होंने अपने विवेक से एक शपथपत्र फाइल किया जिसके साथ खान अधिनियम की धारा 23 2 के अन्तर्गत उसके द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट की प्रति को संलग्न किया गया मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से फाइल किए गए तथ्यो के कथन/शपथपत्र में भी जबकि उसे वकील की सहायता से बनाया गया था कई कमियाँ थी तथा अन्ततः दिनांक 20/5/1997 को संशोधित शपथपत्र संख्या 2 फाइल किया गया था और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से फाइल किए गए सभी तथ्यों के कथन की आवश्यक संख्या में प्रतियाँ पार्टियों में परस्पर में विनिमय करने के लिए इस न्यायालय के सम्मुख दिनांक 22/10/1997 को प्रस्तुत की गई थी।

अधिकारियों सहित पार्टियों के दूसरे समूह ने भी जिन्हें पुलिस द्वारा आरोपित किया गया था तथा जिनका अभियोजन लम्बित था अपने पूरी तरह अधूरे तथा अपर्याप्त शपथपत्र/तथ्यों के कथन फाइल किए तथा संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का आश्रय लिया ।, मैं तथ्यों के कथन/शपथपत्र फाइल करने में अन्य पार्टियों के आचरण का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ ।

"बहरहाल श्रीमती रीता वर्मा स्थानीय संसद सदस्या दिनांक 4 अगस्त 1997 को पहली बार हाजिर हुई और उन्होने अपने तथ्यों का कथन फाइल किया तथा बिहार राज्य की ओर से दिनांक 28/8/1997 को तथ्यों का कथन/शपथपत्र फाइल किया गया । इसके अलावा दिनांक 25/6/1997 को इण्डियन फेडरेशन आफ माइनर्स यूनियन की ओर से श्री एस0 पी0 राय भूतपूर्व मंत्री द्वारा तथ्यों का कथन\शपथपत्र फाइल किया गया ।

उसके बाद गवाहों की परीक्षा के लिए दिनांक 15 से 19 सितम्बर 1997 की तारीखे निर्धारित की गई जिन्हें मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कहने पर स्थगित करना पड़ा ।

बार-बार आदेश देने के बाबजूद खान सुरक्षा महानिदेशक तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गजली टाँड खदान का निरीक्षण करने के लिए उसमें दूसरा निर्गम मार्ग नहीं बनवा पाए । फिर भी दूसरे निर्गम मार्ग के संबंध में सुरक्षा प्रमाणपत्र न मिलने पर अध्यक्ष ने 9/12/1997 को स्वयं दौरा किया और कुछ व्यक्तियों के साथ खदान में प्रवेश किया । यद्यपि जब अध्यक्ष ने खदान में प्रवेश किया और वहाँ सब कुछ स्वयं देखा तो उसके बाद खान सुरक्षा महानिदेशक और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दोनो ने ही कथन किया कि दूसरा निर्गम मार्ग विनियमों के अनुसार बना दिया गया है । परिणामस्वरुप 4 फरवरी 1998 को प्रोफेसर बी0 के0 मजूमदार असेसर के साथ आधिकारिक निरीक्षण किया गया । बहरहाल गजलीटाँड़ खदान के बिशाल प्रभावित क्षेत्र की तुलना में निरीक्षण के लिए खदान का बहुत छोटा भाग उपलब्ध कराया गया था ।

सभी बाधाओं को पार करने के बाद अध्यक्ष ने पार्टियों के सहयोग से गवाहों का साक्ष्य रिकार्ड करने का काम आरम्भ किया । गवाहों की परीक्षा की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल रही थी । फिर भी दिनांक 28 अप्रैल 1998 के वर्तमान सन्दर्भित आदेश द्वारा सभी ईमानद्दारीपूर्वक और प्रभावी रुप से किए जा रहे प्रयासों की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई थी ।

इन परिस्थितियों में इस निदेश से कि जाँच को पूरा किया जाए और 30 जून 1998 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए उलझन तथा खीझ की स्थिति पैदा हो गई थी । फिर भी इस स्तर पर मैं उपर्युक्त संदर्भित आदेश के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । मेरे मन में इस बात पर कोई संदेह नहीं कि जो पार्टियाँ कार्यवाहियों में विलम्ब करना चाहती थी और उसके

द्वारा पूरी जाँच को निष्फल करना चाहती थी वे कानूनी परिणामों से बच निकलने के अपने प्रयास में सफल हो गई थी ।

यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि इस जाँच न्यायालय का गठन दिनांक 17 अक्तूबर 1995 की अधिसूचना द्वारा खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दिनांक 26/27 सितम्बर 1995 को धनबाद जिले में स्थित मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोलियरियों विशेष रुप से गज़ली टाँड, बेरा, कतरास चैतुडीह तथा साउथ गोबिन्दपुर कोयलाखान में घटित दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की एक औपचारिक जाँच करने के लिए किया गया था जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी ।

चारों खानों में हुई दुर्घटनाएँ पूर्णतः भिन्न भिन्न प्रकार की है तथा उनमें कुछ भी समानता नहीं है । किसी एक खान के संबंध में दिए गए साक्ष्य की अन्य तीन खानों के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है । इसलिए एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी चारों खदानों के संबंध में अलग अलग तथा स्वतंत्र रुप से साक्ष्य रिकार्ड किए जाने थे । सभी चारों खदानों के संबंध में तथ्यों का कथन/शपथपत्र प्राप्त होने के बाद वर्तमान में मैं गजलीटांड़ खदान से संबंधित साक्ष्य रिकार्ड कर रहा था जहाँ अभिकथित रुप से 64 खान मजदूर जल उत्पलावित खान में फंस गए थे और उन्होंने वहीं पर जल समाधि ले ली थी । मेरी जानकारी में पहली बार किसी एक न्यायाधीश को ऐसी चार खदानों की रिपोर्ट देने का बृहत कार्य सौंपा गया था जहाँ प्रत्येक खदान में लोगो की जानें गई थी ।

मैने सरकार को बार-बार लगातार लिखा कि इतने बड़े कार्य को करने के लिए असंभव को संभव बनाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है और मैने सदैव पार्टियों से सहयोग माँगा । इस मामले में पारित किए गए सभी आदेश सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजे गए थे ।

इसलिए, इस जाँच न्यायालय ने निर्णय लिया है कि बिलास महतो बी जी डब्ल्यू/8 का साक्ष्य पूरा करने के बाद किसी गवाह की परीक्षा नहीं की जाएगी क्योंकि उस स्थिति में 30 जून 1998 तक कोई रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । इसी भाँति अन्य पार्टियों को भी उनकी ओर से गवाहों की परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।चूँकि रिपोर्ट 30 जून 1998 तक प्रस्तुत की जानी थी इसलिए मुझे अफसोस के साथ उपर्युक्त तरीका अपनाना पड़ा ।

इन परिस्थितियों के अधीन निम्नहस्ताक्षरकर्ता तदनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करने का ईमानदारी से प्रयास करना प्रस्तावित करता है ।

इस आदेश की प्रति इस न्यायालय में उपस्थित पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों में परिचालित की जा रही है तथा सामान्य सूचना के लिए इसकी एक प्रतिलिपि इस जाँच न्यायालय के सूचना पटट् पर लगाई जाए । इस आदेश की एक प्रतिलिपि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भी उसके सचिव के माध्यम से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए ।

हस्ताक्षर/अध्यक्ष
16 मई 1998

दिनांक 16/5/1998 का आदेश एक आख्यापक स्पीकिंग आदेश है और इसके लिए आगे किसी विस्तार अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अब मेरे पास निम्नलिखित रिकार्ड ही है ः

1. पार्टियों के तथ्यों का कथन/शपथपत्र
2. निरीक्षण रिपोर्ट
3. मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के 8 गवाहों के अभिसाक्ष्य
4. सभी विविध आवेदनपत्र
5. इस जाँच न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेश
6. जब्त दस्तावेज
7. रिकार्ड मे लाए गए अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि
8. इस जाँच न्यायालय द्वारा बनाए गए रिकार्ड कक्ष में उपलब्ध दस्तावेज
9. खान सुरक्षा निदेशक क्षेत्र सं0 1 द्वारा रिकार्ड किए गए गवाहों के कथन तथा श्री भास्कर भट्टाचार्य, खान सुरक्षा निदेशक, क्षेत्र संख्या 1 द्वारा अपने शपथपत्र के साथ फाइल की गई उनकी रिपोर्ट, इत्यादि ।

मैने कई बार स्थल का दौरा किया तथा मेरे द्वारा की गई टिप्पणियों का भी मैंने इस रिपोर्ट में हवाला दिया है । उपर्युक्त सामग्री एवं रिकार्ड की अन्य सामग्री के आधार पर मैं अपेक्षित रिपोर्ट तैयार करके उसे सौंपना प्रस्तावित करता हूँ ।

(भाग - 2)

ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जाँच के संबंध में विविध विवाद्यक

ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जाँच कार्यवाही के दौरान, जैसा कि "जाँच की कार्यवाहियाँ" शीर्षक में विस्तार से गिनाया गया है इस न्यायालय के समक्ष बहुत से विवाद्यक आए । इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए विवाद्यकों को विधि के सिद्धांत और नैसर्गिक न्याय के आधार पर निर्णीत किया गया था । उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

नामित मालिक

समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में, आरम्भ में मैसर्स भरत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से श्री सी०के०वी०एन० राव , निदेशक (तकनीक) पी० एन्ड० पी०,गजलीटांड,साउथ गोबिन्दपुर, कतरास चतुडीह कोयला ख़ानों के संबंध में तथा डॉ०एस०एम० कोले निदेशक (तकनीकी) ओ० एण्ड डब्लू बेरा कोयला ख़ान के संबंध में हाज़िर हुए । इस न्यायालय के दिनांक 27.2.1997 के आदेश के अनुसरण में श्री सी०के०बी०एन०राव तथा डॉ० एस०एम० कोले ने (दिनांक रहित) आवेदन दिये जिनके साथ इस न्यायालय के समक्ष कतिपय दस्तावेज़ फ़ाइल किए गए थे । दस्तावेज़ों से यह प्रमाणित करने की माँग की गई थी कि श्री सी०के०वी०एन०राव तथा डॉ० एस०एम० कोले को ख़ान अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत मालिक के रूप में नामित किया गया था ।

ख़ान अधिनियम की धारा 76 को पढ़ने पर ही स्पष्ट हो जाएगा कि ख़ान अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत नामित मालिक से संबंधित आदेश की, ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कार्यवाहियों में कोई संबद्धता नहीं है । ख़ान अधिनियम की धारा 76 ख़ान अधिनियम के अध्याय IX में समाविष्ट है । अध्याय Ix में "शास्ति तथा प्रक्रिया" अन्तविष्ट है । अध्याय IX की गहराई से संवीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि नामित मालिक से संबंधित सूचना मुख्य ख़ान निरीक्षक को लिखित रूप में दी जानी होती है । यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ किसी खदान की मालिक कोई कंपनी होती है तो उसके सभी या किसी एक निदेशक को किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए ख़ान का मालिक दंडित किए जाने योग्य है ख़ान अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित या दंडित किया जा सकता है । यह स्पष्ट है कि नामित मालिक के संबंध में आदेश की संबद्धता ऐसे नामित किए मालिक को अभियोजित और दंडित करने के लिए की गई है। वर्तमान में यह ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत एक जाँच है जिसका अभियोजन या दंड से कुछ भी लेना देना नहीं हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा विधिवत नियुक्त किए गए सक्षम व्यक्ति द्वारा ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत की जाने वाली जाँच का क्षेत्र दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों को बताने वाली एक रिपोर्ट तैयार करने तथा उसमें ऐसी टिप्पणी जोड़ने से संबंधित है जिन्हें ऐसा सक्षम व्यक्ति अथवा कोई भी असेसर उचित समझता है । इसलिए इस न्यायालय की राय में ख़ान अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत नामित मालिक को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है । तदनुसार इस न्यायालय ने मैसर्स भरत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह 27.2.1997 के आदेश में उल्लिखित किए गए अनुसार शपथ पत्र के साथ तथ्यों का कथन सीधे या एडवोकेट के माध्यम से अथवा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से फ़ाइल करने के लिए विधि के अनुसार आदेश पारित करे । यह स्पष्ट किया जाता है कि उसके बाद मैसर्स भारत

कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रतिनिधित्व इस न्यायालय के समक्ष अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से किया जाता था ।

संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत अभियाक्

जैसा कि ऊपर कहा गया है दिनांक 22 तथा 23 अप्रैल 1998 के आदेशों द्वारा तथ्यों के कथन की त्रुटियों को बताया गया था और पार्टियों को त्रुटियों को दूर करने का निदेश दिया गया था । अधिकांश आरोपी व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का कथन नए सिरे से फ़ाइल किया गया था, जिसके द्वारा त्रुटियों को ठीक कर दिया गया अभी कथित किया गया था । नए तथ्यों के कथन में आरोपी व्यक्तियों ने एक समान प्रश्न उठाया था जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत उन्हें प्रदान किए गए सांविधानिक संरक्षण से संबंधित था । कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया तथा अन्य के मामले में ए आई आर 1996 (कल.)पृस्ठ 28 में प्रकाशित हाल के निर्णय को मेरी जानकारी में लाया गया था । मैंने इसे गहराई से पढ़ा है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ़ संख्या 29 में इस प्रकार कहा गया था :-

" 29: इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत की जाने वाली कोई जाँच एक औपचारिक जाँच है । ऐसी कोई जाँच सिविलि या आपराधिक दंड कार्यवाही नहीं है । यहाँ तक कि साक्ष्य अधिनियम के उपबंध भी सही अर्थों में (स्तिक्टो सेन्स) उपलब्ध भी सही अर्थो में उसके संबंध में लागू नहीं हैं । ऐसे किसी जाँच न्यायालय के समक्ष न तो कोई अभियोग लगाने वाला है और न ही कोई अभियुक्त होता है । ऐसी किसी जाँच में न तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई आरोप विरचित किए जाते हैं और न ही कोई व्यक्ति ऐसे आरोपों के प्रति जबाब देह ही होता है -

उपर्युक्त संदर्भित निर्णय के पैराग्राफ़ संख्या 39,40 तथा 41 की विषयवस्तु को भी सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उदधृत किया जा रहा है ।

"39 :- शीर्ष न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय की दृष्टि से यह मानना संभव नहीं है कि अर्जीदार संख्या 3,4, तथा 5 को जाँच न्यायालय द्वारा साक्षियों के रूप में हाज़िर होने के लिए समन नहीं किया जा सकता है या इस आधार पर इसका गठन मंसूरव किया जा सकता है ।"

" 40:- यह सत्य है कि आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ 16 आर 10 के अनुसार अपनी अधिकारिता के अंतर्गत हाज़िरी का प्रर्वतन कराने की अधिकारिता है ।

" 41:- अर्जीदार संख्या 3 से 5 तक को अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत सांविधानिक अधिकार का संरक्षण माँगने का प्रश्न तब पैदा होता है जब उन्हें वास्तव में समन किया गया हो और उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे उन पर स्वयं अभियोग लगता हो ।"

यहाँ यह बताना सुसंगत होगा कि ख़ान अधिनियम की धारा २३ के अंतर्गत सांविधिक जाँच की गई थी किंतु वहाँ संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उपबंधों का सहारा नहीं लिया गया था । मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इस जाँच न्यायालय के पास ख़ान निरीक्षक की शक्तियाँ है और ख़ान अधिनियम की धारा

7(1)(डी) परन्तुक में इस प्रकार कहा गया है : 7(1) (डी) परंतु किसी व्यक्ति को इस उप धारा के अंतर्गत किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या ऐसे कथन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे उस पर स्वयं पर आरोप लगे ।

उपर्युक्त परन्तुक की दृष्टि से इस जाँच न्यायालय ने किसी आरोपी व्यक्ति को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने अथवा कोई ऐसा कथन करने का निदेश नहीं दिया था जिससे स्वयं उस पर आरोप लगे ।

उपर्युक्त चर्चा तथा निर्णय के आधार पर मैंने माना कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत तथ्यों का कथन फ़ाइल करते समय की जाने वाली प्रतिरक्षा जल्दबाज़ी है, इसे उपर्युक्त समय पर किया जा सकता था अर्थात , जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है, परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के समय आरोपी व्यक्तियों द्वारा उठाई गई आपत्ति को तदनुसार निपटाया गया ।

नावाजिब प्रक्रिया को रोकने के लिए सीटू की ओर से आवेदन

दिनांक 20 मई 1997 को सेन्टर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स की ओर से श्री गोपीकान्त बक्शी ने एक आवेदन दिया जिसमें उसने कहा कि कुछ एडवोकेट/ व्यक्ति प्रबंधन के साथ साथ कई श्रमिकों का भी प्रतिनिधिनित्व कर रहे हैं तथा इस प्रकार वे प्रतिद्धन्दी पार्टियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि अनुचित है । इस प्रकार की उक्त दोहरी नीतियों से श्रमिकों तथा न्यायालय का हित संकट में पड़ जाएगा । इसलिए कुछ एडवोकेटों या व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की नावाजिब प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रार्थना की गई थी । दिनांक 24 जून 1997 को उक्त आवेदन की प्रतिलिपि श्री एस०सी० मलिक एडवोकट को दी गई और उन्हें निदेश दिया गया कि वे उत्तर फ़ाइल करें और कतिपय विवरण दें । दिनांक 15.7.1997 को श्री एस०सी०मलिक, एडवोकेट द्वारा उत्तर फ़ाइल किया गया ।

इस मामले पर विचार करने से पूर्व यह बताना प्रासंगिक होगा कि श्री जी०के०बक्सी ने अपने आवेदन में न तो किसी ऐसे एडवोकेट/व्यक्ति का नाम बताया था जो प्रबंधन के साथ साथ श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा था और न ही ऐसे एडवोकेट/ व्यक्ति के संबंध में कोई ब्योरा दिया था जो प्रतिद्धन्दी पार्टियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था । उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया था कि इससे किस प्रकार श्रमिक का हित संकट में पड़ जाएगा । श्री जी० के० बक्शी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में न केवल महत्वपूर्ण तथ्यों और विवरणों की ही कमी थी बल्कि उसके साथ शपथ पत्र भी नहीं लगया गया था । इस प्रकार व्यक्तियों से संबंधित श्री जे०के० बक्सी की आपत्ति को मैंने अस्पष्टता तथा आवश्यक ब्योरों की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया । श्री एस०सी०मलिक, एडवोकेट को इस आधार पर नोटिस जारी किए गए थे कि वह एक एडवोकेट है जो मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए तथा साथ ही कुछ आरोपी व्यक्तियों के लिए भी हाज़िर हो रहा है ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवसायिक आचार शास्त्र तथा स्थापित आचार संहिता की दृष्टि से किसी एडवोकेट से किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में हाज़िर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है । इस आचार शास्त्र के उच्च सिंद्धातों का किसी भी एडवोकेट द्वारा एकरूपता से पालन किया जाता है और इसलिए मैंने माना कि श्री एस०सी०मलिक, एडवोकेट या किसी अन्य एडवोकेट को ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अपने तरीक़ों में सुधार करना चाहिए । एक एडवोकेट और एक न्यायधीश को अनेक प्रकार के स्वयं आरोपित अनुशासन के आधार पर ऐसा आचरण और कार्य करना चाहिए उसे

इसके लिए कानूनी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । उपर्युक्त चर्चा के आधार पर मेरा झुकाव इस मामले में आगे अन्वेषण करने की ओर नहीं था क्योंकि मैं मुख्य विषय को छोड़कर जिसे मुझे निर्णय करना था अन्य विषयों में उलझना नहीं चाहता था ।

फिर भी श्री जी०के०बक्शी या अन्य किसी इच्छुक पार्टी को इस बात की छूट दी गई थी कि वे अपनी शिकायतों के लिए बिहार बार काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं जो कि किसी एडवोकेट के आचरण या कदा चार के मामले में वास्तविक न्याय देने वाला निकाय है ।

उपर्युक्त अवलोकनों के अधीन श्री जे०के०बक्शी द्वारा फ़ाइल किए गए संदर्भित आवेदन को एडवोकेट तथा व्यक्तियों दोनों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 27अगस्त 1998 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा निपटाया गया ।

स्थानांतरण के लिए आवेदन

श्री राम जी पाण्डेय संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 मार्च 1997 का एक आवेदन दिनांक 17 मार्च 1998 को इस जाँच न्यायालय के मुख्यालय कार्यालय में प्राप्त हुआ था । उपर्युक्त आवेदन के द्वारा श्री रामजी पाण्डेय ने इस आधार पर श्री रमेश खन्ना, मुख्य महाप्रबंधक तथा श्री पुरुषोत्तम झा, उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक, क्षेत्र संख्या 4 कतरास (धनबाद) का स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना की थी कि उपर्युक्त मुख्य महाप्रबंधक तथा क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक गंभीर षड़यंत्र में लिप्त हैं और वे उपयोगी साक्ष्यों को नष्ट करने तथा प्रभावित करने के अन्य उपायों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा यह भी कहा गया कि उनके अधीनस्थ श्रमिकों तथा पर्यवेक्षीय कर्मचारियों में से महत्वपूर्ण गवाह काफ़ी दबाव में हैं और उत्पीड़न के भय से भयभीत हैं तथा उसके कारण वे स्वतंत्र रूप से इस न्यायालय के सम्मुख सत्य बात को बताने में हिचक रहे हैं ।

उपर्युक्त आवेदन की प्रतिलिपियाँ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री रमेश खन्ना तथा श्री पुरषोत्तम झा को दी गई और उन्हें कहा गया कि वे अपना उत्तर फ़ाइल करें । दिनांक 3 अप्रैल 1997 को यह मामला मरे सामने आया । आवेदन का अवलोकन करने पर यह प्रकटित हुआ कि इस आवेदन में बिना कोई शपथपत्र लगाए निराधर आरोप लगाए गए हैं । मेरे समक्ष कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके आधार पर युक्तिसंगत रूप से इसे समझा जा सकता है कि आवेदक श्री रामजी पाण्डे के दिममाग में उसके आवेदन को स्वीकार किए जाने के बारे में युक्तिसंगत आशंकाएँ थी । दिनांक 3 अप्रैल 1997 को आवेदक श्री रामजी पाण्डेय द्वारा समय देने की प्रार्थना की गई और उन्हें दिनांक 22 अप्रैल 1997 को ब्योरेवार सामग्री के साथ शपथ पत्र फ़ाइल करने की मंजूरी दी गई । आगे यह भी निदेश दिया गया कि इस न्यायालय में कोई दस्तावेज़, आवेदन या शपथपत्र प्रस्तुत करने से पहले उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी प्रतिलिपि उन संबंधित अधिकारियों को देगा जिनके विरुद्ध उसके द्वारा शिकायतें की गई हैं । इस मामले को दिनांक 22 अप्रैल 1997 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया ।

दिनांक 22 अप्रैल 1997 को दिनांक 3 अप्रैल 1997 के मेरे आदेश के अनुपालन में श्री रामजी पाण्डेय ने शपथपत्र के साथ एक आवेदन फ़ाइल किया । संबंधित अधिकारियों की ओर से उतर भी फ़ाइल किए गए । मुझे घोर आश्यर्च हुआ क्योंकि श्री रामजी पाण्डेय उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल नहीं हो सके थे । अभी भी श्री रमेश खन्ना तथा श्री पुरुषोत्तम झा के विरुद्ध स्थानांतरण का मामला

बनाने के लिए ब्योरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे । जिन साक्षियों पर तथाकथित रूप से दबाब डाला गया था, उनके नाम नहीं बताए गए थे । किसी भी तरह से वह किसी अन्य व्यक्ति को उन साक्षियों के नाम बताए बिना न्यायालय को विश्वास में लेकर उसे उनके नाम बता सकता था । अतः उपर्युक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण के इस आवेदन में कोई गुण नहीं था तथा इसे निरस्त कर दिया गया था । यद्यपि यह स्पष्ट किया गया कि यह जाँच न्यायालय एक सामान्य नीति के रूप में ऐसे सभी व्यक्तियों सहित अधिकारियों के स्थानांतरण की सिफ़ारिश कर सकता है जो मामले से जुड़े हैं या उसमें रुचि रखते हैं यदि ऐसा करना न्याय के हित में हो ।

प्रबंध समिति में विवाद

सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसरण में ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन, श्री आर०बी० सिंह के माध्यम सो हाज़िर हुई और उसने अनंतिम तथ्यों का कथन/शपथपत्र फ़ाइल किया । मेरे दिनांक 23 अप्रैल 1997 के आदेश द्वारा अनंतिम तथ्यों के कथन/शपथ पत्र को रद्द किया गया और आर बी सिंह को दिनांक 27 फ़रवरी 1997 के आदेश के पूर्ण अनुपालन करते हुए तथ्यों का कथन/शपथपत्र फ़ाइल करने का एक अवसर दिया गया । अवसर दिये जाने के बाबजूद श्री आर०बी० सिंह द्वारा वैसा ही शपथ पत्र तथा वैसा ही तथ्यों का कथन फ़ाइल किया गया तथा उसमें वे सभी त्रुटियाँ मौजूद थीं जैसी पहले तथ्यों के कथन/शपथपत्र में विद्यमान थीं । इस तरह के मामले को देखते हुए मेरी राय थी कि श्री आर बी सिंह, तत्कालीन सचिव के प्रतिनिधित्व वाली ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन को एक पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

इसी दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए । श्री ए० के० शर्मा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन द्वारा दिनांक 30 जुलाई 1997 के आवेदन द्वारा इस न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि श्री आर बी सिहं, तत्कालीन सचिव, को जो पहले ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दिनांक 4 अगस्त 1997 को या उसके बाद से इस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे क्योंकि श्री आर बी० सिंह को एसोसिएशन से निलंबित कर दिया था । श्री शर्मा न उस पद धारी का नाम भी बताया जिसे दिनांक 4 अगस्त 1997 को या उसके बाद से न्यायालय के सम्मुख ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।

दिनांक 30 जुलाई, 1997 के उपर्युक्त आवेदन द्वारा तथ्य के संबंध में रिकार्ड में लाए गए इस विवादस्पद तथा विवादित तथ्य के संबंध के उपर्युक्त मंच द्वारा न्याय- निर्णयन आवश्यक था । इसलिए इस न्यायालय ने श्री आर बी सिंह के प्रतिनिधित्व वाली ऑल इंडिया माइनिंग पर्सनल एसोसिएशन को हटा दिया तथा श्री ए के शर्मा को निर्देश दिया कि यदि नए पदाधिकारी तथा श्री आर बी सिंह के बीच कोई विवाद हो तो उसके अधिकारियों पर उपर्युक्त मंच पर सही न्याय निर्णय प्राप्त किया जाए ।

न्यायसंगत देय राशियों के भुगतान के लिए आवेदन

सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में एक व्यक्ति श्री विजय कुमार महतो, सुपुत्र स्वर्गीय काशी महतो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने भी दिनांक 5 अप्रैल 1997 को शपथपत्र के साथ एक आवेदन भी फ़ाइल किया । आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का सारांश यह है कि काशी महतो , आवेदक का पिता कतरास, चेतूडीह कोयला खान का एक स्थाई कर्मचारी था और 26/27 सितंबर 1995 को कोयला खान

में हुई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी । इसलिए स्वर्गीय काशी महतो के आश्रित उक्त आवेदन में उल्लिखित न्यायसंगत दावों के हकदार थे । इसलिए यह प्रार्थना की गई थी कि एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न्यायसंगत देयो राशियों/ दावों का भुगतान न किए जाने के लिए नियोजक पर शास्ति आरोपित की जाए और उक्त दावे के तुरंत संवितरण की सिफ़ारिश की जाए ।

शपथपत्र में की गई प्रार्थना ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत जाँच के क्षेत्र से परे थी । अतः आवेदक श्री विजय कुमार महतो को निदेश दिया गया था कि वे स्पष्ट करें कि क्यों न उनके मामले को निर्धारित की गई अगली तारीख़ अर्थात 19 मई 1997 को ख़ारिज कर दिया जाए ।

श्री दिनांक 19 मई 1997 को श्री विजय कुमार महतो की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही श्री विजय कुमार महतो ही उपस्थित हुआ । इस न्यायालय ने श्री विजय कुमार महतो के आवेदन को मामले के गुणा गुण पर विचार करने के बाद ख़ारिज कर दिया ।

दिनांक 27 फ़रवरी 1997 के आदेश का स्मरण कराने के लिए आवेदन

जाँच की कार्यवाहियों के दौरान सर्वश्री शैलजानंद उपाध्याय, एम एस हक तथा महादेव प्रसाद ने 20 मई1997 को इस प्रार्थना के साथ अलग अलग आवेदन फ़ाइल किए कि इस जाँच न्यायालय को अपनी जाँच को ख़ान अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों की विरचना तक सीमित रखना चाहिए और अपने दिनांक 27 फ़रवरी 1997 के उस आदेश का स्मरण दिलाना चाहिए जो कि कोयला ख़ानों के आरोपी अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में था ।

इस न्यायालय के दिनांक 27 फ़रवरी 1997 के देश द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि घटना के संबंध में जिन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भी दिनांक 27 अप्रैल 1997 के ओदश में बताए गए फ़ार्म में अपने बयान फ़ाइल करने चाहिए । दिनांक 22 अप्रैल के आदेश में ऐसे आरोपी व्यक्तियों को निर्देश दिया गया था -

1 आपराधिक मामलों के ब्योरे दें यदि कोई हो, जो उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय में संस्थित/ लंबित हैं ।

2 उन्हें सुस्पष्ट तथा विशिष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या उन्हें किसी प्रकार ऐसे आपराधिक मामलों से हानि पहुँच सकती है जो न्यायालय के समक्ष लंबित पड़े हैं या आरोप पत्र के आधार पर जिसके संस्थित किए जाने की संभावना है,तो यदि वे ख़ान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत इस जाँच न्यायालय के समक्ष अपनी अभिसाक्ष्य देते हैं

3 आरोपी व्यक्तियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे यह स्पष्ट करें कि इस जाँच न्यायालय द्वारा उनके कथन रिकार्ड करने से क्या आपराधिक मामले में उनकी सुरक्षा संबंधी तथ्य के प्रकट होने की संभावना है ।

उपर्युक्त आदेश आरोपी व्यक्तियों के विधिक हितों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था न कि उन्हें कोई हानि पहुँचने या उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए । आपराधिक मामलों तथा ऐसे न्यायालयों का

ब्योरा देने में भी कोई कठिनाई थी जहाँ ऐसे मामले लंबित पड़े हैं या संस्थित किए जाने की संभावना है । इसलिए यह न्यायालय यह पता लगाने का प्रयत्न करेगा कि क्या इससे आरोपी व्यक्तियों के आपराधिक मामलों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

खान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत वर्तमान जॉच में केंद्रीय सरकार को दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की रिपोर्ट देने के लिए तथा इस न्यायालय द्वारा ऐसी टिप्पणियाँ करने के लिए भी, जिन्हें वह उपर्युक्त समझता है, आरोपी व्यक्ति महत्वपूर्ण गवाह/पार्टियाँ थी ।

न्यायालय ने पहले से ही विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा था कि आपराधिक अधिकारिता वाले न्यायालय में आरोपी व्यक्तियों के मामलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । यह जाँच न्यायालय खान अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 21 के साथ पठित इसकी धारा 24 पर अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों के बारे में पूरी तरह सचेत था ।

न्यायालय को आरोपी व्यक्तियों को गवाह के रूप में हाज़िर होने के लिए समन करने की पूरी शक्ति थी यहाँ तक कि वह उन्हें हाज़िर होने के लिए मजबूर भी कर सकता था तथा वह अपनी कब्जे में रखे दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के-लिए भी उन्हें बाध्य कर सकता था किंतु उस शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाए जिससे अन्यथा किसी भी प्रकार से आरोपी व्यक्तियों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

इसी प्रकार यह न्यायालय यह परीक्षा करना चाहता था कि क्या आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस जाँच न्यायालय के सम्मुख दिये गए किसी कथन से उसके बचाव से संबंधित तथ्य अन्यथा प्रकट हो सकते हैं जिससे कानूनी कार्यवाहियों में उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । यह जाँच न्यायालय इस बात से पूर्णतः अभिज्ञ था कि आपराधिक विधि शस्त्र के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति के अधिकार, मूल्यवान अधिकार होते हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण की आवश्यकता होती है । उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत आवेदनों को इस न्यायालय के दिनांक 20 मई 1995 के आदेश द्वारा रद्द किया गया ।

इसलिए यह न्यायालय यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि उपर्युक्त आरोपी व्यक्तियों की ओर से अपनाया गया आचरण इस जाँच न्यायालय के साथ असहयोग करने और इसकी कार्यवाहियों में विलंब करने की दृष्टि से कार्यवाहियों में बाधा खड़ी करने के लिए एक महत्वपूर्ण चाल थी ।

कार्यवाहियों में वकील को उपस्थित होने से रोकने के लिए आवेदन

दिनांक 5 मार्च 1998 को श्री के बी सहाय, महासचिव, कोयला खान श्रमिक संघ तथा श्री रामजी पाण्डेय, संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ द्वारा इस प्रार्थना के साथ अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किए कि विलंब को रोकने के लिए पार्टियों की ओर से हाज़िर होने वाले वकीलों को इस जाँच न्यायालय के सम्मुख हाज़िर होने की अनुमति न दी जाए । उपर्युक्त आवेदन की प्रतियाँ उतर देने के लिए, यदि कोई हो,श्री आर बी इराडे को, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए तथा श्री एस०जे० सिब्बल, निदेशक (सी०एम०सी०) को खान सुरक्षा महानिदेशक के लिए सौंपी गई ।

यह मामला दिनांक 7 मार्च 1998 को मेरे समक्ष आदेश के लिए प्रस्तुत किया गया । यह ज्ञात हुआ कि श्री एस०सी०मलिक, एडवोकेट मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के लिए तथा कुछ आरोपी व्यक्तियों के लिए भी हाज़िर हो रहे थे । रिकार्डों का अवलोकन करने पर भी यह पाया गया कि श्री एस सी मलिक एडवोकेट द्वारा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से कई आवेदन किए जिनमें समर्थन न करने योग्य ऐसे तर्क दिए गए थे जिन्हें अन्यथा आरोपी व्यक्तियों की ओर से उठाया जा सकता था और उसके द्वारा इस जाँच न्यायालय की जाँच प्रक्रिया विलंबित हुई थी ।

चूँकि साक्ष्य रिकार्ड करने की तारीखें निर्धारित की जा चुकी थी, इस न्यायालय की राय थी कि श्री एस सी मलिक, मैसर्स भारत कोकिंग काल लिमिटेड की और से हाज़िर नहीं हो सकते तथा साथ ही इस कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों की ओर से भी हाज़िर नहीं हो सकते । यदि श्री मलिक को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों की प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जाती तथा आरोपी व्यक्तियों द्वारा और उन की ओर से भी प्रति परीक्षा करने की अनुमति दी जाती तो एक साधारण स्थिति उत्पन्न हो सकती थी ।

सर्वसम्मति से श्री मलिक ने आरोपी व्यक्तियों के साथ साथ मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मामलों की फ़ाइलों, सामग्रियों तथा ब्योरों की परीक्षा की थी । अतः इस मामले में मैंने अपने दिनांक 7 मार्च 1998 के ओदश के तहत यह निर्देश दिया कि श्री एस सी मलिक इसके बाद आरोपी व्यक्तियों के लिए या उनकी और से उपस्थित नहीं होगें । साथ ही श्री एस सी मलिक, एडवोकेट ने दिनांक 7 मार्च 1998 को एक आवेदन दिया जिसमें इस जाँच न्यायालय से अनुमति माँगी गई थी कि उन्हें संबंधित आरोपी व्यक्तियों की ओर से तथा उनके लिए एक एडवोकेट के रूप में उनकी कार्यवाहियों से नाम वापस लेने की अनुमति दी जाए । इस आवेदन पर तदनुसार अनुमति दे दी गई ।

स्थानांतरण आदेशों को लागू करने के लिए आवेदन

दिनांक 20 अप्रैल 1998 का एक दूसरा आवेदन दिनांक 24 अप्रैल 1998 को इस न्यायालय के सम्मुख फ़ाइल किया गया था उसे श्री रामजी पाण्डेय, संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख फ़ाइल किया गया था । उसमें यह प्रार्थना की गई थी कि श्री फूल चन्द सूद, महाप्रबंधक (आरोपी) के स्थानांतरण आदेश तथा इस मामले में सम्मिलित या किसी प्रकार/ रुचि रखने वाले ऐसे अन्य आरोपी अधिकारियों/व्यक्तियों के स्थानांतरण को लागू करने के आदेश दिए जाए/ सिफ़ारिश की जाए । पैराग्राफ़

संख्या 5 में यह कहा गया था कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सामान्य नीति है, जिसे सभी संबंधित लोगों में परिचालित किया गया हैं, कि वे ऐसे सभी अधिकारियों का स्थानांतरण अपनी सहायक कंपनी से बाहर करें जो एक ही सहायक कंपनी में 10 वर्षों या उससे अधिक समय से हैं । आगे यह भी कहा गया था कि सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार का उपर्युक्त नीति को तत्काल लागू करने का भी आदेश है।

उपर्युक्त आवेदन की प्रतियाँ संबंधित पार्टियों को दी गई और उन्हें दिनांक 25 अप्रैल 1998 तक अपने उत्तर दिनांक 25 अप्रैल, 1998 को फाइल करने का समय दिया गया था । सर्वश्री पशुपति नाथ वर्मा नगेन्द्र सिंह तथा वृजेन्द्र कुमार ने अपना उतर फ़ाइल किया । इस मामले को दिनांक 15 मई 1998 के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया । दिनांक 15 मई 1998 को यह मामला अगले आदेश के लिए पुनः मेरे सम्मुख आया ।

मैंने श्री रामजी पाण्डेय, एडवोकेट, संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ के आवेदन को देखा । चूँकि मुझसे दिनांक 30 जून 1998 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था अतः इसे आवश्यक आदेश तथा निर्देश पारित करने के लिए सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को भेजना समीचीन था ।

अध्याय-III

निरीक्षण

निरीक्षण की आवश्यकता :-

दुर्घटना की परिस्थतियों और कारणों का पता लगाने के लिए यह आवश्यक था कि उस भूमिगत खदान का निरीक्षण किया जाय जहाँ यह दुर्घटना घटी और 64 खनिकों ने जल समाधि ले ली । जाँच अदालत के अध्यक्ष के रूप में कार्य भार ग्रहण करने के पश्चात मैनें विभिन्न अवसरों पर दुर्घटना स्थल का दौरा किया । दौरे के समय ख़ान सुरक्षा महानिदेशालय तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों ने मुझे इस बात से अवगत कराया कि गज़लीटाँड खदान में से जल पूरी तरह से निकाला नहीं गया था और साथ ही उसमें आग लग गई थी । मुझे इसके आगे बताया गया कि कार्य बिल्कुल बंद हो चुका था और मलवे से खदान के भाग पूर्णतः अवरुद्ध हो गए थे । संभवतः खदान में काम पुनः चालू नहीं किया जा सकता था यह भी पता चला कि खदान के अंदर विषैली गैस भी मौजूद थी ।

निरीक्षण में बाधाएँ :

गज़लीटाँड खदान का निरीक्षण एक तत्कालीन आवश्यकता थी और इसके लिए तत्काल विशेष आदेश जारी करना आवश्यक था ।

दिनांक 24 फ़रवरी 1997 के न्यायालय के आदेशानुसार ख़ान सुरक्षा महानिदेशक से अपेक्षा की गई कि वे सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली संबंद्ध मुख्य सुरक्षा अधिकारी और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन से परामर्श करके आगामी निर्धारित तिथि को या उसके पहले इस अदालत को यह सूचित करे कि क्या गज़लीटाँड खदान के अन्दर धुस कर निरीक्षण करना सुरक्षित है । उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए तत्कालीन ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, श्री वी महाजन ने दिनांक 2 अप्रैल 1997 की रिपोर्ट को 3 अप्रैल 1997 को फ़ाइल किया ।

दिनांक 2 अप्रैल 1997 की उपरोक्त रिपोर्ट में श्री वी० महाजन ने बताया कि पिट सं० 6 के आस पास XI और XII सीमों में खनन कार्यकलाप प्रारंभ किया जा चुका है और यहाँ 4 नं० पिट से होते हुए XII सीम तक पहुँचा जा सकता है और तत्पश्चात वहाँ से नीचे की XI सीम तक पहुँघा जा सकता है । ये कार्य स्थल मलवे और विषैली गैसों से मुक्त हैं और अब इनका निरीक्षण किया जा सकता है । उन्होंने आगे बताया कि XI वें सीम से X वें सीम तक कार्य प्रगति पर है और XI वे सीम के नीचे अभी भी पानी भरा हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि X नं० सीम तथा X ए सीम के कार्य स्थल को निरीक्षण के योग्य बनाने के लिए बचाव कार्य को तेज किया जाय तथा पानी निकालने के काम में उन सावधानियों को बरता जाय जिससे आग न लगे ।

मैंने श्री वी० महाजन की दिनांक 2 अप्रैल 1997 की रिपोर्ट का अवलोकन किया । यह अदालत उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी । अदालत ने दिनांक 3 अप्रैल 1997 के आदेश के तहत श्री वी० महाजन को

दिनांक 24 फ़रवरी 1997 के आदेश पर पुनः ग़ौर करने का निर्देश दिया और इच्छा व्यक्त की कि समूचे खदान के संदर्भ में आदेश का उचित अनुपालन किया जाए और विशेष रूप से दिनांक 24 फ़रवरी 1997 के आदेश में उल्लिखित अधिकारियों के साथ परामर्श करके उक्त आदेश के अनुपालन संबंधी सारे ब्योरे को फ़ाइल पर प्रस्तुत किया जाए ।

इस प्रक्रम में यह बताना आवश्यक था कि यह अदालत गज़लीटाँड खदान के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मसले पर ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद की रिपोर्ट का आधार बिंदु मानती है जिसके विषय में दिनांक 24 फ़रवरी 1997 के आदेश में उल्लिखित प्राधिकारियों यथा सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, संबंद्ध मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद के प्रबंधन के साथ परामर्श किया गया ।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा कि परामर्श काम औपचारिकता नहीं है । इसका अर्थ बैठक करना, विचार विमर्श करना, सुझाव देना और मंत्रणा, सलाह तथा सूचना का आदान प्रदान करना है । इस तरह गज़लीटाँड जैसी खदान विशेष के निरीक्षण के संबंध में सुरक्षा के लिए परामर्श में प्रभावशाली ढंग से विचार विमर्श अपेक्षित है । अतः इस अदालत ने ख़ान सुरक्षा महानिदेशक को संबंद्ध सभी तथ्यों एवं आँकड़ों संबंद्ध अधिकारियों के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया जिसमें सचिव भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली शामिल हैं ताकि सचिव, श्रम मंत्रालय ख़ान सुरक्षा महानिदेशक को मामले के संबंध में आगे कार्रवाई करने तथा यथावश्यक उपर्युक्त अर्थोपार्य के संबंध में सुझाव दे सकें ।

इस अदालत को इन बातों की जानकारी थी कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक के मुख्य ख़ान निरीक्षक होने के नाते ऐसे मामलों में उनके निर्णय को अनंतिम माना जाता है । विशेष पूवोपाय के रूप में इस जांच अदालत ने इच्छा व्यक्त की कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद उपर्युक्त अधिकारियों से विचार विमर्श करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद के मुख्य ख़ान निरीक्षक होने के नाते ऐसे मामलों में उनका निर्णय केवल विधिक उपधारणा के आधार पर अंतिम माना जाता है । परामर्श के लिए उल्लिखित अधिकारी गण सरकार और उसके संगठन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं । न्यायालय को इस बात से अत्यंत राहत मिलती अगर ख़ान सुरक्षा महानिदेशक अपनी सुझाव सचिव (श्रम) तथा अन्य अधिकारियों के साथ परस्पर विचार विमर्श करने के पश्चात देते । प्रश्नगत खदान जल निमग्न होने के कारण पूर्णतः नष्ट हो चुकी है और इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं । यह न्यायालय यह चाहता था कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद एक प्रभावी विचार विमर्श के पश्चात उक्त खदान के निरीक्षण करने वाली प्रस्तावित टीम की सुरक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे ।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यह घटना जो इस जाँच न्यायालय का वाद विषय है विधि की उपधारणा पर आधारित होने के बजाय दोहरी सावधानी बरतने का एक जीवन्त उदाहरण थी और इस मामले में मुख्य ख़ान निरीक्षक होने के नाते ख़ान सुरक्षा महानिदेशक के निर्णयाकें को अंतिम माना जाना चाहिए ।

हालाँकि दिनांक 3 अप्रैल 1997 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री वी महाजन, ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद द्वारा दिनांक 19 मई 1997 की रिपोर्ट सं० 1(9)95-सामान्य/428 के तहत एक अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । इस रिपोर्ट में ख़ान सुरक्षा महानिदेशक ने निम्न तथ्यों पर प्रकाश डाला :-

(क) सुधार कार्य में प्रगति (ख) सुधार की स्थिति की जानकारी दी गई एवं (ग) स्थिति समझाई गई, सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को सुधार कार्य की प्रगति की दिशा में मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबद्ध मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन ने भी कार्रवाई की ।

उपरोक्त रिपोर्ट के साथ ख़ान सुरक्षा महानिदेशक ने मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० प्रबंधन के साथ हुए पत्राचार को भी संलग्न किया । यह भी बताया गया कि न्यायालय के दिनांक 3 अप्रैल 1997 के आदेश के पश्चात मामले को पुनः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन के पास विचारार्थ भेजा गया और उसके बाद एक अनुस्मारक भेजा गया और इसके जबाब में प्रबंधन ने खदान में आग और जल स्तर के संबंध में कार्य की स्थिति की जानकारी दी । प्रबंधन ने बताया है कि गज़लीटांड कोयला ख़ान में अग्नि की समस्या का अध्ययन, केंद्रीय खनन खनन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक तकनीकी समाधान हेतु किया जा रहा है ।

यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक अपनी संदर्भाधीन रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि इस मामले को ख़ान सुरक्षा महानिदेशक के दिनांक 5 मई 1997 के पत्र सं. 1(4)95-सामान्य / 4137 के तहत सचिव, भारत सरकार श्रम मंत्रालय के पास भी विचारार्थ भेजा गया था । सचिव की सलाह भी उस रिपोर्ट के अनुबंध डी-2 के रूप में संलग्न है । ख़ान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा उजागर किए गए तथ्यों का अवलोकन करने के बाद यह पता चला कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक ने सभी संगत काग़ज़ात सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के परामर्श हेतु प्रस्तुत कर दिये हैं ।

इस संकट के संबंध में ख़ान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई " जाँच न्यायालय द्वारा गजलीटाँड खदान के निरीक्षण के लिए उसमें प्रवेश संबंधी नोट का संदर्भ दिया जा रहा है । प्वाइंट 7.0 उपर्युक्त नोट के निष्कर्ष से संबद्ध है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि " न्यायालय के निर्देशानुसार सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा आवश्यक सलाह एवं निर्देश दिए जाय ताकि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद अपने दिनांक 3 अप्रैल 1997 के आदेश के अनुसार न्यायालय को उचित जवाब दे सके ।

मैंने दिनांक 19 मई 1997 की रिपोर्ट और दिनांक 24 फ़रवरी 1997 तथा 3 अप्रैल 1997 के अपने आदेशों को पढ़ा और उन पर विचार किया । ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 19 मई 1997 की रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ने और ख़ान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किए गए ख़ान के निरीक्षण एवं सचिव (श्रम) के साथ किए गए परामर्श से निम्नि निष्कर्ष निकलते हैं।

'(i) खदान में रुके हुए जल का निष्काषण किया जा चुका है और पिट सं० 6 के आसपास सीम सं० XI एवं XII में सुधार हो चुका है ।

(ii) जिन ख़ानों में सुधार कार्य हो चुका है वे सीम सं० XI तक निरीक्षण के लिए सुरक्षित हैं और खदान में पिट नं० IV से प्रवेश किया जा सकता है जिसका वाइन्डर पूर्णतः चालू है । बहाव सहित XII एवं XI सीम के मार्ग पर सुधार कार्य हो चुका है और इसे मलबे की सफ़ाई छत को आलम्ब देकर, पक्की सीढ़ियाँ बनाकर तथा प्रकाश व्यवस्था आदि करके निरीक्षण योग्य बना दिया गया है ।

(iii) ज्वलनशील एवं घातक गैसों की जाँच मिथेनमापी सह-संसूक्क तथा पक्षी युक्त पिंजरे द्वारा की गई । खदान XI एवं XII सीमों में किसी भी प्रकार की घातक या ज्वलनशील गैसें नहीं पाई गई । खदान की

वातन व्यवस्था भी ठीक ठाक थी ।

(iv) 11 वें एवं 12 वें सीमों जिनमें सुझाव कार्य हो चुका था उन्हें पृथकरण स्टापिंग एवं 11वें सीम के नीचे जल सील को रखते हुए पुरानी आग से पृथक कर दिया गया ।

(v) स्थापित नियमों के अनुरूप खदान में कई स्तरों में सुधार कार्य किया जा रहा है । सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुधार कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानियों की ज़रूरत होती है ।

(vi) " 6 नं० पिट से होकर द्वितीय निकास के चालू होने के कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि 6 नं० पिट के पास XI वें एवं XII वें सीमों में ही निरीक्षण कार्य किया जा सकता है । इसके चारों चारों और शब्द के प्रयोग के संबंध निरीक्षण कार्य में कुछ स्पष्टीकरण की ज़रूरत थी । उदाहरण के तौर पर क्या इसका मतलब 6 नं० पिट से थोड़ी दूरी से है जो अंत में 10 नं० सीम पर खुलता है या यह XI एवं XII सीमों के कुल लंबाई को इंगित करता है । उपरोक्त रिपोर्ट से यह भी पता चला कि 6 नं० पिट से दूसरी निकासी की व्यवस्था प्रगति पर थी और यह निकासी उपरोक्त रिपोर्ट फ़ाइल करने की तिथि 19 मई 1997 तक नहीं बनी थी ।

खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद की दिनांक 19 मई 1997 की रिपोर्ट में उसमें दर्शाए गए तथ्यों की पुष्टि में कोई नक़्शा संलग्न नहीं किया । खदान के अन्दर आग की स्थिति, जो XI वें नं० सीम के नीचे वाटर सील के लिए ज़रूरी है, को नहीं दर्शाया गया था और न ही उस तिथि को जब XI नं० सीम के नीचे का क्षेत्र जल प्लावित हुआ । यह भी स्पष्ट नहीं था कि XI वे सीम से X वे सीम तक के मार्ग में सुधार नहीं आया था और न ही पूरक सीम नं० X में बहाव या पहुँच में किसी भी प्रकार का सुधार आया था । यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सीम नं० XI से सीम नं० X तक जाने का मार्ग या बहाव या पहुँच में कब सुधार होगा । रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं था कि मृतकों को कहाँ से बरामद किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि, खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा भूमिगत खदान का प्रस्तावित निरीक्षण करने हेतु की जानी थी । पार्टियों की दलीलों से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के दिन 6 नं० पिट से होकर x वें नं० पूरक सीम में वास्तविक तौर पर कार्य हो रहा था । खदान के प्रस्तावित निरीक्षण में वह जगह शामिल थी जहाँ कुछ शवों को बरामद किया गया । खान सुरक्षा महानिदेशक की रिपोर्ट के मुताबिक़ यदि उस स्थिति में निरीक्षण किया गया होता तो यह निरीक्षण केवल XI नं० सीम तक ही सीमित होता न कि X वे एवं उसके पूरक सीम X जो उस वक्त जल प्लावित थे ।

अतः इसे न्यायालय ने खान सुरक्षा महानिदेशक एवं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दोनों को निर्देश देते हुए दिनांक 24 जून 1997 को एक अन्य आदेश पास किया जिसमें कहा गया कि वे दोनों निम्न के संबंध में एक स्पष्ट संक्षिप्त एवं विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करें :-

(i) कोयला खान विनियमों की अर्पेक्षानुसार 6 नं० पिट से होकर द्वितीय निकासी की व्यवस्था कब तक हो जायगी ।
(ii) आग कहाँ पर लगी है और कब लगी (तिथि के साथ) जिस के कारण XI नं० सीम के नीचे आग बुझाने की ज़रूरत पड़ी और इस पर कब तक क़ाबू पाया जायगा ?

(iii) किस तारीख़ तक X वें सीम के ऊपरी भाग से निचले भाग तक बहाव (ड्रिफट) में सुधार आ जाएगा स्थिति पूर्णतः सही सुव्यवस्था होगी ।

(iv) X वे एवं उसके पूरक X वे सीम तथा X एवं XI सीमों को जोड़ने वाली बहाव (ड्रिफट) में कब तक पूर्ण सुधार हो जायगा और उन्हें निरीक्षण योग्य बना दिया जायगा ?

(v) किस तारीख़ तक पूरे खदान को सुरक्षा के सभी उपायों के साथ किस तारीख तक निरीक्षण कार्य योग्य कर दिया जाएगा ?

(vi) क्या समस्त गज़लीटॉड खदान को फिर से सभी सीमों के साथ पूर्ण सुरक्षा उपायों सहित चालू किया जा सकेगा ?

(vii) ख़ान सुरक्षा महानिदेशक नक़्शे की एक प्रति उपलब्ध कराए जिसमें निरीक्षण किए जाने वाले क्षेत्रों का बिंदुवार माप अंकित हो । उसी प्रकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रबंधन भी इस तरह का नक़्शा उपलब्ध कराए ।

उपरोक्त आदेश में आगे यह स्पष्ट किया गया कि दुर्घटना हालत में 26-27 सितंबर 1995 को घटी और तब से आज तक समूचे खदान निरीक्षण योग्य नहीं है अतः अनिश्चित एवं संदिग्ध जवाब देने की बजाय न्यायालय को एक निश्चित समय दिया जाए ।

इस अदालत ने किसी भी व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की थी कि कोई ऐसे तथ्य दिए जाए जिन्हें स्वीकार करना असंभव है । अतः एक स्पष्ट एवं स्वच्छ बयान की आशा की गई जिसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं हो ।

यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि श्री आर० के० रंग, उप सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने सचिव एवं चेयरमैन गजलीटॉड जाँच न्यायालय को संबोधित दिनांक 10 मई 1997 के पत्र सं० ए 11013/3/95-ISH-II के तहत निवेदन किया कि उनके पत्र को चेयरमैन के समक्ष उनके अवलोकन एवं विचारार्थ रखा जाय जिसमें यह बताया गया था कि ख़ान सुरक्षा महानिदेशक, जो मुख्य ख़ान निरीक्षक भी हैं, के निर्णयों को ऐसे मामलों में अनंतिम काना जाता है । दिनांक 16 मई 1997 के उक्त पत्र पर कोई टिप्पणी किए बिना इस अदालत ने पत्र की अर्न्तवस्तु पर आश्चर्य व्यक्त किया । इस अदालत ने किसी भी स्तर पर उप सचिव या अन्य किसी सचिव भारत सरकार, श्रम मंत्रालय से 24 फ़रवरी 1997 तथा 3 अप्रैल 1997 के आदेशों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी मुद्दे का जवाब देने की इच्छा ही व्यक्त की न हीं जवाब देने का अनुरोध किया ।

दिनांक 15 जुलाई 1997 को जब मामला न्यायालय के समक्ष आया तो ख़ान सुरक्षा महानिदेशक एवं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से आवेदन दिया गया जिसमें 24 जून 1997 के आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय की माँग की गई जिसे मंज़ूरी दे दी गई ।

यह मामला न्यायालय के समक्ष 27 अगस्त 1997 को आया और उक्त तिथि को ख़ान सुरक्षा महानिदेशक और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड दोनों ने 14 अगस्त एवं 26 अगस्त 1997 को अपनी अपनी

विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

द्वितीय निकास

उपरोक्त रिपोर्टों के अवलोकन से पता चला कि यह मामला खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद एवं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए इस दृष्टि से सामान्य था कि कोयला खान विनियम 1957 के अंतर्गत द्वितीय निकास 3 महीने के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता था । इस अदालत ने महसूस किया कि जब तक दूसरे निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक विधि के अनुसार अनुज्ञेय एक प्रभावी निरीक्षण करना संभव नहीं होगा ।

उपरोक्त रिपोर्टों के अवलोकन से यह भी पता चला कि द्वितीय निकास की व्यवस्था करने के पश्चात संकट कालीन स्थिति में संबंद्ध खदान का निरीक्षण केवल XI सीम तक ही किया जा सकेगा । आगे यह भी बताया गया कि आग और पानी के कारण, X वें सीम का ऊपरी भाग, निचले भाग और X वें पूरक सीम को निरीक्षण के लायक तभी बनाया जा सकता है जब ऊपर के सीमों में आग बुझा दी जाय और X तथा X पूरक सीमों में जल निकासी कर दी जाय । अतः किसी निश्चित समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि खदान की X वें और X वें पूरक सीम निरीक्षण के लिए कब उपलब्ध हो सकेगें ।

उपरोक्त रिपोर्ट से यह भी पता चला कि निकट भविष्य में X वें सीम या X वें पूरक सीम को निरीक्षण के लायक नहीं बनाया जा सकता और उन सीमों की वर्तमान स्थितियाँ बहुत खतरनाक है और उनमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि वे विनाशकारी स्थिति में है ।

यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि घटना के दौरान X वे पूरक सीम में वास्तविक कार्य चल रहा था जहाँ खनिकों के मारे जाने की आशंका प्रकट की गई । उपरोक्त तथ्यों एवं पीरस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिनांक 15 सितंबर 1997 के आदेश के आलोक में मामले को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था और एक निर्देश जारी किया गया कि आगामी निर्धारित तारीख अर्थात 24 नवंबर 1997 के खान सुरक्षा महानिदेशक और मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को यह बताने का प्रयास करेंगे कि पिट सं० 6 से होकर द्वितीय निकास कब तक स्थापित किया जाएगा ।

यह अदालत 24 नवंबर 1997 को नहीं बैठ सकी और इसलिए निरीक्षण का मामला मेरे समक्ष 8 दिसंबर 1997 को प्रस्तुत हुआ । इस तिथि को जाँच अदालत के लिए दुर्भायपूर्ण और सबसे निराश जनक बात यह रही कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से एक आवेदन दिया गया सिमें उक्त संगठन के किसी भी उत्तरदायी अधिकारी का शपथ पत्र नहीं दिया गया था । उक्त आवेदन से निम्न बातें खुलकर सामने आई :-

(1) कि विधि द्वारा अनुमेय, प्रभावी निरीक्षण दल के सभी संबंद्ध व्यक्ति, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का प्रबंधन और खान सुरक्षा महानिदेशक, निर्देशानुसार ऐसे निरीक्षण को संभव बनाने हेतु सभी एहतियाती कदम उठाएँ । मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से XI वे सीम के सुधार कार्य का दौरा करने संबंधी सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं ।

(2) कि इस माननीय न्यायालय द्वारा किया जाने वाला किसी भी तरह का निरीक्षण इस जाँच अदालत की सुविधा के अनुसार किया जाएगा ।

(3) कि प्रबंधन इस जाँच न्यायालय के निर्देशों के अनुसार खदान का निरीक्षण करेगी ।

(4) कि यह सूचना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा इस जाँच अदालत को दिनांक 28 अगस्त 1997 के आदेश के अनुसार दी जा रही है ।

उपरोक्त आवेदन से कोयला खान विनियम कें अंतर्गत अपेक्षित द्वितीय निकास स्थापित करने संबंधी तथ्य प्रकट नहीं हुआ । आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे स्पष्ट होता कि कोयला खान विनियम के अनुसार द्वितीय निकास का निर्माण कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदन से यह भी नहीं पता चलता कि द्वितीय निकास बनाना विनियम के अनुसार अपेक्षित है । इस तरह खदान के किसी भी भाग के निरीक्षण करने की बात बहुत ही गंभीर स्तर पर थी ।

पूर्व निर्मित प्रश्न पूर्णतः स्पष्ट थे परन्तु उन प्रश्नों के संदर्भ में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उत्तर अस्पष्ट एवं टाल मटोल करने वाले थे । मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रुप में आना चाहिए था । इसलिए इस अदालत ने उक्त तारीख को मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्री डी० के० चौबे से बार बार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उन अधिकारी/प्राधिकारी का नाम बताने की मांग की जिसने उन्हें उपरोक्त वर्णित तथ्यों को बयान करने को कहा था पर श्री डी० के० चौबे मौन रहे । वास्तविकता यह थी कि श्री डी० के० चौबे ने अपने मुवक्किल से कोई हिदायत प्राप्त किए बिना उक्त आवेदन पेश किया था । इन परिस्थितियों की वजह से इस न्यायालय को यह टिप्पणी करने के लिए विवश होना पड़ा कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का कोई भी पदाधिकारी इस मामले में रुचि नहीं ले रहा है और न ही उन्हें अपने वकीलों को सच्चाई से अवगत कराने की परवाह है बल्कि निरीक्षण के मामले को रोकने के लिए सभी प्रकार के भ्रामक और टाल मटोल करने वाले प्रमाण पेश कर रहे हैं । इस अदालत ने 24 फरवरी 1997 को निरीक्षण संबंधी पहला आदेश पारित किया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और 8 दिसम्बर 1997 तक निरीक्षण कार्य को किसी ने किसी कारणवश मुख्यतः मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं खान सुरक्षा महानिदेशक के कृताकृतों के कारण स्थगित कर दिया गया था ।

इस न्यायालय से यह आशा की गई थी कि उक्त मामले पर न्याययिक विचार कर फैसला दे कि कोयला खान विनयिम के अन्तर्गत अपेक्षित द्वितीय निकास की व्यवस्था की गई थी और ऐसे निष्कर्ष के बिना निरीक्षण नहीं किया जा सकता था । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल रिकार्ड में रखे गए आँकड़ों और सामग्रियों की जाँच के बाद उसकी संतुष्टि हो जाने की शर्त पर ही खदान के XI वें सीम तक के भाग का निरीक्षण किया जाना था ।

यह कहना व्यर्थ है कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता श्री डी० के० चौबे दिए गए आवेदन में भी द्वितीय निकास की जरा भी चर्चा नहीं की गई थी उल्लेखनीय है कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के न तो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और न अन्य निदेशक अदालत में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित थे ।

उक्त तारीख को खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद, जो खानों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के वारेष्ठतम अधिकारी हैं, से भी यह आशा की गई थी कि द्वितीय निकास की सुरक्षित स्थापना के प्रश्न पर अदालत में हाजिर होकर लिखित रुप से अपना विचार देते हुए इस जाँच अदालत की मदद करें लेकिन श्री एस० जे० सिब्बल, निदेशक (सीएमसी) खान सुरक्षा महानिदेशालस ने अदालत को बताया कि खान सुरक्षा महानिदेशक उस समय मुख्यालय से बाहर थे और इस कारण उनकी तरफ से किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया जा सका । यह अदालत यह बात नहीं समझ सकी कि अदालत को इस मामले की अगली कार्रवाई के अनुमति के संबंध में शपथ पत्र देकर द्वितीय निकास की स्थापना संबंधी सच्चाई का लिखित रिकार्ड क्यों नहीं रखा जा सका । इस तरह न्यायालय को द्वितीय निकास के संबंध में सूचना न देकर खान सुरक्षा महानिदेशक के कृताकृतों के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई ।

यह अत्यन्त खेदजनक है कि भारी मात्रा में खर्च करने के बाद भी खदान के अन्दर से पूर्णतः पानी नहीं निकाला जा सका और न ही दो वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने पर भी उसे आग से मुक्त किया जा सका । उक्त खदान के निरीक्षण करने का एकमात्र उद्देश्य दुर्घटना के उन कारणों ओर परिस्थतियों को पता लगाना व उनका मूल्यांकन करना है जिसमें लोगों की जानें गईं ।

एक अंतिम मौके के रुप में अदालत ने पुनः खान सुरक्षा महानिदेशक धनबाद एवं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को निर्देश दिया कि वे आगामी निर्धारित तारीख अर्थात 5 जनवरी 1998 तक या उसके पहले कोयला खान विनियमों के अनुसार द्वितीय निकास की स्थापना एवं गजलीटाँड खदान का निरीक्षण करने के संदर्भ में इस न्यायालय के पूर्व आदेशों का अनुपालन करें ।

तटबन्ध का निरीक्षण

यहाँ यह चर्चा कर देना अनिवार्य होगा कि उसी समय दिनांक 11 नवम्बर 1997 (पेपर सं० जीएल 6) को श्री कृष्ण वल्लभ सहाय (महासचिव, कोलियरी श्रमिक संघ) श्री रामजी पाण्डेय (संयुक्त महासचिव, जनता श्रमिक संघ) एवं श्री एस०पी० सिंह द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन श्री एस० के० बक्शी (कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ) की ओर से इस न्यायालय में पेश किया गया । इस आवेदन में यह निवेदन किया गया था कि कतरी नदी के तटबंध के साथ साथ गजलीटाँड कोयला खान अंगारपथरा तथा दुर्घटना से संबंद्ध अन्य स्थलों का निरीक्षण उनकी उपस्थिति में किया जाय जिससे दुर्घटना के कारणों का पता लग सके । यहाँ इस बात को उल्लेख करना निरर्थक न होगा कि न्यायालय ने पहले भी कई बार खान सुरक्षा महानिदेशालय एवं मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया था ।

दिनांक 9 दिसम्बर 1997 को अदालत ने उक्त आवेदन पर प्रो० श्री बी० के० मजूमदार असेसर, की मौजदूगी में आवेदन पर एक आदेश जारी किया और अर्जी के मुताबिक 9 दिसम्बर 1997 को 3 बजे अपराह्न का समय निरीक्षण के लिए निर्धारित किया न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि निरीक्षण में भाग लेने के इच्छुक सभी दल के पक्षकार 9 दिसम्बर 1997 को गजलीटाँड खदान की 6 नं० पिट के समीप अपराह्न 3 बजे एकत्रित हो जाय ।

निर्धारित समय के अनुसार मैं (न्यायालय) दुर्घटना स्थल पर पहुँचा । मैंने श्री के०बी० सहाय के साथ तटबंध पर खडे होकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की । तत्पश्चात् मैंने 6 नं० पिट का दौरा करने का प्रस्ताव रखा

जिसका इस्तेमाल तथाकथित तौर पर द्वितीय निकास के रुप में किया जा रहा था । 6 नं० पिट के नजदीक बहुत लोग मेरे साथ थे । मैंने पिट के ऊपर लगे वाइन्डिंग एवं संकेत व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण किया । जब 6 नं० पिट पर पहुँचा तो मुझे बताया गया कि 9 दिसम्बर 1997 को दूसरी पाली में, सतह के ऊपर निम्न व्यक्ति काम पर थे :-

1. श्री मानिक चंद्र प्रसाद	हाजिरी (क्लर्क)
2. श्री सरोज कुमार मित्रा	कैपलैम्प निर्गम (क्लर्क)
3. श्री बृज बिहारी तिवारी	फैन आपरेटर (पंखा प्रचालक)
4. श्री सुभानी मियाँ	वाइन्डिंग इंजन आपरेटर
5. श्री दशरथ महतो	बैंक्समैन
6. श्री लतीफ मियाँ	फायरमैन
7. श्री उस्मान मियाँ	फायरमैन

अध्यक्ष द्वारा गजलीटाँड खदान का पहला भूमिगत निरीक्षण

विनियम के अनुसार संबंद्ध खदान में द्वितीय में निकासी की सही अधिष्ठापन्न के संदर्भ में अदालत के समक्ष तथ्यों के सुस्पष्ट बयान के अभाव में वाइन्डिंग और संकेतन व्यवस्था की जांच करने के उपरान्त मैंने स्वयं xi वें सीम के मिट से मिड और संकेतन व्यवस्था का निरीक्षण करने और 6 नं० पिट से खदान में प्रवेश करने का तत्काल निर्णय लिया ।

निस्संदेह ही अदालत ने कोई पूर्व सूचना दिये बिना तत्काल निर्णय लिया था और इसलिए आवश्यक हेलमेट (टोप) कैपलैम्प छडी इत्यादि मंगाए गए और न्यायालय को जरुरत के मुताबिक दिये गए बिना किसी बाध्यता या दबाव के सहायता के लिए आमंत्रित किए जाने पर निम्न व्यक्तियों ने मेरा साथ दिया और उत्थापक में भी श्री मेरे साथ आए :-

1. श्री पी०सी० सूद	महाप्रबंधक, क्षेत्र सं० IV,मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० धनबाद ।
2. श्री एस०जे० सिबल	निदेशक (सीएमसी) खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद
3. श्री एच० एस० दूबे	अधीक्षक इंजीनियर (वेस्ट मुदीडीह) मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद ।
4. श्री एम० के० डे	कोर्ट ऑफिसर, गजलीटाँड जाँच अदालत
5 श्री एस०पी०लाल	अधिवक्ता, बिहार जनता खान मजदूर संघ की ओर से ।

उत्थापक में एक बार में केवल छः(6) ही व्यक्ति जा सकते है अतः उपर्युक्त व्यक्तियों ने विधि के अनुसार हेलमेट, छड़ी, कैपलैम्प और जहरीली गैस से बचाव का स्वसन यंत्र इत्यादि के साथ उत्थापक में प्रवेश किया । हमलोगों ने उपर्युक्त वर्णित टीम के साथ करीब 4.30 बजे अपराह्न उत्थापक में प्रवेश किया । अन्त में हमलोग 6 नं० पिट के पास XI वें सीम में बीच में बनाई गई अवरोहन व्यवस्था (मिड सेट लैन्डिंग) पर उतरे । XI वें सीम की कथित तौर पर गहराई सतह से 134.6 मीटर थी । फोरसिंग पंखों को पिट शीर्ष के समीप लगाया गया था और 6 नं० पिट भूमिगत खदान के रुप में काम कर रहा था । (मुझे) न्यायालय को बताया गया कि पिट X वें सीम तक डूब चुका है जिसकी गहराई 163 मी० थी । XI वें सीम के पिट बाटम में पहुँचने के उपरान्त, मैं अन्य पांच व्यक्तियों के साथ शॉफट लेवल से उत्तर की ओर करीब 8 मीटर चला और करीब 28/29 मी० की दूरी तक प्रथम ईस्ट लेवल का अनुसरण किया । जब मैं इस

लेवल ड्रिफट में खड़ा था मैंने निचले X वें सीम तक पहुँचने का प्रयास किया । यह मार्ग एक ईंट की दीवार और जी आई शीट दरवाजा द्वारा पृथक किया गया था और मुझे अनुकरण करनेवाले पदाधिकारियों ने मुझे आगे जाने से मना किया क्योंकि उस क्षेत्र में खतरे की बहुत संभावना थी । इसलिए हम न तो सीम XI और न ही X से X ए कार्यस्थलों को जोड़नेवाली ड्रिफट कों देख सके । हमलोग आगे बढे और दक्षिण की ओर मुड़ गए और सीम नं० XII की ओर उठते हुए ड्रिफट की सीढियाँ तक गैलरी से होकर गए, हमें उपर जाने वाली सीढ़ी था स्पष्ट दिख रही थी तथा ड्रिफट के बीच रस्सियाँ एवं पाइपें थी । इस स्थल से हमलोग पुनःउसी रास्ते से होकर मिड सेट लोड़िंग लौट आए ।

उत्थापक से नीचे जाते हुए, मैंने देखा कि उत्तर की तरफ शौफट के नजदीक XII वें सीम में चल रहे सुधार कार्यो को ईंटों से निर्मित अवरोधिका द्वारा पृथक किया गया था । ऊपर आते हुए मैने कैपलैम्प से देखा कि दक्षिण की तरफ XII वें सीम का सुधार कार्य को शौफट से 5/6 मी० की दूरी पर अवरोधिका द्वारा पृथक किया गया था । इसके अतिरिक्त शौफट से होकर जाते हुए हमनें सीम सं० XIII और XIV पार किया परन्तु कुछ भी दिखाई नहीं दिया । मुझे बताया गया कि सीम सं० 13 और 14 का किसी भी तरफ से निरीक्षण नहीं किया जा सकता । यह भी पता चला कि XI वें सीम की मोटाई 3.04 मी० है जिसकी तीव्र ढाल 6 से 1 था । 10 दिसम्बर 1997 को मैंने गजलीटाँड खदान के उक्त भाग के निरीक्षण की एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में टिप्पणी निम्नवत दी गई है :-

निरीक्षण के दौरान दी गई टिप्पणियाँ

1. इस खान आपदा में प्रभावित कुल क्षेत्रफल की तुलना में वर्तमान भाग निरीक्षण योग्य भाग बहुत कम है
2. इसमें शक नहीं है कि अधिकारियों द्वारा संबद्ध मूल गैलरियों के दोनों तरफ की दीवारों के बीच सफाई कराकर कचरा बालु, मिट्टी इत्यादि हटाकर गैलरी के एक भाग में सुधार कार्य करने का प्रशंसनीय कार्य किया गया जिसके फलस्वरुप इन गैलरियों से अपेक्षाकृत निम्न उँचाई का संकरा मार्ग बनाया गया जहाँ से कार्य संचालन किया जा सकता था ।

3. पता चलता है कि XI वें सीम के सुधार कार्य के उपरान्त उसके फर्श की आंशिक तौर पर मोटे बालू द्वारा भराई की गई । खुली गैलरियों की ऊँचाई 5 फीट से 6 फीट तक थी । निरीक्षण के दौरान कहीं कही यह 5 फुट से भी कम पायी गयी । गैलरियों का बड़ा हिस्सा वक्र स्थिति में था ।

4. गैलरियों के एक ओर कहीं कही मोटी बालू मिट्टी आदि से जमा थी । खुले भाग की चौडाई बेहद कम थी । गैलरियों में जगह - जगह पर लकड़ी स्तंभों/खंभों का सहारा दिया गया था । मैंने (अदालत) पाया कि वहां से होकर जाना कठिन और अत्यंत परिश्रम का कार्य था ।

5. मैंने पाया कि प्रथम ईस्ट गैलरी के फर्श के साथ साथ दो पाइपें विछाई गयी थी ।

6. X वें एवं XI वें सीम को जोड़नेवाले ड्रिफट के द्वारा भराई को देखने पर पता चला कि जहां सुधार कार्य हो रहा है वहाँ अपेक्षाकृत अधिक बालू और मलवा भरा हुआ था और उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी । इन परिस्थतियों के कारण मुझे अनुकरण करने वाले तकनीकी व्यक्तियों ने सलाह दी कि मैं X एवं XI वें सीम को जोड़नेवाली ड्रिफट की ओर न जाऊ और नं० X वें सीम के दरवाजे से होकर उसमें प्रवेश करुँ । उन्होंने किसी भी अन्य व्यक्ति को X वें सीम से XI वें सीम को जोड़ने वाली ड्रिफट की ओर जाने से मना

किया ।

7. XI वें और XII वें सीम को जोड़नेवाले कंकरीट ड्रिफट की सीढियों के निचले भाग से मैं करीब 15 मी० की दूरी तक ही देख सका । ये सीढियाँ सीधे XII वें सीम की ओर जाती दिखाई दे रही थी ।

8. XI वें सीम की वातन व्यवस्था अच्छी प्रतीत होती थी ।

9. मुझे संदेह है कि द्वितीय निकासी के रुप में स्थापित 6 नं० पिट में मैनवाइन्डिंग व्यवस्था विनियमों के अनुसार थी । वास्तव में उन समस्याओं की परवाह न करते हुए सारे खतरे मोल लेकर मैं स्वयं ही खदान में प्रवेश कर गया । यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब हमलोगों ने 6 नं० पिट के उत्थापन मिड सेट लैन्डिंग पर कदम रखा तो हमलोगों ने पाया कि निरीक्षण के लिए उक्त खदान में तीन पर्यवेक्षकों के अलावे अन्य कोई नहीं था जो अपने हाथों में पिजंडे में पक्षी, फलेम सेफटी लैम्प इत्यादि लिए हुए थे । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मैं (न्यायालय) जल स्तर के प्रवेश करने के समय के संबंध में किसी भी चिन्ह का पता नहीं लगा सका ।

यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि सीम सं० Xए, X, XI, XII, XIII और XIV दुर्घटना से प्रभावित हैं और दुर्घटना में कई जाने गई उन के कारणों एवं परिस्थतियों का पता लगाने के लिए इनका निरीक्षण किया जाना है ताकि रिपोर्ट तैयार की जा सके जबकि XI वें XII वें सीमों का कुछ हिस्सा और उन्हें जोड़नेवाली ड्रिफट ही इस समय निरीक्षण करने की स्थिति में हैं ।

10. जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैंने उपरोक्त खदान के उक्त हिस्से को, करीब 2 वर्ष 2 महीने बाद देखा है और मैं यह टिप्पणी करने के लिए विवश हूँ कि अभी तक जो कुछ भी निरीक्षण किया गया है वे XI वें XII वें सीमों की गैलरियों में सुधार कार्य करने के पश्चात् ही हुआ है वास्तविक स्थान अर्थात X ए कार्यस्थल जहाँ काम चल रहा था वह अभी तक जल प्लावित हैं और हमें सीम X एवं XI को जोड़नेवाले ड्रिफट के समीप भी जाने की अनुमति नहीं दी गई । मैंने (न्यायालय) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से विनियम के अधीन द्वितीय निकासी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 5 जनवरी 1998 को पहले ही निर्धारित कर दिया था और रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् ही कानूनी तौर पर तिथियों की घोषणा जारी कर नियमित निरीक्षण किया जायेगा जिसमें पाटियों को छोटे छोटे समूहों में दुर्घटनास्थल पर जाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा । वास्तव में यदि असेसर तत्पश्चात् दुर्घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण के विषय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर इस अदालत की मदद करें तो मैं आश्वस्त होऊँगा और मुझे इससे लाभ होगा ।

द्वितीय निकास पर अनुपालन रिपोर्ट

विनियम के अनुसार द्वितीय निकास की स्थपना के संदर्भ में बिना किसी प्रमाण पत्र के सभी खतरों का सामना करते हुए मेरे दिनांक 9 दिसम्बर 1997 को स्वेच्छापूर्वक गजलीटाँड खदान में प्रवेश करने का जोखिम उठाने के उपरान्त, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं खान सुरक्षा महानिदेशक ने खदान ने विधि के अनुसार द्वितीय निकास स्थापित करने के बारे मे अकस्मात् 6 जनवरी 1998 को अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की । यह चर्चा करना निरर्थक नहीं होगा कि दिनांक 9 दिसम्बर 1997 को मेरे स्वेच्छिक निरीक्षण करने से पूर्व द्वितीय निकास की व्यवस्था नहीं की गई थी ।

दिनांक 6 जनवरी 1998 को न्यायालय ने खान सुरक्षा महानिदेशक के इस कथन के आधार पर कि कोयला खान विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित द्वितीय निकास की व्यवस्था कर दी गई है गजलीटाँड खदान के छोटे से निरीक्षण करने योग्य भाग का अधिकारिक निरीक्षण करने के लिए 4 फरवरी 1998 की तारीख निश्चित की गई है ।

अदालत द्वारा गज़लीटाँड भूमिगत खदान का अधिकारिक निरीक्षण

3 फरवरी 1998 इस अदालत ने एक जाँच टीम का गठन किया जिसमें, मैं अर्थात गजलीटाँड जाँच अदालत का अध्यक्ष, श्री बी०के० मजुमदार, श्री एस० एन० पाढ़ी, खान सुरक्षा महानिदेशक, श्री भास्कर भट्टाचार्य, खान सुरक्षा निदेशक (क्षेत्र सं० 1), श्री एस० जे० सिब्बल, निदेशक (सीएमसी) श्री ए० के० सहाय, अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और श्री आर० बी० इरेडी महाप्रबंधक (विशेषकार्य), मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड शामिल थे ।

दिनांक 4 फरवरी 1998 को भूमिगत खदान के उस भाग का निरीक्षण किया गया जो वास्तव में समूचे खदान की तुलना में काफी छोटा हिस्सा था । श्री ए० के० सहाय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को छोड़कर उपरोक्त सभी व्यक्ति निरीक्षण दल में शामिल थे यद्यपि उन्हें निरीक्षण दल में शामिल होने का निर्देश दिया गया था और जिनकी उपस्थिति इस अदालत के लिए तकनीकी मदद साबित होती । जाँच अदालत द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध खदान के उक्त भाग को प्लेट सं० 1 एवं 2 में दिखाया गया है । इस जाँच अदालत के तकनीकी सलाहकार की हैसियत से प्रो० श्री बी० के० मजूमदार अससेर को निरीक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी ।

दिनांक 17 दिसम्बर 1998 को श्रम सचिव के निमंत्रण पर मैंने नई दिल्ली में उनके कक्ष में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया । इस सम्मेलन में श्री ए० के० सहाय, सीएमडी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड श्री एन० एन० गौतम, सलाहकार, कोयला मंत्रालय, श्री आर०के० सैनी, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय, श्री एस०एन० पाढ़ी, खान सुरक्षा महानिदेशक एवं अन्य व्यक्ति मौजूद थे । डॉ० श्री एल०डी० मिश्र, श्रम सचिव ने पूछा कि क्या समूचे गजलीटाँड खदान को निरीक्षण के योग्य बनाया जा सकता है । इस पर श्री गौतम ने कहा कि इस कार्य में दस वर्ष लग जायेंगे और कुल लागत 65 करोड़ रुपया से अधिक आएगी । सचिव चाहते थे वे इसे लिखित तौर पर दें और तत्पश्चात् मुझे (न्यायालय) इसकी गतिविधियों के संबंध में किसी भी तरह की लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई । श्री एन० एन० गौतम और श्री ए० के० सहाय के कथन की जांच के लिए जाँच न्यायालय उन्हें अदालत में गवाही हेतु बुला सकती थी । दस वर्ष और 65 करोड़ रुपये जैसे शब्दों से निस्संदेह एक प्रतिकूल और भयानक वातावरण का निर्माण हो गया । अब उनके कथन यथार्थता की जाँच नहीं की जा सकती थी । नतीजा यह हुआ कि 2 वर्ष 7 महीने के बाद भी समस्त गजलीटाँड खान को निरीक्षण योग्य नहीं बनाया जा सका । उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि यह सुधार कार्य उनके लिए असंभव था बल्कि यह कहा इस कार्य में 10 वर्ष लगेंगे और 65 करोड़ रुपये खर्च होगा। उक्त आंकड़ो या उक्त कथन के आधार को स्पष्ट नहीं किया गया । यह जल्दी में किया गया फैसला था । श्री एन एन गौतम के उपर्युक्त बयान में खादन में फँसे 64 खनिकों की मर्मस्पर्शी मृत्यु को नजरअंदाज करने की कोशिश की गयी ।

असेसर की निरीक्षण रिपोर्ट

प्रो० बी० के० मजूमदार, असेसर ने गजलीटाँड कोयलाखान के भूमिगत के एक हिस्से के निरीक्षण के संबंध में दिनांक 8 मई 1998 को एक रिपोर्ट दिनांक 16 मई 1998 को पेश की जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

अदालत दिनांक 6 जनवरी 1998 के आदेश सं० सी डी आर 17 के अनुसार, गज़लीटाँड कोयलाखान के भूमिगत कार्य के एक हिस्से के निरीक्षण के लिए 4 फरवरी 1998 की तारीख निर्धारित करती है । अदालत के निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री एस० के० मुखर्जी के साथ अधोहस्ताक्षरी असेसर की हैसियत से उपस्थित थे ।

श्री आर बी इराडी, प्रभारी महाप्रबंध (वि०का/सम्पद), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रतिनिधि, श्री पी०सी० सूद, महाप्रबंधक क्षेत्र सं० 4 एवं श्री एस० के० मित्रा वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकार, गज़लीटाँड कोयलाखान द्वारा खदान में प्रवेश करने से पूर्व X वीं विशेष X वीं निचली X वीं उपरी Xi, Xii सीमों के भूमिगत कार्य क्षेत्रों के मानचित्रों (अनुरेखणों) के बारे में अन्य लोगों के साथ साथ असेसर को भी इसके बारे में बताया गया । बाद में अनेक खनन पदाधिकारियो, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों सहित खान सुरक्षा महानिदेशक के साथ साथ इच्छुक व्यक्तियों के कई समूहों ने एक साथ मिलकर भूमिगत कार्यो का दौरा किया इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे -

1. माननीय न्यायाधीश एस० के० मुखर्जी, अध्यक्ष, जाँच न्यायालय
2. प्रो० बी० के० मजूमदार, असेसर
3. श्री एस एन पाढ़ी, खान सुरक्षा महानिदेशक
4. श्री भास्कर भट्टाचार्यी, खान सुरक्षा निदेशक
5. श्री आर बी इराडी, प्रभारी महाप्रबंधक (वि०का०/संपद्धा) बी० सी०एल के प्रतिनिधि
6. श्री एस० के० मित्रा, वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी

बाद में श्री एम पी सिंह, वरिष्ठ अवर प्रबंधक एवं श्री आर बी सिंह, वरिष्ठ ओवरमैन भी 4 नं० पिट के तल से इस दल में शामिल हो गए ।

इसका स्मरण दिलाया जा सकता है कि दुर्घटना 26-27 सितम्बर की रात में घटी । यह निरीक्षण 2 वर्ष और 4 महीने के पश्चात् दिनांक 4 फरवरी 98 को किया गया । सुधार कार्यो के दौरान वहां बहुत अधिक मात्रा में पानी होने के बावजूद जिसे अभी तक पम्पों से बाहर निकाला जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में सुधार कार्य हुआ है जिसमें अन्य कार्यो के अलावा शॉफट की फिटिंग पिट बॉटम तथा मिड सेट लैंडिंग और आंशिक भूमिगत कार्य सहित निरीक्षण मार्ग के लिए रास्ते का निर्माण शामिल है ।

दल के सदस्यों ने खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा तैयार किए गए नक्शे में (डीजीएमएस(सीजेड) नक्शा संख्या 9-97 अनुबंध I संलग्न) चिह्नित निरीक्षण मार्ग के अनुसार गज़लीटाँड कोयलाखान की यूनियन अंगरापथरा इकाई के 4 नं० पिट से होकर खदान के अंदर प्रवेश किया । दुर्घटना से पूर्वव इस पिट को 10 वीं विशेष सीम के कार्यक्षेत्रों के लिए द्वितीय निकास के रुप में दिखाया गया था । दी गई सूचना के अनुसार भी यह पहली पिट थी जिसमें सुधार कार्य किया जा रहा था । 4 नं० पिट का एक अनुभाग

(अनुबंध II देखें) संलग्न हैं । 12 वीं सीम के तल में इस पिट की गहराई 115.24 मी० है । श्री ए के मुण्डले, गज़लीटाँड कोयलाखान के परियोजना पदाधिकारी एवं श्री एस० के० मित्रा, वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रदत शौफट (पिट सं० 4) के अनुभाग के अनुसार वहाँ 14वीं सीम की कटान पर दो जलाशय और 13 वीं सीम की कटान पर तीन जलाशय हैं । यह सीम 12 वें सीम से 12.21 मी० उपर स्थित स्प्लिंडर सीम (12.21 मी० मोटी) से होकर गुजरती है । 4 नं० पिट से होकर नीचे उतरते हुए, जलाशय/स्टापिंग उत्थापक से देखी ईट की दिवार जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है, 13 वीं एवं 14वीं सीम के कटान पर दिखाई दे रहे थे । उत्थापक से देखने पर 13 वीं सीम के कटान पर तीन जलाशयों/ अवरोधिकाओं के पश्चिमी ओर का जलाशय, बायीं और से दक्षिण और से शीर्ष भाग से टूटा हुआ पाया गया। बुनियाद अभी भी सही थी । टूटी हुई दीवार के बाहर एक दीवार क्षतिग्रस्त जलाशय के समीप देखी जा सकती थी । स्प्लिंटर सीम (12 क) में उत्तरी और दक्षिणी भाग की ओर गैलिरियों को देखा जा सकता था । महाप्रबंधक ने बताया कि लिमिटेड 12 क सीम के कार्यों तथा अन्य सीमों के कार्यों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं था ।

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा दिए गए ऑफ सेट नक्शे में दर्शाये अनुसार राइज एवं डिप गैलरियों के संदर्भ में पिट जल की स्थिति में थोड़ी सी विसंगति थी । टीम के सदस्यगण पिट तल से 12 वीं सीम से 11वीं सीम से ड्रिफट तक जाने के लिए शौफट लेवल के साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर गए । शौफट लेवल के साथ साथ चलते हुए डिपराइज गैलरी को पार किया (पहली दक्षिण डिप) जिसे शौफट लेवल के दोनों और स्थित दो पार्थक्य अवरोधों डिप से पृथक किया गया था, जिनकी निर्माण सुधार कार्य के एक भाग के रुप में किया गया था । उपरोक्त प्लान में दर्शाये गए पार्थक्य अवरोध(आइसोलेशन स्टापिंग से इन पार्थक्य अवरोध की चौड़ाई में विसंगति थी । शौफट लेवल के साथ साथ आगे बढ़ने पर यह 5 पथ वाले जंक्शन पर पहुँचता है जो कि ड्रिफट का प्रारंभिक बिन्दु भी है । डी जी०एम०एस० द्वारा दिए गए नक्शे में दर्शाए गई दो राइज़े गैलरियों की स्थिति में भी भिन्नता थी । डिफट के मुख्य शौफट तल के सिवाय सभी गैलरियों में शौफट के मुहाने पर पृथकरण अवरोधिकाऐं बनाई गई थी ।

भिन्न भिन्न ऊँचाई के शौफट तल की औसत चौड़ाई 4.2 मी० पाई गई । प्रथम क्रॉस कट डिप और शौफट तल के सन्धि स्थल (देखें बीसीसीएल द्वारा दिए गए अनुलग्नक) 3 एवं 3ए के 12 वें सीम के पार्ट प्लान को छोड़कर उस संकीर्ण रास्ते के दौनों ओर पड़े बालू और कचरे के मलबे की पूरी सफाई कर दी गई है, जबकि शौफट तल का पश्चिमी भाग साफ था । अन्य गैलरियों अर्थात पहली 5 डिप, पहली क्रास कट डिप में आंशिक रुप से बालू भरा हुआ था ।

असेसर द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या 12 वें सीम में कोई अन्य निरीक्षण किए जाने योग्य क्षेत्र है, तो उन्हें बताया गया कि 6 नं० पिट के इर्द गिर्द 4 नं० पिट के उत्तर में कुछ कार्यों में सुधार किया गया था । हालाँकि यह क्षेत्र निरीक्षण मार्ग में शामिल नहीं था, क्योंकि इसे कोयला खान विनयिम 1957 के अनुसार सुरक्षित नहीं बनाया गया था । चूँकि असेसर ने यदि संभव हो इन गैलरियों को देखने की इच्छा प्रकट की तो खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने असेसर का निरीक्षण की अनुमति देने से पूर्व उन गैलरियों का निरीक्षण करना चाहा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

इस भाग के निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री एस० के० मुखर्जी को छोड़कर टीम के सभी व्यक्ति असेसर के साथ थे । टीम शौफट तल से वापस जाकर शौफट के दूसरी तरफ (उत्तर की ओर) गई । पृथकरण अवरोधिका में द्वार से होकर गुजरने पर जैसा कि बीसीसीएल द्वारा दिए गए प्रति प्लान में 1/12

भाग के रुप में चिह्नित है, कि सदस्य राइज़ गैलरी (प्रथम नार्थ राइज) और शौफट तल के प्रथम संन्धि स्थल पर आए, जहाँ एक अन्य क्रॉसकट भी आकर मिलता है । बायीं और मुड़कर और राइज गैलरी के साथ साथ जाते हुए राइज गैलरी और प्रथम डब्ल्यू लेवल गैलरी के कटान के पास पहूँचने से पहले रुफ लेवल पर कुछ गार्डर दिखाई दिए । इस मिलान बिन्दु के दक्षिण पश्चिम की ओर तथा लेवल गैलरी में पिट संख्या 6 बतायी गयी है और लेवल गैलरी को नही देखा जा सकता है या पहुँचा जा सकता हैं पार्थक्य भराव सं० 10/12 जिस सुधार कार्य के कारण कार्य के दौरान लेवल गैलरी के आर पार बनाया गया था । यह नोट किया जाए कि कटान की तरफ दोनों तरु की लेबल गैलरी अन्य गैलरियों की अपेक्षा साफ थी अन्य में आंशिक तौर पर बालू तथा अन्य चट्टानी मलवे भरा था । राइज गैलरी के साथ साथ और आगे जाने पर अन्य गैलरियों के ही समान ऊँचाई वाला तथा करीब 1.5 मी० चौडा एक संकीर्ण खण्ड मिला । यह संकीर्ण गैलरी द्वितीय वेस्ट लेवल तथा प्रथम उत्तरी राइज के मिलान बिन्दु पर आकर खत्म होती है । उत्तर पूर्व की ओर के लेवल आंशिकं रुप से बालू से भरा था और दूसरी तरफ (दक्षिण-पश्चिम) यह साफ था । दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर और द्वितीय वेस्ट लेवल के साथ साथ चलने पर द्वितीय लेवल का टेढा मेढा मिलान बिन्दु प्रथम क्रॉस कट डिप और शुन्य (0) राइज गैलरी पर पहुँचता है । जीरो राइज गैलरी 6 नं० पिट से मिलती है सुधार कार्य के पश्चात् बनाया गया एक पार्थक्य भराव (12/12) शोफट के पास पहुँचने से रोकता है । जैसा कि सूचित किया गया था दुर्घटना से पूर्व वहाँ एक पार्थक्य भराव भी था जो बाढ़ के दौरान टूट गया । तिराहे के मिलान बिन्दु (3 वें जंक्शन) की ओर वापस चलने पर दक्षिण पूर्व में पूर्णतः बालू से भरा क्रॉस कट देखा जा सकता है ।

शून्य (0) राइज के साथ साथ आगे बढ़ने पर और एक खंभे की लंबाई के बराअबर दूरी तय करने पर, द्वितीय क्रॉस कट राइज और शून्य (0) राइज में आंशिक रुप से बालू से भरा था । निरीक्षण मार्ग का अगला खण्ड, दक्षिण की ओर आगे बढ़ने पर द्वितीय क्रॉस कट डिप के साथ साथ था । इस फैलाव के बाएँ हाथ की तरफ (पूर्व की ओर) तीन खंभे है ।क्रॉस कट को आंशिक रुप से भरा पाया गया जिसमें से होकर रोडपथ के दोनों और डंप किये गये पदार्थो का खोद कर एक मार्ग बनाया गया था । दायीं तरफ पहला रोड पथ आंशिक तौर पर भरा था । अगले मिलान बिन्दु (जंक्शन) पर दायीं ओर की गैलरी (पश्चिमी तरफ) लगभग पूर्णतः भरी थी जिसके ढलान की बालू पर लहरदार निशान थे । जबकि बायीं तरफ अर्थात पूर्वी और की गैलरी आंशिक रुप से भरी थी । अगले मिलान बिन्दु पर दायीं अर्थात पश्चिमी की ओर बाएं अर्थात पूर्व की ओर गैलरियों क्रमशः आंशिक और पूर्ण तौर पर भरी थी । बाद वाली गैलरी के ढलान की बालू पर लहरदार निशान पाये गए । क्रॉस कट से दक्षिण की ओर कुछ मीटर दूरी पर दायीं ओर एक संकीर्ण गैलरी थी जो पूर्णतः भरी थी । करीब एक खंभे के बराबर क्रॉस कट के सथ साथ आगे बढ़ने पर एक टेढा मेढ़ा मिलान बिन्दु (जंक्शन) है, जिसके समीप संख्या 8/12 का एक पृथकरण अवरोधिका (स्टापिंग) है जो 12वें सीम से 11वे सीम की ओर बहाव के मार्ग को अवरुद्ध करती है । 11वीं सीम में जाने के लिए टीम के सदस्य पुनः उसी रास्ते का अनुकरण कर ड्रिफट के मुहाने तक आए ।

12वीं सीम से होकर 11वीं सीम की ओर बहाव

बहाव 12वीं सीम को 11वीं सीम से जोड़ता है जिसकी झुकी हुई लंबाई 72.43 मी० है (देखें खान सुरक्षा महानिदेशालय (म०जो०) प्लान 9-97) और ढाल 3.76 में 1 है । यह बताया गया कि यह 10वीं स्पेशल सीम के उन कार्य क्षेत्रों से यातायत के लिए रोड पथ के एक हिस्से का निर्माण करती थी जहाँ दुर्घटना के समय भूमिगत कार्य प्रगति पर था । यह ड्रिफट 11वीं सीम में स्थित एक लेवल गैलरी में जाती है । गैलरी के साथ साथ चलने पर पार्थक्य भराव पर पहुँचा जा सकता हैं । (172/11) (देखे बीसीसीएल द्वारा दिए

गए 11वीं सीम के पार्ट प्लान का अनुबंध 4 एवं 4ए) बाएँ मुडने पर लेबल ड्रिफट के मार्ग को देखा जा सकता है जो उत्क्षेप दोष (18.29 मी० उत्क्षेप) के आर पार 10वीं सीम के उपरी कार्य स्थलों को जोड़ता है । यद्यपि दोष सें परे के कार्य क्षेत्रों के इस भाग को निरीक्षण मार्ग में शामिल नहीं किया गया था, तथापि असेसर को लेवल ड्रिफट की दशा को देखने की अनुमति दी गई । ड्रिफट ओर जाने के लिए एक पार्थक्य भराव दिया गया था जिसमें एक दरवाजा काटा गया है । दोष से होकर जानेवाले ड्रिफट के हिससे को ईट की दीवार पर गर्डर लगाकर सहारा प्रदान किया गया था। ईट की दीवार के दूसरे छोर पर, दायें हाथ की ओर (पूर्व की ओर) दरारें पड़ी हुई पाई गई थीं । यह कहना व्यर्थ न होगा कि वह क्षेत्र अस्त व्यस्त था । पश्चिमी मोड पर, दरारें चौड़ी थीं । कुछ कदम आगे चलकर पुनः दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने पर 10 वीं सीम के शीर्ष से 10वीं सीम के तली तक ड्रिफट का मुहाना मुझे दूर से ही दिखाया गया । हालाँकि 11वीं सीम से 10वीं सीम के शीर्ष लेवल ड्रिफट से परे कार्यक्षेत्र के इस भाग की सावधानीपूर्वक और नजदीकी से जाँच करना न केवल असंभव ही था बल्कि ऐसा करना उचित भी नहीं था ।

11वीं सीम राइज गैलरी कि वापस लौटते हुए 6 नं० पिट के मिड-इन-सेट-लैन्डिंग पर पहुंचे टीम इस पिट के सतह पर आयी । उत्थापक सर्वप्रथम 12वीं सीम से होकर गुजरा । पूर्वी एवं पश्चिमी गैलरियों के द्वार शौफट को स्पर्श करते हुये जबकि उत्तरी और दक्षिणी गैलरी के मुहाने शौफट के केन्द्र की सीध में थे ।

13वीं सीम से गुजरते समय पिट के पूर्वी एवं पश्चिमी गैलरियों के मुखों को ईट की दीवार (जलाशय से जैसा कि महाप्रबंधक ने सूचित किया है) से बंद पाया गया । ठीक उसी प्रकार 14वीं सीम में 6 नं० पिट की पूर्वी एवं पश्चिमी गैलरियों को भी ईट की दीवारों से ढका हुआ देखा जा सकता है ।

प्रेक्षण :

1. खदान के दिनांक 26-27 सितम्बर को जलमग्न होने के पश्चात् भूमिगत निरीक्षण का कार्य दिनांक 4 फरवरी 1998 को 2 वर्ष एवं 4 महीने से भी अधिक समय पश्चात् किया गया था ।

2. निरीक्षण मार्ग में समाविष्ट क्षेत्र में सुधार कार्य के दौरान बड़े पैमाने पर पुननिर्माण कार्य भी हुआ था ।

3. जैसा कि उत्थापक से देखा जा सकता था दोनों शौफट 12वीं सीम तक पूरे के पूरे मजबूत चट्टान संरचना से होकर गुजरते है ।

4. निरीक्षण मार्ग के अन्तर्गत पड़नेवाली अधिकांश गैलरियाँ आंशिक रुप से बालू एवं मलवे से भरी थीं और कुछ मामलों में यह तो रुफ लेवल तक भरी थी । कुछ मामला में भरी हुई गैलरियों के ढलुआ मार्ग में बालू पर लहरदार निशान स्पष्ट दिखते थे । कुछ ही गैलरियों में बिल्कुल भी बालू या मलवा भरा हुआ नहीं पाया गया ।

5. निरीक्षण के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र उस समस्त क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा था जो दुर्घटना के तत्काल पूर्व निरीक्षण के लिए उपलब्ध था ।कार्य स्थलों के उपलब्ध प्लानों से मोटे तौर पर अनुमान लगाने पर यह कार्य लगभग दो प्रतिशत से थोड़ा अधिक था ।

टिप्पणी

असेसर ने भूमिगत कार्यक्षेत्रों का दिनांक 26 फरवरी 1998 को दूसरा निरीक्षण किया और इसके लिए उसी मार्ग को अपनाया, जिसका प्रयोग प्रथम निरीक्षण के दौरान दिनांक 4 फरवरी 1998 को किया गया था । हाँलाकि इस दौरे के दौरान असेसर ने उत्क्षेप दोष के आर पार 11वीं सीम को 10वीं सीम के कार्य क्षेत्रों से जोड़नेवाली लेवल ड्रिफट का निरीक्षण नहीं किया । यह निरीक्षण कार्यस्थलों का और अधिक विस्तृत अवलोकन करने हेतु किया गया था । अन्य व्यक्तियों के आलावे इस निरीक्षण के दौरान असेसर के साथ निम्न व्यक्ति थे :-

1. श्री भास्कर भट्टाचार्य, निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय
2. श्री एम एम शर्मा, निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय
3. श्री पी सी सूद, महाप्रबंधक
4. श्री एस एस राय, क्षेत्रीय प्रबंधक
5. श्री आर डी जैन, उप क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी
6. श्री ए के मंडल, परियोजना अधिकारी
7. श्री के पी सिन्हा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी

टिप्पणी :- दिनांक 8 मई 1998 की रिपोर्ट के साथ फाइल की गई ऊपर उद्धृत प्लेटों को इस रिपोर्ट में प्लेट संख्या 1 एवं 2 के रुप में सलग्न किया गया है ।

अध्याय IV

गज़लीटाँड खान दुर्घटना की तुलना में कानूनी प्रावधान

इस चरण में, मैं गजलीटाँड खदान के संबंध में कानूनी प्रावधानों की संक्षिप्त रुपरेखा देने का प्रयास कर रहा हूँ जो गज़लीटाँड खदान की दुर्घटना के संबंध में प्रासंगिक हैं और जिनकी कभी कभी संदर्भ के लिए आवश्यकता पड़ सकती है । इन कानूनी प्रावधानों का परवर्ती पैराग्राफ में खुलासा किया गया है ।

प्रबंध

खान अधिनियम 1952 (35 का 52) की धारा 18 खान मालिकों, अभिकर्त्ताओं एवं प्रबंधकों के कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है । धारा 18(1) के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक खान का मालिक एवं अभिकर्त्ता, किए जाने वाले प्रत्येक वित्तीय एवं अन्य प्रावधान करने एवं ऐसे अन्य उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगा जो अधिनियम एवं विनियमों, नियमों उप विधियों के प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत निर्मित आदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक है ।

धारा 18(4) के अनुसार आवश्यक है कि प्रत्येक खान का मालिक, अभिकर्त्ता एवं प्रबंधक यह देखने के लिए उत्त्रदायी होगा कि खदान से संबंधित सभी कार्य खान अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमो, नियमों उप विधियों और आदेशों के अनुसार हो रहे हैं ।

धारा 17 के अनुसार यह आवश्यक है कि खदान एक प्रबंधक के अधीन होगी । धारा 2(1) (सी), खदान के संदर्भ में अभिकर्त्ता को ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के रुप में परिभाषित करती है जो अभिकर्त्ता का कार्य कर रहा हो अथवा मालिक की ओर से कार्य करने के अभिप्राय रखता है जो खान या इसमें किसी भाग के प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निर्देशन में या इसमे शामिल हो ।

धारा 76 में व्यवस्था है कि कम्पनी की फर्म एसोसिएशन, मुख्य निरीक्षक को लिखित रुप में सूचना देने के पश्चात् ही अपने किसी निदेशक को खान मालिक के रुप में नामित कर सकती है ।

आप्लावन का खतरा सतह जल के प्रति एहतियात

कोयला खान विनियम 1957 का अध्याय 11 अग्नि, धूल, गैस और जल के कारण उत्पन्न खतरों से बचने के एहतियाति उपायों से संबंधित है । विनियम 126 सिर्फ सतही जल के खतरों से संबंधित है । विनियम 126(1)(क) इसका विशेष रुप से उल्लेख करता है कि जहाँ कोई भी खान या उसका कोई भाग इस प्रकार स्थित हो कि खान में या उसके किसी भाग में सतही जल के प्रवेश का कोई खतरा हो तो ऐसे जल के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त एहतियाती उपायों का प्रबंध करना होगा और उन्हें बनाये रखना होगा । विनियम 126(1) बी में उल्लेख है कि सिवाय मुख्य खान निरीक्षक की लिखित अनुमति से तथा ऐसी शर्तो के अधीन जिनका वह उसमें विशेष रुप से उल्लेख करता है तथा उपखण्ड (क) के प्रावधानों के अधीन खदान के प्रत्येक प्रवेश द्वार की डिजाइन निर्माण किया जाएगा और इसे इस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा कि इसका निम्नतम बिन्दु जिसका तात्पर्य इस बिन्दु से है जिसे बिन्दु पर सतह पर जल खदान के अन्दर

प्रवेश कर सकता है । उक्त बिन्दु के उच्चतम बाढ़ तल पूरे 1.5 मीटर ऊँचा होगा । विनियम 126(5)(क) में यह शर्त है कि एक सक्षम व्यक्ति वर्षा ऋतु में कम से कम प्रत्येक 14 दिनों में एक बार और वर्ष के अन्य समय में प्रत्येक 30 दिनों में एक बार उप विनियम (1) के अन्तर्गत प्रदत किए एहतियाती उपायों की इस कार्य के लिए रखी गई जिल्दबंद पुस्तिका में दर्ज करेगा तथा उस पर ऐसी प्रत्येक जाँच की रिपोर्ट को इस कार्य के लिए रखी गई जिल्दबंद पुस्तिका में दर्ज करेगा तथा उस पर जाँच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और प्रबंधक उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा । इस उप विनियम के खंड (ख) के अंतर्गत यह भी आवश्यक है कि उपर्युक्त एहतियाती उपायों तथा सुधार कार्यो के प्रबंधक द्वारा कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार स्वयं निरीक्षण किया जायगा ।

खान सुरक्षा महानिदेशक के परिपत्र

विनियम 126 के अन्तर्गत जारी किए गए 1978 के खान सुरक्षा महानिदेशक (संक्षेप में डी ज़ी एम एस) के परिपत्र (तकनीकी) सं० 2 में सतही जल के बाढ़ के खतरे से बचाव हेतु खान प्रबंधक द्वारा बरते जाने वाले अन्य एहतियातों का विशेष रुप से उल्लेख किया गया है । उपर्युक्त परिपत्र निम्न प्रकार है -

कोयला खान विनियमों के विनियम 126(1)(क) में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई भी खान या उसका कोई भाग इस प्रकार स्थित हो कि उसमें या उसके किसी भाग में सतही जल के प्रवेश करने का खतरा हो तो ऐस जल के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त बचाव किया जायगा और उसका रख रखाव किया जायगा ।

उपरोक्त उत्तरदायित्व निर्वहन में आपको खतरे के संभावित स्त्रोत का पता लगाना होगा, और उसके निवारण के उपाय निर्धारित करने होंगे । चूँकि वर्षा ऋतु शीघ्र ही आरंभ होने वाली है । अतः अब समय आ गया है कि स्थिति का सावधानी पूर्वक पुनः मूल्यांकन किया जाय ।

सतही जल के अचानक प्रवेश से हुई दुर्घटना की जाँचों से प्रकट होता है कि कई मामलों में स्पष्ट एहतियातों का अनुपालन नहीं किया गया था । इसलिए केवल निवारण उपायों को निर्धारित कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है जो संकटकाल में असफल साबित न हो । इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि सामान्य तौर पर ऐसी प्रणालियों में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई भी की जाय ।

1. वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व सतही जल से होने वाले बाढ़ के खतरे का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ऐसे खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियातों का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए ।

2. वर्षा के पानी जमा होने, तटबंधों के कमजोर होने/टूटने, सामान्य जल प्रवाह प्रणाली में रुकावट आदि के खतरे से बचाव के लिए निर्धारित एहतियातों की प्रभावशीलता की जाँच नियमित रुप से तथा आकस्मिक निरीक्षणों द्वारा भी की जानी चाहिए ।

3. जल स्तर के खतरे के निशान का निर्धारण, संकेत तथा संचार प्रणाली की प्रभावशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4. संभावित खतरे की स्थिति में खदान से लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थायी आदेश बनाए जाने चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के स्थायी आदेशों से भली भांति अवगत किया जाना चाहिए । वर्षा काल में प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार इस प्रयोजन के लिए बनावटी पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए ।

5. भारी वर्षा के दौरान खान में उपस्थित प्रबंधक या वरिष्ठतम खनन अधिकारी को खान की सतह पर घूमकर नाजुक जगहों एवं सुरक्षा के उपायों की प्रभावशीलता की जाँच करनी चाहिए । कोई संदेह होने की स्थिति में उसे जोखिम भरे कार्यस्थलों से लोगों को बाहर निकाल लेना चाहिए ।

6. क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों को खनन पदाधिकारियों के निकट संपर्क में रहना चाहिए विशेष रुप से भारी वर्षा के दौरान, ताकि एहतियाती उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके ।

7. खान में अनुपालन किए जानेवाले विशेष एहतियाती उपायों को प्रबंधक के कार्यालय और ऐसे अन्य स्थानों पर सुस्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ उन्हें प्रदर्शित करना आवश्यक समझा जाए ।

8. यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि भारी वर्षा के कारण परिस्थिति तेजी से बदलती है और ऐसी परिस्थितियों में लगातार सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाए ।

संक्षेप में, उपर्युक्त परिपत्र में वर्षा के आगमन से पूर्व सतही जल आप्लावन के खतरे का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना और ऐसे खतरों से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियातों का कार्यान्वयन, वर्षा के पानी के जमाव होने को रोकने हेतु एहतियातों की प्रभावशीलता की नियमित जाँच, तटबंधों का कमजोर होना/टूटना सामान्य जल निकास व्यवस्था में अवरोध, जलस्तर के खतरे के निशान का निर्धारण करना, संकेत और संचार प्रणाली की प्रभावशीलता, खान के अंदर से लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थायी आदेश बनाना एवं उन्हें लागू करना और वर्षाकाल में महीने में कम से कम एक बार बनावटी पूर्वाभ्यास का आयोजन करना । खान में भारी वर्षा के दौरान प्रबंधक या वरिष्ठतम पदाधिकारी द्वारा अति संवेदनशील बिन्दुओं की जाँच तथा सुरक्षा के उपायों की प्रभावशीलता की जाँच करना शामिल है । क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी के विशेष रुप से भारी वर्षा के दौरान, खान पदाधिकारियों से निकट संपर्क रखना चाहिए तथा एहतियातों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए । यह परिपत्र यह चेतावनी भी देता है कि भारी वर्षा के कारण परिस्थितियाँ तेजी से बदलती हैं और ऐसीं परिस्थतियों में लगातार निगरानी की आवश्यकता अनिवार्य है ।

स्थायी आदेश: गजली टाँड खदान

संभावित बाढ़ के खतरे वाली खानों के प्रबंधकों को ऐसे खतरे से बचाव करने के लिए अपने निजी स्थाई आदेश बनाना चाहिए और उनका प्रतिपादन करके उन्हें लागू करना चाहिए । इसके अन्तर्गत नदियों नालों आदि में सर्वोच्च बाढ स्तर के आधार पर खतरे के स्तर तथा निकासी के स्तर का निर्धारण करना, सतही जल से बचाव के एहतियाती उपायों के निरीक्षण की योजना बनाना, जल स्तर में वृद्धि पर निगरानी रखना और खतरे की सूचना से प्रेषित करना, तथा व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना शामिल है । आदर्श स्थाई आदेशों में व्यक्तियों को सुरक्षित बहार निकालने के कार्य में लगाए गए व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का भी विशेष रुप से उल्लेख रहता है । गजलीटाँड कोयलाखान के अभिकर्त्ता द्वारा

कतरी नदी/ जोर मे असामान्य रुप से जल स्तर में वृद्धि होने की दशा में उससे बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई से संबंधित एक आदर्श स्थाई आदेश सं० जीटी/सेफ्टी/3/95 दिनांक 14 जून 1995 को यहॉ नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

कतरी नदी पर तैनात गार्डों के कर्त्तव्य :

(क) सभी पारियों में तैनात किए गए नदी गार्डों को नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी करनी होगी और कतरी नदी के किनारे दर्शाए गए खतरे के निशान के लाल चिह्न तक स्तर के पहुँचते ही उसे तत्काल ड्यूटी पर मौजूद हाजिरी क्लर्क को इसकी सूचना देनी होगी ।

(ख) गार्ड को इसकी सूचना सतह पर उपस्थित प्रबंधक या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु देनी होगी ।

(ग) उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की हाजिरी क्लर्क को खतरे की सूचना सीधे देने के लिए कतरी नदी के किनारे पर लगाया गया फलोट अलार्म सही कार्य कर रहा है ।

(घ) उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी भी कारणवश तटबंध में कोई दरार है तो वह इस तथ्य की सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए सतह पर उपस्थित प्रबंधक या अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी को देगा ।

(2) **हाजिरी क्लर्क के कर्त्तव्य**

(क) उप खंड 1(ख) के अनुसार चेतावनी मिलने पर हाजिरी क्लर्क तुरंत ही उक्त सूचना दूरभाष द्वारा या किसी अन्य तीव्रतम साधन द्वारा सतह पर मौजूद प्रबंधक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करेगा ।
(ख) गार्ड या स्वचालित चेतावनी घंटी से बाढ़ संबंधी चेतावनी प्राप्त होने पर हाज़िरी क्लर्क तुरंत ही उक्त चेतावनी को तीव्रतम संभावित साधन से निम्नलिखित को प्रेषित करेगा ।

(3) **बैंक्समैन (खान के ओवरसियर) के कर्त्तव्य**

(1) बैंक्समैन (खान के ओवरसियर) का कार्य भूमिगत कार्य क्षेत्रों से व्यक्तियों को बाहर निकालना है ।
(2) कोयलाखान के आपातकालीन संगठन को सक्रिय करने के लिए बैंक्समैन (खान का ओवरसियर) कूटबद्ध सायरन या अन्य तीव्रगामी संभावित साधनों द्वारा चतावनी देने का प्रबंध करे ।

(4) **ऑन सेटर के कर्त्तव्य**

बैंक्समैन (खान के ओवरसियर) से बाढ़ की चेतावनी प्राप्त करने के पश्चात् ऑनसेटर भूमिगत खदान में उपस्थित पर्यवेक्षण पदाधिकारी को संभावित तीव्रगामी साधन द्वारा इसकी सूचना देने की व्यवस्था करेगा और जहाँ संभव हो वहाँ उसे इसकी सूचना हालेज सिग्नल/यू०जी० (अपर ग्राउन्ड) टेलीफोन द्वारा भी भेजेगा ।

5. **खनन पदाधिकारी के कर्त्तव्य** :

भूमिगत खदान में मौजूद पर्यवेक्षण पदाधिकारी शीघ्रतम साधनों द्वारा भूमिगत खदान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को सुरक्षित एवं निर्बाध रुप से सतह पर लाने की व्यवस्था करेगा ।

हस्ताक्षर
(अभिकर्त्ता)
गज़ली टाँड कोयला खान

एहतियाती उपाय के तौर पर प्रबंधक ने अपने पत्र संख्या जी टी सी/95/522 दिनांक 5 अगस्त 1995 द्वारा जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने हेतु कतरी नदी के किनारे गार्डों को तैनात किया था । इस पत्र को इसमें आगे उदृत किया जा रहा है:-

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
गज़ली टाँड कोयल खान

संदर्भ सं० जीटीसी/95/552 दिनांक 5 अगस्त 1995

सेवा में,

श्री साधु दुशाध, सहायक, सर्वेक्षण, प्रथम पारी
श्री बिनोद कुमार महतो, सैंपलिंग सहायक, द्वितीय पारी
श्री डूमर महतो, माइनिंग सरदार, तृतीय पारी गजलीटाँड कोयलाखान ।

महोदय,

मानसून के आगमन को ध्यान में रखते हुए आपको एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है कि जोरे के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने हेतु आप कतरी जोर नदी के तट पर ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करें । यदि वहाँ जल स्तर में किसी तरह की असामान्य वृद्धि होती है या यह तदनुरुपी आर एल 587.78 फुट के खतरे के निशान तक पहुँच जाता है, जिसे नदी के तल में खंभे पर लाल रंग से अंकित किया गया है, तो इसे तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में लाया जाए ।

हस्ताक्षर
प्रबंधक
गज़ली टाँड कोयला खान

प्रति निम्न को प्रेषित

1. संबद्ध व्यक्ति
2. सुरक्षा अधिकारी

3. सर्वेक्षण अधिकारी

4. प्रबंधक

5. पिट सं० 6 के वरिष्ठ सहायक कोयलाखान प्रबंधक (ए०सी०एम०)

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गजली टाँड कोयलाखान के अभिकर्त्ता द्वारा जारी किया गया आपातकाल से संबंधित दिनांक 25 अप्रैल 94 के आदेश सं० जी/3/113 का दूसरा स्थाई आदेश इस प्रकार है :

"आपातकाल के लिए स्थायी आदेश"·

1, भूमिगत खदान के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सूचना मिलने पर ड्यूटी पर तैनात ओवरमैन या अन्य प्रभरी अधिकारी शीघ्र ही दूरभाष से दुर्घटना के स्वरुप तथा पूरे विवरण की सूचना सतह कार्यालय को देगा और सचेत करेगा की वहाँ किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । दूरभाष के खराब होने पर या लाइन के खराब होने पर सम्बद्ध व्यक्ति किसी आपातकाल की स्थिति में 8 बार ठकठकाकर सतह के हॉलेज इंजन ड्राइवर को सूचित करेगा ।

2. किसी आपात काल के बारे में सूचना मिलने पर टेलीफोन ऑपरेटर या हॉलेज इंजन ड्राइवर यथास्थिति इसकी सूचना तत्काल ड्यूटी पर तैनात हाजिरी क्लर्क को देगा ।

3. ओवरमैन (क) खदान के अंदर किसी वास्तविक दुर्घटना के होने या दुर्घटना की संभावना के कारण किसी आपातकाल के उत्पन्न होने पर औवरमैन या अन्य प्रभारी अधिकारी खदान के अंदर प्रभावित क्षेत्र से लोगों को तत्काल निकालकर उन्हें खान प्रबंधक द्वारा अनुमोदित समीपस्थ सुरक्षित स्थान पर पहुँचने की व्यवस्था करेगा । (ख) यदि यह स्थान घटनास्थल पर उपस्थित पदाधिकारी की सीमाओं के अन्तर्गत आता है तो वह वहाँ मौजूदा परिस्थितियों में ऐसे दोषों को दूर करने हेतु ऐसे साधनों का प्रयोग करेगा जो युक्तियुक्त रुप से व्यवहार्थ हों ।

(4) किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलने के बाद, ड्यूटी पर तैनात हाजिरी क्लर्क दुर्घटना या इसके स्वरुप की घोषणा करेगा और इसकी सूचना सतह पर या पास में मौजूद प्रबंधक या अन्य मुख्य पदाधिकारी को देगा । हाजिरी क्लर्क इसकी सूचना इंजीनियर, सुरक्षा अधिकारी, सर्वेक्षक एवं कोयलाखान के डॉक्टर को भी देगा ।

(5) प्रबंधक (i) प्रबंधक ऐसे सभी व्यक्तियों को बुलवाएगा जिनकी आपात कालीन स्थिति से पिनटने में आवश्यकता है । वह कोयलाखान में विद्यमान आपात कालीन संगठन को भी सक्रिय करेगा । (ii)यदि भूमिगत खदान के अन्दर आग लग गई है तो अग्नि शमन संबंधी स्थायी आदेश के अनुसार योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा । (iii) यदि आपात स्थिति किसी बडी छत के गिरने के कारण उत्पन्न हुई है तो छत के मलवे को साफ करने और छत को पुनः स्थापित करने का कार्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा ।

(iv) आप्लावन की स्थिति में प्रबंधक वहॉ विद्यमान परिस्थतियों एवं स्थितियों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की योजना बनाएगा ।

(v) यदि वहाँ से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो प्रबंधक तत्काल बचाव स्टेशन के अधीक्षक को सूचित करेगा ।

(vi) प्रबंधक यथाशीघ्र खान में घटित घटना/आपात स्थिति की सूचना आर० आई० एम० को देगा ।

(vii) कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने पर, उस क्षेत्र के वरिष्ठ खनन इंजीनियरों की एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया इसी समिति निर्धारित की जाएगी । बचाव कार्रवाईयाँ प्रबंधक, बचाव स्टेशन के अधीक्षक या प्रमुख पदाधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(6) परीक्षण : जब किसी खान में या स्थान में यथास्थिति कोई आपातकालीन स्थिति विद्यमान हो तो वहाँ तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि उस स्थान का परीक्षण न कर लिया जाए तथा उसे प्रबंधक या सहायक प्रबंधक या अधीनस्थ मैनेजर द्वारा कार्य करने के लिए सुरक्षित घोषित न किया जाए ओर ऐसा परीक्षण विनियमों के प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा ।

(7) अभिलेख : दुर्घटना का कारण तथा की गई कार्रवाई को जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पुस्तिका में लिखा जाएगा तथा उस पर प्रबंधक के दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे ।

हस्ताक्षर
(अभिकर्त्ता)
गज़ली टाँड कोयला खान

जब कभी नालियों का पानी 1'8" से अधिक बढ़ जाए तो भूमिगत खानों से व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए श्री आर के दत्ता,अभिकर्त्ता, गज़ली टाँड़ कोयला खान द्वारा जारी की गई एक अन्य आपातकालीन योजना/ आदर्श स्थाई आदेश संख्या जी/टी 2/95 दिनाक 14 जून 1995 को आगे उद्धत किया गया है:

" **खलासी के कर्त्तव्य**

(I) ज्योंहि मुख्य नाली का जल खतरे के निशान को छुए तो वह व्यक्तियों को बाहर निकालने की सूचना ऑनसेटर को देगा इसके लिए वह आनसेटरो तथा 11वीं, 10वीं तल सीम तथा 11वीं सीम विशेष के खलासी को 9 बार शपथपाकर देगा ।
(ii) वह ड्यूटी पर तैनात ओवरमैन तथा ए०सी०एम० को भी इसकी सूचना देगा ।

ऑनसेटर के कर्त्तव्य

(I) वह दूरभाष द्वारा या विद्यमान संकेत व्यवस्था द्वारा 9 बार शपथपाकर किसी भी प्रकार से इनवार्ड अथवा अपवाई सूचना क्रमशः ओवरमैन तथा बैंक्समेन को भेजगा ।
(II) वह इस दौरान अपनी ड्यूटी के स्थान को तब तक नहीं छोड़ेगा जबतक सभी व्यक्ति खान से बाहर न आ जाएँ ।

बैंक्समैन के कर्त्तव्य

(I) वह ड्यूटी पर तैनात हाजिरी लिपिक को सूचित करेगा ।
(II) वह इस दौरान अपनी ड्यूटी के स्थान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सभी व्यक्ति खान से बाहर न आ जाएँ ।

हाजिरी लिपिक के कर्त्तव्य

(I) वह लिखित रुप से 6 पिट तथा 7 पिट के संबंधित ए०सी०एम० इंजीनियर तथा प्रबंधक को सूचित करेगा ।
(II) वह कोयलाखान में ड्यूटी पर तैनात गार्ड को सूचित करेगा तथा उसे यह हिदायत देगा कि वह कोयला खान के स्टाफ तथा पदाधिकारियों को सूचित करे ।

ओभरमैंन तथा माइनिंग सरदार के कर्त्तव्य

(I) वह व्यक्तिगत रुप से बाहर निकालने के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा ।
(II) सभी श्रमिकों की सतह पर निर्विध्न निकासी सुनिश्चित करेगा ।
(III) वह निकासी रिकार्ड पुस्तक में इसको रिकार्ड करेगा जिसे ए०सी०एम० तथा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

ड्यूटी पर तैनात ए०सी०एम० के कर्त्तव्य

(I) वह यह सुनिश्चित करेगा कि बाहर निकालने का कार्य निर्विध्न रुप से किया गया है ।
(II) वह उसके द्वारा पम्प आपरेटरों को हटाने के संबंध में लिए गए निर्णय की लिखित रुप से प्रबंधक, इंजीनियर को सूचना देगा ।
(III) वह यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना निकटवर्ती कोयला खान के क्षेत्र कार्यालय तथा निदेशक खान सुरक्षा डी० एम०एस० तथा डी०जी०एम०एस० को भेज दी गई है ।

प्रबंधक या वरिष्ठ अधिकारियों के कर्त्तव्य

(I) वह पम्प आपरेटरों को हटाने के लिए लिखित रुप से निर्णय देगा और यह जांच करेगा कि बाहर निकालने का कार्य काफी व्यवस्थित रुप से किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
(आर०के० दत्ता)
अभिकर्त्ता
गज़ली टाँड कोयला खान

कानूनी प्रावधान (इनजेस एण्ड इग्रेस) प्रवेश तथा निर्गम

कोयलाखान विनियम 1957 का अध्याय 8 भूमिगत कार्यक्षेत्रों में प्रवेश तथा निर्गम से संबंधित है । विनियम 66(1) में उल्लेख है कि किसी भी भूमिगत कार्य क्षेत्र में तब तक किसी व्यक्ति को नियोजित नही किया जाएगा या किसी को उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी या कोई उसमें नियोजन के उद्देश्य से नहीं बना रहेगा जब तक कि प्रत्येक सीम या ऐसे खण्ड के लिए जहाँ फिलहाल काम चल रही है, उस कार्य क्षेत्र में सतह के लिए कम से कम दो शोफ्टों, इन्कलाइनों या अन्य आउटलेटों की व्यवस्था न की जाए ताकि उसमें नियोजित व्यक्तियों के लिए पृथक प्रवेश व निर्गम मार्ग उपलब्ध जा सकें । विनियम 66(2) में उल्लेख है कि प्रत्येक शौफट, इन्क्लाइन या आउटलटों में व्यक्तियों के उतरने तथा चढ़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । विनियम 66(2)(क) में आगे यह भी उल्लेख है कि जहाँ शौफट की गहराई 50 मीटर से अधिक है वहाँ ऐसी व्यवस्था यांत्रिक साधनों द्वारा की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यांत्रिक उपकरणों को इस प्रकार संस्थापित तथा अनुरक्षित किया जाएगा कि जिससे उसका लगातार उपयोग किया जा सके । यदि ऐसी किसी व्यवस्था के उपयुक्त होने या न होने के बारे में कोई संदेह हो तो उसे मुख्य निरीक्षक के निर्णय के लिए भेजा जाएगा ।

कोयला खान विनियम, 1957 का अध्याय 8 शेफटों में मनुष्यों, तथा सामग्री के लाने-ले जाने तथा वाइडिंग से संबंधित है । इस अध्याय का विनियम, 76 मैनवाइंड्रिग से संबंधित है । विनियम 76(9) मे यह उल्लेख है कि जहाँ खान में प्रवेश करने का एकमात्र साधन भाप या बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वहाँ एहतियात के रुप में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों वाइडिंग इंजन एक साथ असफल न हो और विशेष रुप से विद्युत वाइडिंग इंजन के मामले में, इंजनों को दो पृथक पावर आपूर्तियों से जोड़ने की सुविधा भी होनी चाहिए ।

प्रवेश तथा निर्गम के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) के संगत परिपत्र

कोयला विनियम, 1957 के विनियम 76 के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र 1960 के 22 में यह स्पष्ट किया गया है कि वाइडिंग के लिए यांत्रिक उपस्कर को लगातार उपयोग के लिए उपलब्ध होने के लिए तब तक इस प्रकार संस्थापित तथा अनुरक्षित नहीं माना जा सकता जब तक कि (I) भाप इंजन के मामले में, भाप वाइडिंग समय उपलब्ध रहे तथा (II) अन्य सभी मामलों में, जब कभी कोई व्यक्ति भूमिगत खान में उपस्थित रहता है वहाँ पिट शीर्ष पर हर समय वाइडिंग इंजनमैंन तथा बैंक्समैन तैनात नहीं किए जाते ।

आदर्श स्थाई आदेश

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दिनांक 3 फरवरी 1998 को इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया स्थाई आदेश, जो मुख्य यांत्रिक संवातक के रुक जाने की स्थिति से संबंधित है इस, प्रकार है -

मुख्य यांत्रिक संवातक के रुक जाने की स्थिति में आदर्श स्थाई आदेश

(कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम, 134 के अन्तर्गत)

1(क) पंखा परिचार मुख्य संवातक को तब तक बंद नहीं करेगा जब तक कि उसे प्रबंधक से अथवा उसके द्वारा इसके संबंध में प्रधाकृत किए गए व्यक्ति से लिखित रुप से इसे बंद करने को न कहा जाए ऐसा लिखित आदेश देने वाले प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह सूचित करेगा कि पंखे को कितनी अवधि तक के लिए बंद किया जाए और पंखा परिचर इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा ।

(ख) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पंखा बंद करने के बारे में लिखित आदेश देने अथवा पावर की आपूर्ति बंद होने, या प्रबंध के नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों और कारणों से, जो भी हो, मुख्य यांत्रिक संवातक के बंद हो जाने की स्थिति में, पंखा परिचर तत्काल संवातक संस्थापना के मुख्य दरवाजों को खोल देगा, जहाँ ऐसे दरवाजों की व्यवस्था की गई हो ।

(ग) फिर वह तुरंत ड्यूटी पर तैनात हाजिरी लिपिक को पंखें के बन्द होने की अधिसूचना देगा जिसमें स्पष्ट रुप से इसके कारणों और परिस्थितियों को बताएगा तथा हाजिरी लिपिक द्वारा विनियम 133(2) के अन्तर्गत रखी जाने वाली जिल्दबंद पुस्तिका में प्रत्येक बार पंखा बंद करने के विवरणों तथा उसकी अवधि को दर्ज किया जाएगा और पंखा परिचर ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा । इस पुस्तिका को पंखा परिचर के प्रभाराधीन रखा जाएगा ।

हाजिरी लिपिक

2(क) उपर बताए गए अनुसार अधिसूचित किए जाने पर हाजिरी लिपिक पंखे के वन्द होने की सूचना तत्काल निम्नलिखित को भेजेगा -

(I) ऑनसेटर या पिट तल पर अन्य प्रभारी व्यक्ति को (ज) तत्काल भूमिगत खान में उपस्थित प्रत्येक अन्डर मैनेजर, सहायक प्रबंधक, तथा ओवरमैन और अन्य पर्यवेक्षी स्टाफ को सूचित करने की व्यवस्था करेगा) तथा उन खानों में जहाँ इन्क्लाइनों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रुप से कार्य होता है वहाँ भूमिगत खानों में उपस्थित प्रत्येक अन्डर मैनेजर, सहायक प्रबंधक, तथा ओवरमैन और अन्य पर्यवेक्षी स्टाफ को सूचित करेगा ।

(II) प्रबंधक को (या उसकी अनुपस्थिति में खान की सतह पर उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी को) तथा प्रवंधक द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किए गए इंजीनियर को सूचित करेगा ।

(ख) हाजिरी लिपिक हर बार संवातक के बंद होने का निश्चित समय तथा अन्य विवरणों को विनियम 133(2) के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए उसे प्रदान की गई पुस्तिका में दर्ज करेगा और पंखें बंद होने की सूचना दिये जाने के प्रमाण के रुप में प्रत्येक प्रविष्टि पर प्रबंधक, इंजीनियर या इस संवंध में प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से आधक्षर करवाएगा ।